झारखण्ड-झनकार

अर्थात

मध्यप्रदेशान्तर्गत

सिरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया और चांगभखार
रियासतों का संक्षिप्त वर्णन

लेखक

रघुवीरप्रसाद

सुपरिन्टेंडेंट रियासत काँकेर

A GAZETTEER

OF THE

FIVE CHHUTIA NAGPUR STATES

Transferred to the Central Provinces.

BY

RAGHUBIR PRASAD,

Superintendent, Kanker State, C.P.

1930

भूमिका

कुछ वर्ष पूर्व जब मैं कोरिया राज्य का सुपरिंटेंडेंट था श्रीयुत रायबहादुर हीरालाल साहब ने मुझे इन पाँच रियासतों का संक्षिप्त वर्णन लिखने को उत्साहित किया। तभी से इसके लिए सामग्री इकट्ठी की जाने लगी पर कार्यवश पुस्तक की समाप्ति अभी तक न हो सकी। यह उक्त रायबहादुर साहब की प्रेरणा का फल है कि इसकी समाप्ति मुझे आज करनी ही पड़ी। यह पुस्तक जनाब डी ब्रेट साहब के लिखे हुए मध्यप्रदेश की रियासतों के अँगरेज़ी गैज़ेटियर के ढंग पर है और अधिकांश विवरण उनके उसी गैज़ेटियर के आधार पर लिखा गया है।

विजया दशमी संवत् १९८५] रघुवीरप्रसाद

विषय-सूची

सूची

नक़्शे व तसवीरों की सूची

नक़शे व तसवीरों की सूची

विषय | पृष्ठ

मध्य-प्रदेश के अन्तर्गत होने के बाद इन राज्यों के पोलिटिकल एजंटों की सूची:—

एच० एम० लारी साहब—सन १९०५ से १९०७ तक

ई० ए० डीब्रेट साहब—सन १९०७ से १९१० तक

ई० एच० ब्लेकस्ली साहब सन् १९१० से १९१४ तक

एफ़० एल० क्राफर्ड साहब—सन् १९१४ से १९२० तक

डब्लू० ई० ली साहब—सन् १९२० से १९२५ तक

कं० एल० बी० हेमल्टन साहब—सन् १९२५ से १९-२८ तक

डी० एच० सी० ड्रेक साहब—वर्तमान

बाघ का शिकार

झारखण्ड-झनकार—

व्याघ्रराज की गर्जना, वन कुञ्जर चिक्कार ।
गूँज रही चारों दिशा, झारखण्ड-झनकार ॥

रघुवीरप्रसाद

उपोद्‌घात

सिरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया, चांगभखार ।

इस पुस्तक में सिरगुजा-समूह की पाँच रियासतों का वर्णन है जो प्राचीन काल में झारखंड कहलाता था। ये सब एक दूसरे से मिली हुई मध्य प्रदेश के वायव्य कोण में हैं। इनका कुल क्षेत्रफल ११,६०७ वर्गमील, जन-संख्या ७,०४,५२३ और आय लगभग १४,१५,५००) है। सन् १६०५ ईसवी तक ये रियासतें बंगाल-प्रान्त के अन्तर्गत थीं। उक्त सन् में मध्य प्रदेश की पाँच रियासतें—कालाहंडी, पटना, रेड़ाखोल, बामड़ा और सोनपुर—जिनमें उड़िया भाषा का प्रचार है बंगाल-प्रान्त में सम्मिलित कर दी गईं और झारखंड की ये पाँच रियासतें जिनमें हिंदी-भाषा का प्रचार है इस प्रदेश में मिलाई गईं। ये सब रियासतें बहुत पुरानी हैं और ऐसा मालूम होता है कि किसी ज़माने में उदयपुर, जशपुर, कोरिया और चांगभखार के राज्यों पर सिरगुजा-राज्य का आधिपत्य था। उदयपुर-नरेश सिरगुजा के राजघराने की एक शाखा में से हैं पर अब उन पर सिरगुजा-नरेश का कोई आधिपत्य नहीं है। जशपुर-नरेश अपनी टकोली ब्रिटिश-सरकार को अब भी

सिरगुजा-नरेश के द्वारा पटाते हैं। कोरिया और चांगभखार के नरेशों पर सिरगुजा-नरेश की प्रभुता का कोई चिह्न विद्यमान नहीं है। छत्तीसगढ़ की अन्य रियासतों के समान ये रियासतें भी पहले मरहठों के आधिपत्य में थीं और भोंसला राजाओं को कर पटाती थीं। सन् १८१८ ईसवी में बरार के मुढ़ोजी भोंसला ने ये सब रियासतें ब्रिटिश-सरकार को सौंप दीं। तब से ये गवर्नर जर्नल साहब के एजंट की देख-रेख में रक्खी गईं। सन् १८१९-२० में इन पाँचों राज्यों के नरेशों को ब्रिटिश-सरकार से पहले-पहल सनदें दी गईं जिनमें ये ज़मींदार बतलाये गये थे। सन् १९०५ ईसवी तक ये राज्य छोटा नागपुर डिवीज़न के कमिश्नर साहब की देख-रेख में थे। उस समय तक इन नरेशों की पद-मर्यादा तथा अधिकार आदि छत्तीसगढ़ के नरेशों के बराबर न थे। ये प्राय: ब्रिटिश इंडिया की मामूली रिआया सरीखे समझे जाते थे। पर अब इन नरेशों पर भी ब्रिटिश इंडिया की दीवानी अदालतों में और इन रियासतों की अदालतों में मुक़दमा दायर नहीं हो सकता। सन् १८९९ ईसवी में ये नरेश फ्यूडटरी चीफ़ माने गये और उसी साल इन्हें नई सनदें फिर से प्रदान की गईं। इन सनदों की ब्योरेवार शर्तें इस प्रकार हैं:—

(१) पाँचों रियासतों के नरेश ब्रिटिश-सरकार से फ्यूडेटरी चीफ़ माने गये और ये तथा इनके उत्तराधिकारी शर्तों का यथोचित पालन करते हुए राज्य का शासन करें।

(२) आगामी बीस वर्ष तक ये नियत टकोली सरकार को दें। फिर इसके बाद जो वार्षिक टकोली सरकार नियत करे वह देते जावें। उत्तराधिकारी गद्दीनशीन होने पर जो क़ायदे उस वक़्त प्रचलित हों उनके अनुसार ब्रिटिश-सरकार को नज़राना देवें।

(३) ये अपने राज्य में अमन-चैन रक्खें और जब-तब न्याय-संबंधी बातों के विषय में जो हिदायतें लेफ़्टनेंट गवर्नर साहब बंगाल जारी करें उनका पालन करें। न्याय-संबंधी काम चलाने के लिए न्यायाधीश उन वेतनों पर नियुक्त करें जिसे लेफ़्टनेंट गवर्नर साहब उचित समझें। इस विषय में सब बातों का विचार कर और नरेशों के वजूहात सुनकर अमलों की नियुक्ति की जावेगी। ये आनरेरी मजिस्ट्रेटों या मुंसिफ़ों की नियुक्ति की सिफ़ारिश कर सकते हैं।

(४) इनके राज्य में यदि कोई ब्रिटिश-राज्य या दूसरे इलाक़े का अभियुक्त आकर छिप जाय तो उसे पकड़वा कर सरकार के हवाले कर दें या ऐसे अभियुक्त की गिरफ़्तारी के लिए कोई सरकारी अफ़सर इनके राज्य में जावे तो उन्हें पूर्णत: सहायता दें। यदि इनके राज्य का अपराधी ब्रिटिश या अन्य राज्य में जा छिपे तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए मुनासिब लिखा-पढ़ी करें।

(५) ये पक्षपात-रहित न्याय करें।

(६) ये अपनी प्रजा के हक़ों को मानकर क़ायम रक्खें और किसी भी दशा में प्रजा पर न स्वयं अत्याचार करें न किसी दूसरों को करने दें।

(७) ये लेफ़्टनेंट गवर्नर बंगाल की इज़ाजत के बिना किसी भी क़िस्म के अन्न या तिजारती माल पर जो उनके राज्य में लाया जावे या राज्य से बाहर जावे किसी प्रकार का कर वसूल न करें।

(८) ये राजकाज-संबंधी मुख्य मुख्य बातों में कमिश्नर साहब छोटा नागपुर की सलाह लेकर उनकी इच्छानुकूल काम करें। ज़मीन का बन्दोबस्त, मालगुज़ारी की वसूली, टिकसबंदी, न्यायवितरण, आबकारी, नमक और अफ़ीम-संबंधी बंदोबस्त, जंगल के ठेके या ऐसे ठेके संबंधी विवादों का निर्णय, परोसी राजाओं के साथ विवादों का निर्णय आदि मुख्य मुख्य बातों के विषय में कमिश्नर साहब की राय के अनुसार काम करें।

(९) सोना, चाँदी, कोयला, हीरा या अन्य खनिज पदार्थों पर इनका कोई हक़ नहीं। ये सब ब्रिटिश-सरकार की सम्पत्ति मानी जावेंगी।

(१०) इनके और ब्रिटिश-सरकार के बीच या अन्य किसी राज्यों के बीच सीमा का झगड़ा हो तो उसका निर्णय कमिश्नर साहब या लेफ़्टनेंट गवर्नर साहब के द्वारा नियुक्त किसी अफ़सर के द्वारा किया जावेगा। ऐसे अफ़सर के साथ दो पंच मुक़र्रर

किये जा सकते हैं जिनमें से एक की नियुक्ति ये कर सकते हैं। पर अगर ये चाहें कि सरकारी अफ़सर ही अकेला निर्णय करे तो ऐसा ही किया जावेगा।

(११) राज्य के जंगल में हाथी पकड़ने का हक़ सिर्फ़ इनको (जिनके वक़्त में यह सनद दी गई) दिया जाता है। इनके उत्तराधिकारी को यह हक़ नहीं रहेगा। किसी प्रकार की ज़्यादती वग़ैरः करने पर यह हक़ इनसे निकाला भी जा सकता है।

सन् १९०५ ईसवी में जब ये रियासतें बंगाल-प्रान्त से अलग कर मध्यप्रदेश में शामिल की गईं तब इनके नरेशों को दूसरी सनदें दी गईं जिनका मसौदा सन् १८९९ वाली सनदों ही के समान है। पर प्रांत परिवर्तन के कारण कमिश्नर साहब छोटानागपुर और लेफ़्टनेंट गवर्नर साहब बंगाल के स्थान में कमिश्नर साहब रायपुर और चीफ़ कमिश्नर साहब मध्यप्रदेश कर दिया गया है। एक विशेषण यह भी है कि सिरगुजा, उदयपुर और जशपुर की सनदों में नम्बर नौ की शर्त नहीं है पर कोरिया और चांगभखार की सनदों में है जिससे सिरगुजा, उदयपुर और जशपुर-नरेशों को अपने अपने राज्यों के खनिज पदार्थों की आमदनी पाने का पूरा अधिकार है पर कोरिया और चांगभखार-नरेशों को बिलकुल नहीं है। चार पाँच वर्ष पूर्व जब कोरिया-राज्य का शासन-भार राजा साहब की अल्पवयस्कता के कारण गवर्नमेंट के हाथ

में था तब कोरिया के सुपरिंटेंडेंट ने यह हक़ पाने के लिए लिखा-पढ़ी की थी। उस पर भारत-सरकार ने इन दोनों रियासतों को अपने खनिज पदार्थों की आय का आधा हिस्सा पाने की स्वीकृति दी थी। श्रीमान् कोरिया-नरेश के, इस हुक्म की अपील करने पर, हाल ही में कोरिया और चांगभखार-नरेशों को सिरगुजा, उदयपुर और जशपुर-नरेशों के समान अपने अपने राज्य के खनिज पदार्थों पर पूर्ण अधिकार दिया गया है अतः अब इन पाँचों रियासतों की सनदों में कोई भेद नहीं है। इन सब नरेशों को वह सनद भी प्राप्त है जिससे राज्य के उत्तराधिकारी न होने पर ये सामाजिक नियम तथा हिंदू-धर्मशास्त्र के अनुसार दत्तक पुत्र ले सकते हैं। लगभग बीस साल पहले तक इनको दण्ड देने के अधिकार कम थे। ख़ून या अन्य संगीन जुर्मों के मुक़दमों का फ़ैसला इनकी अदालतों में नहीं हो सकता था और पाँच साल जेल तथा २००) रुपये जुरमाना से अधिक सज़ा ये नहीं दे सकते थे। दो साल से अधिक जेल की अथवा ५०) रुपये से अधिक जुरमाने की सज़ा देने के लिए जनाब कमिश्नर साहब छत्तीसगढ़ की स्वीकृति की ज़रूरत होती थी। अब इन नरेशों को वे ही अधिकार हैं जो छत्तीसगढ़ की अन्य रियासतों के नरेशों को हैं। इनकी अदालत में अब ख़ून या दूसरे संगीन जुर्मों के मुक़दमें भी चलाये जा सकते और उनका फ़ैसला हो सकता है। सिर्फ़ फाँसी की सज़ा के लिए मान्यवर गवर्नर साहब की

और सात साल से अधिक जेल की सज़ा के लिए पोलिटिकल एजंट साहब की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

इन पाँचों रियासतों के नरेश क्षत्रिय हैं। सिरगुजा-नरेश को 'महाराजा' की, उदयपुर जशपुर, और कोरिया-नरेशों को 'राजा' की और चांगभखार-नरेश को 'भैया' की उपाधि वंशानुगत है। सिरगुजा-राज्य की राजधानी अंबिकापुर, उदयपुर की धर्मजयगढ़, जशपुर की जशपुरनगर, कोरिया की बैकुंठपुर और चांगभखार की भरतपुर है। भरतपुर के सिवाय बाक़ी सब राजधानियों में तार-घर हैं।

इन सब राज्यों में सिरगुजा बड़ा है और सब रियासतों के मध्य में है। जशपुर-राज्य इसके पूर्व में, कोरिया पश्चिम में और उदयपुर दक्षिण में है। ये सब रियासतें पहाड़ी और जंगली हैं। सिरगुजा-राज्य की स्वाभाविक रचना क़िले के समान है। उत्तर-पूर्व और दक्षिण में ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की दीवालें और पश्चिम में कोरिया-राज्य का बीहड़ जंगल इसकी रक्षा करते हैं। इस राज्य में कई उच्च समभूमि हैं जो कहीं कहीं समुद्रीय धरातल से ४,००० फ़ुट तक ऊँची हैं। ये पाट कहलाते हैं जैसे कि मैनपाट, जमीरापाट इत्यादि। जशपुर-राज्य दो हिस्सों में बँटा है, ऊपरी भाग को ऊपर घाट और नीचे भाग को हेटघाट कहते हैं। राज्य की राजधानी, जशपुरनगर, ऊपरघाट पर है। हेटघाट में खेती के लायक़ अच्छी ज़मीन है। जशपुरनगर के आस-पास भी अच्छी खेती होती है पर

सिरगुजा-राज्य की तरफ़ खुरिया इलाक़े की उपत्यकाओं में खेती के लायक़ ज़मीन कहीं कहीं ही नज़र आती है। खुरिया की उच्च समभूमि में अधिकतर कोरवा लोग बसते हैं जो बेवर और डहिया तरीक़े से खेती करते हैं। पहाड़ों की ढाल पर के झाड़ों का एक समूह फागुन में काट गिराते हैं और वृक्षों और डगालियों के कुछ सूख जाने पर उनमें आग लगा कर बिलकुल जला डालते हैं। वर्षा होते ही उन झाड़ों की जली हुई राख पर बितरी, मिझरी, अरहर, धान, कपास आदि के बीज छिड़क देते हैं और फ़सल तैयार होने पर काट लेते हैं। इसे बेवर कहते हैं। डहिया का भी यही ढङ्ग है। भेद सिर्फ़ यह है कि उसमें झाड़ों को पूरा न काट सिर्फ़ उनकी डगालियाँ काटते हैं और उन डगालियों को किसी खेत या मैदान में फैला कर आग लगाते हैं और उस राख पर बीज छिड़कते हैं। सिरगुजा-राज्य के पश्चिम में कोरिया-राज्य भी ऊँची-नीची ज़मीन पर बसा हुआ है। बहुत पहाड़ होने के कारण इसके उत्तरीय हिस्से में बहुत थोड़े व छोटे गाँव दूर दूर पर हैं। कोरिया-राज्य में पत्थर का कोयला बहुतायत से पाया गया है जिसको निकालने का काम भी कहीं कहीं जारी है। इसी लिए अनूपपुर स्टेशन से एक रेल की शाखा इस रियासत में लाई जा रही है। चांग-भखार-राज्य में पहाड़ अधिक हैं। जंगल भी घना है पर क़ीमती लकड़ी कम है और जो है भी, वह बैलगाड़ियों के चलने लायक़ अच्छा रास्ता न होने के सबब निकाली नहीं

जा सकती। उदयपुर-राज्य भी पहाड़ी और जंगली है। मांद नदी के कछार में खेती के लायक़ अच्छी भूमि है। इस राज्य के उत्तरीय हिस्से में आबादी कम है। प्राय: सभी रियासतों में जंगल की मुख्य आमदनी लाख से है जो पलास के झाड़ों पर पैदा होती है। बाँस भी बहुतायत से होता है पर इमारती या स्लीपर बनाने लायक़ लकड़ी कम है।

ऊपर बताई हुई स्वाभाविक कठिनाइयों के कारण इन रियासतों की रिआया बहुत अशिक्षित है। ऐशो-आराम की चीज़ें वह जानती ही नहीं। अपने निर्वाह के लायक़ धान पैदा करने की कोशिश वह करती है। बाड़ियों में जौ और सरसों ख़ूब पैदा कर लेती है। सरसों की निकासी भी ख़ूब है। सिरगुजा के उत्तर और दूसरी रियासतों के किसी किसी हिस्से में गेहूँ और चना भी पैदा किया जाता है। अब कहीं कहीं ज़रूरत से अधिक अनाज पैदा होने लगा है और निकासी भी होती है। भुइँहार, धनुहार, कोरबा, कुड़ाखू इत्यादि मूल-निवासी कंद-मूल-फल और जंगली जानवरों का मांस खाकर ही अपना निर्वाह कर लेते हैं।

दस पंद्रह वर्ष पहले उदयपुर-राज्य की एक सड़क के सिवा और किसी भी राज्य में सड़कें नहीं थीं। उदयपुर की राज-धानी धर्मजयगढ़ से एक मुरुम की सड़क खर्सिया रेलवे स्टेशन तक थी। रियासतों के कुल व्यापार-सम्बन्धी माल की आमद और निकासी बंजारों-द्वारा बैलों पर ही होती थी। लोग घोड़ों

या डोलियों पर आते जाते थे। राजा महाराजाओं की सवारी एक-मात्र हाथी थी। पक्की सड़कें अभी भी किसी रियासत में नहीं हैं पर चांगभखार की राजधानी भरतपुर को छोड़ बाक़ी सब राजधानियों तक मुरुम की ऐसी सड़कें अब बना ली गई हैं कि खुले दिनों में बैल या मोटरगाड़ियाँ वहाँ तक जा सकें। बैलगाड़ियों का प्रचार बढ़ता जाता है और उनके चलने लायक़ नये नये रास्ते बनाने का उद्योग सभी रियासतों में हो रहा है। धर्मजयगढ़ और अंबिकापुर को खर्सिया रेलवे स्टेशन से, जशपुरनगर को राँची और झाड़छोकड़ा से, बैकुंठपुर को पेंड्रा रोड तथा बिजरी रेलवे स्टेशनों से मोटरगाड़ियाँ खुले दिनों में जा सकती हैं।

इन सभी रियासतों में इलाक़ेदार, ज़मींदार और खोरपोशदार हैं। इनमें से कोई कोई इलाक़े तो सौ सौ अस्सी अस्सी गाँवों के हैं पर बहुत से दो दो चार चार गाँव के भी हैं। इन ज़मींदारियों के गाँव प्रायः एक ही समूह में हैं। रियासतों के समान इन इलाक़ों के ज़मींदारों का ज्येष्ठ पुत्र ही ज़मींदारियों का मालिक होता है। नरेशों ने अपने भाई-बंधुओं को उनके निर्वाहार्थ जो इलाक़े दिये हैं वे खोरपोशदारी कहलाते हैं। ज़मींदारियाँ वग़ैरः वंशपरम्परागत हैं। टकोली, अब्वाब न पटाने, राजविद्रोह करने व अपने इलाक़ों का प्रबंध ठीक ठीक न करने पर ही ये इलाक़े ज़ब्त हो सकते हैं। ये लोग रियासत को सिर्फ़ टकोली और अब्वाब देते हैं। अपने इलाक़ों की

ज़मीन का लगान और जंगल की पैदावार और आमदनी पर इन्हें पूरा पूरा हक़ है। टकोली जो ये स्टेट को देते हैं वह इनकी आमदनी का एक बहुत ख़फ़ीफ़ हिस्सा होती है और जिस मिक़दार में ब्रिटिश-सरकार रियासत की टकोली बढ़ावे उसी मिक़दार में इनकी टकोली भी बढ़ाई जा सकती है। पुलिस, स्कूल, अस्पताल, जेल वग़ैरः में जो रक़म राज्य से ख़र्च होती है उसका हिस्सा इन इलाक़ों से उनकी आमदनी के मुताबिक़ अब्वाब के नाम से वसूल होता है।

रियासतों की अदालतों में वही क़ायदे क़ानून अमल में लाये जाते हैं जो ब्रिटिश इंडिया की अदालतों में प्रचलित हैं। इसी प्रकार अन्य मुहकमें तथा दफ़्तर भी ब्रिटिश इंडिया ही सरीखे हैं। सात साल से अधिक या फाँसी की सज़ा के सिवा बाक़ी सब फ़ौजदारी, दीवानी और माल की कार्रवाइयों में इन नरेशों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। चांगभखार को छोड़ बाक़ी सब रियासतों में राजकार्य संचालन के सहाय-तार्थ एक एक दीवान हैं। चांगभखार में दीवान की जगह पेशकार हैं। दीवान साहबों के नीचे एक एक नायब दीवान और तहसीलदार हैं। दीवान की देख-रेख में जंगल, पुलिस, शिक्षा, आबकारी, अस्पताल, वारिकमास्तरी, लेंडरिकार्ड के मुहकमे हैं। शिक्षा-विभाग की देख-रेख एक एजेंसी इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स के हाथ में है जो मध्यप्रदेशांतर्गत सब रियासतों

के स्कूलों के प्रबन्ध का निरीक्षण करते हैं। इन सब रियासतों का सम्बन्ध जनाब पोलिटिकल एजेंट साहब सी० पी० फ्यूडटरी स्टेट्स से है जो रायपुर में रहते हैं। राजकुमारों की शिक्षा के लिए रायपुर में एक राजकुमार-कालेज है।

प्रथम ध्वनि

सिरगुजा

सिरगुजा-नरेश महाराज रामानुजशरणसिंह देव सी० बी० ई०

सिरगुजा-नरेशों की फ़ेहरिस्त

१	राजा	प्रतापरुद्रसिंह
२	”	बैहा दादूसिंह
३	”	बलभद्रसिंह
४	”	जशवंतसिंह
५	”	बहादुरसिंह
६	”	शिवसिंह
७	”	अजीतसिंह
८	”	संग्रामसिंह
९	”	बलभद्रसिंह
१०	महाराज	अमरसिंह
११	”	इंद्रजीतसिंह
१२	”	रघुनाथशरणसिंह देव बहादुर
१३	”	रामानुजशरणसिंह देव० सी० बी० ई०

सिरगुजा-राज्य के दीवान साहबों की फ़ेहरिस्त

पंडित गणेशप्रसाद दुबे—१६०५-१६१८

बाबू बिनोदलाल सिनहा--१६१८-१६१६

मि०-डी० डी० दादीमास्टर—वर्तमान

सीमा-क्षेत्रफल—इस राज्य का क्षेत्रफल ६,०५५ वर्ग-मील है। राज्य के उत्तर में मिर्ज़ापुर ज़िला और रीवाँ राज्य, दक्षिण में जशपुर और उदयपुर के राज्य और बिलासपुर ज़िला, पूर्व में पालामऊ और राँची ज़िले और पश्चिम में कोरिया-राज्य है। राज्य की राजधानी अंबिकापुर है।

स्वाभाविक विभाग—बाहरी आक्रमणों से इस राज्य की रक्षा करने का भार मानों प्रकृति ने ही ले लिया है। इसके पूर्व और दक्षिण की ओर बड़ी बड़ी पर्वतश्रेणियाँ और पश्चिम की ओर कोरिया राज्य का बीहड़ सघन जंगल है। रियासत की दक्षिण सीमा पर मैनपाट नामी एक विस्तृत उच्चसमभूमि और पूर्वीय सीमा पर लहसुनपाट और जमीरापाट नामी लम्बी टेढ़ी मेढ़ी पर्वतश्रेणियाँ प्रकृति की विलक्षणता दिखाती हैं। जमीरापाट की पर्वत-श्रेणी में उत्तर को पालामऊ ज़िले की सीमा तक और दक्षिण में जशपुर-राज्य की उत्तरीय पर्वत-श्रेणी तक तीन से चार हज़ार फ़ुट तक बहुत सी ऊँची पहाड़ी और पाट हैं। मुख्य चोटियाँ ये हैं:—मैलान ४,०२४ फ़ुट, जाम ३,८२७ फ़ुट, परताघरसा ३,८०४ फ़ुट इत्यादि। राज्य के मध्य की समभूमि पूर्वीय उच्च समभूमि से प्राय: ९०० फ़ुट नीची है। यह समभूमि खेती के लायक़ उपजाऊ है। इसके दो विभाग हैं। एक भाग दक्षिण की ओर सिरगुजा-राज्य के मैनपाट और

जशपुर-राज्य की खुरिया पर्वतश्रेणियों के बीच बीच उदयपुर राज्य तक चला गया है और दूसरा भाग पश्चिम की ओर फैला हुआ है और इसी भाग में अधिकतर खेती होती है।

नदियाँ—राज्य में मुख्य चार नदियाँ हैं जिनमें से तीन (१) कन्हार, (२) रेंड़, (३) महान का बहाव उत्तर को सोन नदी की ओर है और (४) शंख दक्षिण को बहती हुई ब्रम्हणी नदी में मिली है। कन्हार नदी पूर्वीय उच्च समभूमि में बहती हुई परताघरसा और लहसुनपाट के मध्य में गिरी है जहाँ पुरवाई घाघ नामी एक सुंदर जलप्रपात बन गया है। फिर सिरगुजा-राज्य और पालामऊ ज़िले की हदबंदी करती हुई वह उत्तर की ओर बही है। कोई भी नदियाँ नाव द्वारा व्यापार करने लायक़ नहीं हैं। रेंड़ और कन्हार नदी में कहीं कहीं घाट पार करने के लिए छोटे छोटे डोंगे काम में लाये जाते हैं। वह पर्वत-श्रेणी जिससे नदियों का उद्गम है राज्य के पूर्व से पश्चिम की ओर कोरिया और चांगभखार के राज्यों तक चली गई है।

खनिज पदार्थ—राज्य के भूगर्भ की जाँच अभी तक नहीं हुई है पर खनिज पदार्थों में कोयला, धाऊ, सोना, रामरज, अभरख, संगमर्मर और चूने का पत्थर मिलने की संभावना है। इनमें पत्थर के कोयले के ही अधिक मिक़दार में पाये जाने के चिह्न मिलते हैं। राज्य के मध्य हिस्से के पूर्वीय भाग में अंबिकापुर से परतापपुर तक चारों ओर प्राय: ४०० वर्गमील

क्षेत्रफल में किसी किसी नदी नाले और पहाड़ियों की तराई में पत्थर का कोयला भूमि की सतह पर निकला हुआ है। परन्तु अभी यह ज्ञात करना है कि यह कोयला किस गहराई और कितने मिक़दार में है। इसके लिए महान नदी के पश्चिमीय किनारे पर, जहाँ उसके साथ गागर नदी का संगम हुआ है, छेंदिया गाँव के उत्तर में और भगारा गाँव के पास और पसांग नदी के दक्षिणी किनारे पर जलदेगा गाँव के पास कल द्वारा गहरे गड्ढे खोदने की ज़रूरत है। कोरिया राज्य की पटना ज़मींदारी के कटकोना गाँव के पास भूगर्भ की जाँच करने से ज्ञात होता है कि उस गाँव के पास मिले हुए पत्थरी कोयले की तह कोरिया-राज्य की सरहद को नीचे नीचे पार करती हुई सिरगुजा-राज्य के झिलमिली इलाक़े में चली गई है। झिलमिली इलाक़े में अभरख के टुकड़े भी जगह जगह मिलते हैं।

जंगल—रियासत का प्राय: दो तिहाई हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। मैनपाट के दक्षिणी उतार पर और किसी किसी घाटी में अच्छा सघन जंगल है। रामपुर टप्पा का पश्चिमीय हिस्सा कोरबा ज़मींदारी की सरहद तक जंगल ही जंगल है। जशपुर-राज्य के सरहद की तरफ़ की पर्वतश्रेणी पर, जमीरापाट के उतारों पर, रामकोला और पाल टप्पों में और श्रीनगर टप्पे के पश्चिमीय और दक्षिणीय भाग में जंगल के अच्छे अच्छे हिस्से हैं। अधिकतर जंगल साल वृक्षों के हैं।

पर साल के वृक्षों को गूँदकर उनसे धूप निकालने की प्रथा होने के कारण इन वृक्षों की बाढ़ मारी गई है और इसलिए स्लीपर निकालने लायक झाड़ों की संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी कि होना चाहिए। यह प्रथा कुछ दिनों से बंद कर दी गई है और जंगल के कुछ हिस्से रखाये भी गये हैं। भूमि पथरीली होने के कारण वृक्षों की बाढ़ अच्छी नहीं होती पर किसी किसी हिस्से के नये वृक्ष ऐसे हो गये हैं कि उनसे स्लीपर निकाले जा सकें और एक दो कम्पनियाँ श्रीनगर टप्पा के और दूसरे दूसरे टप्पों के जंगलों से स्लीपर निकाल भी रही हैं। साल के अतिरिक्त बीजा, बहेरा, चार, आँवला, धौरा, खैर, कुसुम, पलास, हर्रा, महुआ और तेंदू के वृक्ष भी काफ़ी तौर पर हैं। बाँस प्राय: सभी जगह हैं। सागोन बिलकुल नहीं है। रेलवे स्टेशन से अधिक फ़ासला होने के कारण स्लीपर के सिवा दूसरी लकड़ी बाँस या अन्य जंगली पैदावार की निकासी नाम-मात्र ही को है। कुसुम और पलास पर यथेष्ट लाख लगाई जाती है। लाख की फ़सल ख़रीदने और निकासी करने का ठेका दिया जाता है जिससे रियासत को अच्छी आमदनी हो जाती है। रिआया को अपनी ज़मीन पर के पलास और कुसुम के झाड़ों पर लाख लगाने और ठेकेदार को बेचने का हक़ है जिससे उन्हें भी अच्छी आमदनी हो जाती है। चराई का सुभीता और महसूल कम होने के कारण मिर्ज़ापुर और पालामऊ ज़िले और रीवाँ-राज्य के अहीर झुंड के झुंड जान-

वर यहाँ चराने को लाते हैं। भैंसा-भैंस पर ।)६ और गाय-बैल पर =)३ फ़ी नग चराई देनी होती है। इससे भी रियासत को अच्छी आमदनी हो जाती है। किसानों से फ़ी नागर ।) नगराही वसूल होती है। जो खेती नहीं करते उनसे घर पीछे १) वसूल होता है। इसके बदले में वे लोग जंगल से नागर वग़ैर: खेतीसंबंधी सामान बनाने के लिए लकड़ी और घरों की मरम्मत के लिए घास वग़ैर: ले सकते हैं। मज़दूर-पेशा १) सालाना महसूल देने से नया घर बनाने के लिए और =) देने से घरों की मरम्मत के लिए जंगल से कुल बाँस, घास वग़ैर: ले सकते हैं। तुरिया लोग ३) सालाना देने से साल भर टोकनी बनाने और बेचने को जंगल से मनमाना बाँस ले सकते हैं। इसी प्रकार चमारों से बक्कल, पत्ता वग़ैर: के लिए ३) और लोहारों से कोयले के लिए ३) सालाना महसूल वसूल होता है।

इतिहास—राज्य का प्राचीन इतिहास अप्राप्य है। दन्तकथाओं से ज्ञात होता है कि पहले यह राज्य बहुत से छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित था और प्रत्येक हिस्से अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के अधीन थे। उस ज़माने में राज्य के कुल निवासी बिलकुल जंगली थे जो अपना उदर-पोषण जंगली कंद-मूल खाकर और शरीर-रक्षा वृक्षों के पत्ते और छाल पहिनकर कर लेते थे। ये छोटी छोटी रियासतें हमेशा एक दूसरे से लड़ाई ठाने रहती थीं जिससे बहुत ख़ून-ख़राबा

होता था । प्राय: १,७०० वर्ष हुए कि पालामऊ ज़िले के कण्डरी स्थान के एक रकसेलवंशीय राजपूत वीर ने इस प्रान्त पर आक्रमण किया और इन सब छोटे छोटे राजाओं को परास्त कर आप यहाँ के अधिपति बन गये । सिरगुजा-राज्य पर उन्हीं के वंशजों का अधिकार है । मालूम होता है कि उस ज़माने में उदयपुर, जशपुर, कोरिया और चांगभखार के इलाक़े भी सिरगुजा-राज्य के अधीन थे । सिरगुजा-नरेश ने उदयपुर का इलाक़ा अपने एक इतर बंधु को दे रक्खा था । सन् १८६० ईसवी तक उदयपुर-नरेश अपना कर ब्रिटिश-सरकार को सिरगुजा-राज्य के मारफ़त पटाते थे और वे सिरगुजा-नरेश के अधीनस्थ समझे जाते थे । उक्त ईसवी में ब्रिटिश-सरकार ने उदयपुर-इलाक़े को स्वतंत्र राज्य मानकर सिरगुजा-नरेश के लघु भ्राता लाल बिंध्येश्वरीप्रसादसिंह देव को सौंप दिया । जशपुर-नरेश की अधीनता का एक निश्चित प्रमाण अब भी वर्तमान है । वे अपना कर ब्रिटिश-सरकार को सिरगुजा-राज्य के मारफ़त पटाते हैं । पर और सब बातों में वे भी स्वतंत्र हैं । कोरिया और चांगभखार भी सिरगुजा-नरेश के अधीनस्थ थे इस बात का संतोषजनक प्रमाण न होने के कारण सन् १८१८ में ब्रिटिश-सरकार के आधिपत्य में आने से वे स्वतंत्र राज्य माने गये । अब इनका कोई संबंध सिरगुजा-राज्य से नहीं है । मुग़ल-राजत्वकाल में सिरगुजा-राज्य पर मूंगेर, पटना, मुर्शिदाबाद और दिल्ली तक से कई वक्त चढ़ाइयाँ हुई थीं । सन्

१३४६ ईसवी के लगभग ख़लीफा नाम के एक मुसलमान सेनापति ने इस राज्य पर विजय पाने के उपलक्ष में यहाँ के निवासियों को ताँबे की मुद्रायें बाँटी थीं पर उसकी पीठ फेरते ही सिरगुजा-नरेश ने वे सब मुद्रायें इकट्ठी कर लीं और उनका प्रचार राज्य में बंद कर दिया। इनमें से दो मुद्रायें वर्तमान सिरगुजा-नरेश के पास मौजूद हैं।

सन् १७५८ ईसवी से जो घटनायें इस राज्य में हुईं उनका विवरण निश्चित रूप से ज्ञात है। उक्त सन् में मराठों की एक फ़ौज गंगाजी की तरफ़ जाती हुई इस राज्य में आई और उसने यहाँ के राजा अजीतसिंह को बरार सरकार की अधीनता स्वीकार करने को बाधित किया। सन् १७९२ ईसवी में ब्रिटिश-सरकार के विरुद्ध पालामऊ में एक बलवा हुआ। राजा अजीतसिंह ने उस समय बलवाइयों को मदद दी और राँची ज़िले के बरवे परगने पर अपना अधिकार जमा लिया। ब्रिटिश-सरकार ने बरार-सरकार को इसका प्रबंध करने की सलाह दी किन्तु इसका कुछ फल न हुआ। राजा अजीतसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा रानी को मारकर और राज्य के उत्तराधिकारी का कुछ ख़याल न कर उनका तीसरा भाई लाल संग्रामसिंह स्वयं राजा बन बैठा। इस अनुचित व्यवस्था के लिए ब्रिटिश-सरकार ने कर्नल जौंस की मातहती में एक छोटी सी फ़ौज भेजी। कर्नल जौंस साहब लाल संग्रामसिंह को राज्य से भगा, राजा अजीतसिंह के अल्पवयस्क पुत्र,

कुमार बलभद्रसिंह को, राजगद्दी दे और उनकी अल्पवयस्कता में राज्य-प्रबंध उनके चाचा, लाल जगन्नाथसिंह,को सौंप फ़ौज-समेत वापस चले गये। ब्रिटिश-फ़ौज के जाते ही लाल संग्राम-सिंह फिर राज्य में पहुँच गये और लाल जगन्नाथसिंह को हटाकर कुमार बलभद्रसिंह पर अपना अधिकार जमा लिया और उनके नाम से सन् १८१३ ईसवी के क़रीब तक राज्य करते रहे। लाल जगन्नाथसिंह ने अपने पुत्र अमरसिंह-सहित ब्रिटिश-सरकार की शरण ली। सन् १८१३ ईसवी में पोलिटिकल एजंट साहब, मेजर रफ़सेज, सिरगुजा आकर राज्य में उचित प्रबंध की व्यवस्था करने लगे। राजा बलभद्रसिंह शासन करने के योग्य नहीं थे इसलिए एक दीवान नियुक्त कर राज-काज उसके हाथ में सौंप वे वापस चले गये। मेज़र रफ़सेज के यह सब बंदोबस्त करके जाने के बाद ही दीवान का वध किया गया और राजा बलभद्रसिंह और उनकी दोनों रानियों को बंदी करने का प्रयत्न किया गया। पोलिटिकल एजंट साहब कुछ सरकारी सिपाही राजा साहब की रक्षा के लिए छोड़ गये थे और इन थोड़े से जवाँमर्दों ने इस षड्यंत्र को सफल न होने दिया। सन् १८१८ ईसवी तक राज्य में अशांति और अराजकता फैली रही। उक्त सन् में बरार-नरेश मूढ़ोजी भोंसला और ब्रिटिश-सरकार के बीच में एक संधि हुई जिससे यह राज्य ब्रिटिश-सरकार के अधीन आया और तुरन्त ही राज्य में शांति स्थापित की गई। लाल जगन्नाथसिंह के पुत्र राजा

अमरसिंह गद्दी पर बैठाये गये और सन् १८२६ ईसवी में "महाराजा" की उपाधि से विभूषित किये गये। महाराजा अमरसिंह की दो रानियाँ थीं। छोटी रानी के पुत्र लाल बिंध्येश्वरीप्रसादसिंह पर महाराजा साहब का विशेष प्रेम था और उनकी वृद्धावस्था में वे ही राज्य का कारबार चलाते थे। महाराजा अमरसिंह की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी रानी के पुत्र महाराजकुमार इंद्रजीतसिंह सिंहासनारूढ़ हुए। पर विक्षिप्त होने के कारण वे कार्य चलाने योग्य नहीं थे। इसलिए राज्य-शासन का भार लाल बिंध्येश्वरीप्रसादसिंह ही को सौंपा गया और कई वर्षों तक राज्य का प्रबन्ध-भार इन्हीं पर रहा। इसी अवसर में इन्होंने राज्य के कई बड़े बड़े उपजाऊ हिस्से स्वयं अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मींदारी हक़ पर लिखा लिये। महाराजा इंद्रजीतसिंह के पुत्र महाराजा रघुनाथशरणसिंह देव सन् १८८२ ईसवी में प्राप्तवयस्क होने पर गद्दी पर बैठे। आपका जन्म सन् १८६२ का था। लोग कहते हैं कि इन महाराजा साहब के जन्म लेने पर लाल बिंध्येश्वरीप्रसादसिंह ने ब्रिटिश-सरकार के पास यह रिपोर्ट भेजी कि महाराजा इन्द्रजीतसिंह को कन्या पैदा हुई है। शायद उनका अभिप्राय अवसर पाकर स्वयं गद्दी का मालिक बन बैठने का था पर ऐसा अंधेर ब्रिटिश-राज्य में कहाँ हो सकता है। सन् १८९५ ईसवी में महाराजा रघुनाथशरणसिंह देव "महाराजा बहादुर" के ख़िताब से विभूषित किये गये। आपका सन् १९१८

ईसवी में स्वर्गवास हुआ और आपके पुत्र वर्तमान नरेश महाराजा रामानुजशरणसिंह देव गद्दीनशीन हुए। सन् १९१९ ईसवी में आपको "सी० बी० ई०" का ख़िताब मिला। आपकी उम्र अभी ३३ साल की और आपके ज्येष्ठ पुत्र की १७ साल की है। सन् १९०५ ईसवी तक यह रियासत बंगाल-प्रान्त के अन्तर्गत थी पर उक्त सन् में जशपुर, उदयपुर, कोरिया और चांगभखार राज्यों-सहित यह मध्यप्रदेश में मिला ली गई। ब्रिटिश-सरकार को इस राज्य से सालाना ३,५००) टकोली दी जाती है। यह कर समय समय पर घटाया बढ़ाया जा सकता है।

प्राचीन चिह्न—राज्य में प्राचीन काल की शिल्पकला के विशेष चिह्न हैं। इनके अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि किसी ज़माने में यहाँ के निवासी वर्तमान निवासियों से शिल्प-विद्या में अधिक निपुण थे। मुख्य मुख्य दर्शनीय स्थान रामगढ़ की पहाड़ी पर हैं जहाँ पर बौद्धकालीन पाल-भाषा में चट्टान पर एक लेख अब भी है। प्राचीन शिल्प के स्मारक-स्वरूप टूटे फूटे मंदिर जगह जगह खड़े हुए हैं। जूबा का नष्ट-भ्रष्ट क़िला और भिन्न भिन्न स्थानों की प्राचीन देव मूर्तियाँ पुरातत्त्व-मर्मज्ञों का ध्यान आकर्षित करती हैं।

रामगढ़ पर्वत—परगना रामपुर में लखनपुर गाँव से क़रीब ८ मील पश्चिम रामगढ़ का पर्वत शुरू हुआ है। पर्वत के उत्तर तरफ़ एक पगडंडी रास्ता ऊपर चढ़ने का है। इस रास्ते से ऊपर जाने पर पहले एक पत्थर का दरवाज़ा मिलता है जिसे

'पौरी ड्योढ़ी' कहते हैं। इस दरवाज़े पर सामने की ओर गणेशजी की एक मूर्ति बनी हुई है। यह मूर्ति अब इतनी घिस गई है कि कठिनता से पहिचान में आती है। दरवाज़े के पास ही पश्चिम की ओर एक गुफा है जिसमें से साफ़ पानी का एक झरना बहता है। गुफा की रक्षा के लिए उसके सामने एक पत्थर की दीवाल थी जिसके अब सिर्फ़ चिह्न ही नज़र आते हैं। झरना जिस रेतीले पत्थर पर से बहता है उसके नीचे क़रीब ४½ फ़ुट मोटी पत्थर के कोयले की चद्दर नज़र आती है पर यह कोयला जलाने के काम के लायक़ नहीं है। इस झरने पर हर साल चैत मास में एक मेला भरता है। पौरी ड्योढ़ी से पगडंडी रास्ता पूर्व की ओर कुछ मुड़ गया है और फिर पर्वत के दक्षिण की ओर चला गया है। रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा होने के सिवाय पत्थरों और चट्टानों के ऊपर से गुज़रने के सबब भयंकर भी है। पौरी ड्योढ़ी के कुछ आगे एक समाधि है जिसे 'कबीर चौरा' कहते हैं। लोग बताते हैं कि यह समाधि रामगढ़ पहाड़ी के अंतिम योगी धर्मदास की है। ये योगी इस पहाड़ी पर कब थे यह कोई नहीं जानता। आगे यह रास्ता एक बड़ी चट्टान के पास से गया हुआ है। इस चट्टान को खोदकर एक आदमी के छिपने लायक एक कोठरी-सी बनाई गई है। इस कोठरी का दरवाज़ा रास्ते से नज़र नहीं आता। मालूम होता है कि रास्ते से जाते हुए यजमानों को छकाने में यह कोठरी पुरोहितों को मदद देती थी। यह कोठरी वशिष्ठ-गुफा कहलाती है। लोग कहते हैं

कि श्रीरामचन्द्रजी के गुरु वशिष्ठमुनि का यहाँ निवास था। यहाँ से आगे यह रास्ता और बीहड़ होगया है। सबसे ऊपर पहुँचने पर एक दूसरा दरवाज़ा बना हुआ है जो अच्छी हालत में है और दूसरे दरवाज़ों और मंदिरों की अपेक्षा इस पर की हुई कारीगरी अच्छी है। मालूम पड़ता है यह दरवाज़ा जो सिंह दरवाज़ा कहलाता है बाद में बनाया गया है। इसकी बनावट कुछ कुछ मुसलमानी कारीगरी से मिलती-जुलती है। दरवाज़े पर पटाव का पत्थर न लगाकर पत्थरों की तिहरी कमानीदार डाँट बनाई गई है जिस पर पच्चीकारी का काम है। डाँट दोनों तरफ़ जहाँ दीवाल पर आकर मिलती है वहाँ कई जानवरों के सिर पत्थर के बने हुए हैं। इस दरवाज़े के पास भीतर की ओर एक 'भैरव' की नवीन मूर्ति रक्खी है, पर यह कोई नहीं जानता कि यह मूर्ति कब रक्खी गई। दरवाज़े के आगे कुछ सीढ़ियाँ उतरने पर जिन्हें गणेशसीढ़ी कहते हैं एक टूटा-फूटा दरवाज़ा है यह दरवाज़ा रावण दरवाज़ा कहलाता है। इस दरवाज़े के आगे रावण-दरबार है। यह भी चट्टान को छील-छाल कर बनाया गया है। इस रावण-दरबार में रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और भी कुछ मूर्तियाँ हैं जो घिस जाने के सबब पहिचान में नहीं आतीं। यहाँ से पर्वत का दक्षिणीय और पश्चिमीय दृश्य बड़ा सुहावना मालूम पड़ता है। इस चौगान के एक तरफ़ पत्थर काटकर एक झरोखा बना हुआ है जहाँ बैठे बैठे नीचे के जंगल का सुहावना

लक्ष्मण, रामचन्द्र श्रौर जानकी—रामागढ़ पहाड़ी का मंदिर

दृश्य दृष्टिगोचर होता है। दरवाज़े की दीवाल में एक जगह दीवाल काटकर बारहदरी का छोटा सा नमूना बनाया गया है। बारहदरी अठपहली है और खम्भे आदमी की शकल के हैं जिनके हाथ ऊपर उठे हुए छत का वज़न सम्हाले हैं। इनमें से एक मूर्ति बहुत सुंदर है। यहाँ से फिर पर्वत की चोटी तक जाने का रास्ता है। यह चोटी समुद्र की जल-सतह से ३,२०६ फुट ऊँची है और उस पर साल वृक्षों का एक सुहावना जगल है जिसमें एक मंदिर का भीतरी हिस्सा खड़ा हुआ है। बाहरी हिस्सा और सामने की बारहदरी टूट फूट गई है। इस बाहरी हिस्से में महादेव और हनूमान्जी की मूर्तियाँ अभी भी विद्यमान हैं। मंदिर के भीतर चट्टानों की कई गढ़ी हुई मूर्तियाँ हैं। तीन मूर्तियाँ एक क़तार में लक्ष्मण, रामचंद्र और सीताजी की हैं। दो मूर्तियाँ भरतजी और चतुर्भुजी विष्णु भगवान् की भी हैं। दूसरी मूर्तियों को जो पहिचान में नहीं आतीं लोग राजा जनक, बालासुन्दरी इत्यादि की मूर्तियाँ बतलाते हैं।

रामगढ़पर्वत की सुरंग सबसे दर्शनीय स्थल है। इस सुरंग का दरवाज़ा क़रीब २० फुट ऊँचा और ३० फुट चौड़ा है जिसमें से हाथी मज़े में जा सकता है इसी लिए इस सुरंग को हाथी-पोल कहते हैं। सुरंग की लम्बाई क़रीब १५० गज़ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे इसकी उँचाई और चौड़ाई कम होती जाती है यहाँ तक कि अंत में उसकी उँचाई और चौड़ाई १२ फुट के लगभग रह जाती है। इस गुफा में

बहुधा शेर रहा करते हैं। सुरंग में से एक झरना बहा हुआ है और उसके दक्षिण की ओर एक बड़ी चट्टान में दो गुफायें और हैं जिन्हें सीताबेंगा और लक्ष्मीबेंगा कहते हैं। इनमें एक ४० फ़ुट लम्बी १० फ़ुट चौड़ी और ६ फ़ुट ऊँची है और दूसरी इससे कुछ कम। ये गुफायें निस्सन्देह प्राकृतिक हैं पर मनुष्य के निर्वाह व निस्तार के लायक बनाने के लिए इनमें मानुषी कारीगरी भी की गई है ऐसा मालूम होता है। गुफाओं में कोई मूर्तियाँ वग़ैर: नहीं हैं पर शिलालेख ज़रूर हैं जिनकी भाषा व अक्षर पाली हैं, इनका अर्थ निकालने में नित नये विवाद खड़े हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि रामगढ़ वही स्थान है जहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने वनवास जाते समय कुटी बनाई थी और यहीं से रावण ने सीताजी का हरण किया था। गुफा के सामने एक गोल चक्कर सा बना हुआ है। लोगों का विश्वास है कि यह चक्कर रामचन्द्रजी ने हरिण का पीछा करने के पहले सीताजी की रक्षा के लिए खींच दिया था।

जूनागढ़—इस रियासत में दूसरा प्राचीन स्थान जूनागाँव का नष्ट भ्रष्ट क़िला है। पाल परगने में मानपुर गाँव से लगभग दो मील पर यह क़िला एक पहाड़ी पर स्थित है। सामने इसके घना जङ्गल है। जङ्गल में कुछ मन्दिरों के खँडहर अब भी हैं जिनके चारों ओर जङ्गल उग गया है और पत्थरों पर काई लग गई है। पर पत्थरों पर की नक्क़ाशी अब भी मौजूद है।

रामगढ़ पहाड़ी के हाथीपोल का दरवाज़ा

इस जङ्गल में कर्नल औसले साहब को एक शिवलिंग पड़ा हुआ मिला था। उस पर मनुष्य की मूर्ति खुदी हुई थी, यही इस शिवलिंग की ख़ूबी थी। इसलिए जाँच के लिए वह एशियाटिक-परिषद् के अजायबघर में रखा गया है। मानपुर से क़रीब आठ मील पर औसले साहब को एक शिला-लेख भी प्राप्त हुआ था। लेख अब तक पढ़ा तो नहीं गया पर उसकी लिपि संवत् १२६६ या सन् १२३६ अनुमान की गई है और औसले साहब का ख़्याल है कि यह लेख किसी सती की समाधि का है।

अन्य स्थान—रामगढ़ से क़रीब ६ मील पर औसले साहब को १२ मन्दिरों के चिह्न मिले थे। इनमें एक ईंट का बना हुआ था और बाक़ी पत्थर के। उनकी कारीगरी नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी पर औसले साहब का कहना है कि पच्चीकारी बहुत ही सुन्दर थी। उनकी सम्मति है कि ये सब मन्दिर वैष्णवों के थे।

सन् १८६४ में औसले साहब ने कन्हार नदी के किनारे छलगली टप्पा में कुछ मन्दिरों के ढेर देख कर वहाँ की खुदाई करवाई थी जहाँ शिव और दुर्गा की कूछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं। इनमें से कुछ मूर्तियों को मुसलमान आक्रमण-कारियों से क्षति पहुँच चुकी थी। एक मूर्ति दुर्गा की मय नादिया और खड्ग के समूची प्राप्त हुई थी। सिरगुजा-राज्य का राज्य-चिह्न भी कालीजी की मूर्ति ही है। लोगों का कहना है

कि प्राचीन काल में सावंत महाराजाओं ने ये मन्दिर बनवाये थे। दुर्गाजी की मूर्ति में एक ओर जो मनुष्य खड्ग खींचे हुए खड़ा है उसे लोग स्वयं सावंत राजा की मूर्ति बतलाते हैं। मन्दिरों के पास ही एक पक्का तालाब भी है। यहाँ से क़रीब ६ मील पर डाल्टन साहब को एक छोटे से मन्दिर का पता लगा था। वह भी टूटी हालत में था पर जो पत्थर खड़े थे उन पर हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई थीं।

जन-संख्या—सन् १८७२ ईसवी में राज्य की जन-संख्या १,८२,८३१ थी। सन् १८८१ में यह २,७०,३११, सन् १८९१ में ३,२४,५५२, सन् १९०१ में ३,५१,०११ और सन् १९११ में ४,२०,८३० बढ़ गई पर सन् १९२१ की गणना के अनुसार वर्तमान जन-संख्या ३,७८,२२६ याने प्रत्येक वर्गमील में ६२ लोगों की है। राज्य में लगभग १७०० गाँव हैं। राज्य में हिन्दुओं ही की संख्या अधिक है। मुसलमान बहुत थोड़े हैं। अन्य जाति के लोगों में गोंड़, ग्वाला, कंवर, उरांव, रजवार, कोरवा, खैरवार, भूमीज, चेरो, घसिया, मुंडा, नगसिया, संताल वगैर: हैं। कोरवा और कोड़ाखुओं के सिवाय दूसरे मूल-निवासी सीधे-सादे चाल-ढाल के हैं। कोरवा और कोड़ाखू जो अधिकतर लहसुनपाट, जमीरापाट और पाल टप्पा में रहते हैं प्राय: शांति भङ्ग किया करते हैं।

अहीर लोग अपने जानवर लापरवाही से चरने को छोड़ देते हैं और वे अक्सर इनकी खेती का नुक़सान करते हैं इसलिए

डिहरिया कोरवों का समूह—नाचने को तैयार

वे लोग प्रायः अहीरों को लूटा करते हैं। राहगीरों को भी ये कपड़ा, व नमक के लिए और शराब की भट्टियों को शराब के लिए अक्सर लूट लेते हैं। झुंड के झुंड तीर-कमान, फ़रसा और भाला बाँधे हुए आक्रमण करने को निकलते हैं और मौक़े पर इन हथियारों को काम में लाने में नहीं चूकते। इसलिए लोग इनसे बहुत डरते रहते हैं।

मूल-निवासी—कोरवा लोग यहाँ के मूल-निवासी हैं। इनकी संख्या जशपुर-राज्य में भी बहुत है। थोड़े बिलासपुर ज़िले में भी पाये जाते हैं। किसी ज़माने में ये लोग ही इस रियासत के छोटे छोटे हिस्सों के राजा थे। थोड़े दिन पहले तक दो कोरवे राज्य के दो अच्छे अच्छे हिस्सों के ज़मींदार थे पर सिरगुजा-नरेश से हमेशा झगड़ा करते रहने के सबब धीरे धीरे उनके इलाक़े ज़ब्त कर लिये गये और अब एक ही दो गाँव उनके अधिकार में रह गये हैं। जशपुर-राज्य में दो ज़मींदारियाँ अभी भी कोरवा ख़ानदान में हैं जिनमें से एक ज़मींदार, खुरिया, वंशपरम्परा से जशपुर-राज्य के दीवान होते आये हैं। यद्यपि अब ऐसा नहीं है तो भी वे अभी तक दीवान कहे जाते हैं। कोरवों के मुख्य दो विभाग हैं। डिहरिया और पहड़िया। डिहरिया वे हैं जो गाँवों (डीह) में रहते और खेती करते हैं। पहड़िया कोरवे बेंवरिया भी कहलाते हैं और ये पहाड़ों पर रहते और बेवर तरीक़े से खेती करते हैं। जशपुर-राज्य के खुरिया इलाक़े के डिहरिया और पहड़िया कोरवों में

जितना भेद है उतना इस राज्यवालों में नहीं है। यहाँ डिहरिया कोरवों में कोड़ाकुओं की संख्या अधिक नहीं है। होशङ्गाबाद, निमाड़ और बैतूल ज़िले के कुड़कू और यहाँ के कोड़ाखू एक ही हैं और शायद कोरवाओं ही की यह एक शाखा है। कोड़ाखू लोग अपने को एक भिन्न शाखा बतलाते हैं पर यह क़बूल करते हैं कि उनमें और कोरवों में ज़्यादा भिन्नता नहीं है। कोरवों का कहना है कि ये लोग ख़ुरिया इलाक़े के मूल-निवासी हैं और उन्हें सिरगुजा-नरेश ने अपने राज्य में बसाया है। देखने में पहाड़ी कोरवे बड़े डरावने मालूम पड़ते हैं। ये जङ्गली और कुरूप होते हैं और अपनी कुरूपता का यह सबब बतलाते हैं कि पहले-पहल जब मनुष्य सिरगुजा-राज्य में बसे तो जंगली जानवर उनकी फ़सलों का बहुत नुक़सान करते थे। इसलिए उन्हें डराने के लिए उन लोगों ने बाँस और घास की बड़ी कुरूप और डरावनी मनुष्याकृतियाँ बनाकर अपने अपने खेतों में खड़ी कर दीं। उनके बड़े देव ने खेतों में ये आकृतियाँ देखीं और सोचा कि यदि इनमें मैं प्राण डाल दूँ तो मेरे भक्तों को जङ्गली जानवरों से फिर कभी भय न होगा। ऐसा सोच उन्होंने उन आकृतियों को सजीव कर दिया। कोरवा लोग उन्हीं की सन्तान हैं। यद्यपि ये लोग अपनी उत्पत्ति की यह कथा बता कर अपने को बहुत कुरूप समझते हैं तो भी वे इतने कुरूप नहीं होते जितने कि गोंड़ और उरांव होते हैं। कोरवा ठिंगने और काले रङ्ग के पर बहुत मज़बूत और फुर्तीले

पहड़िया कोरवा

होते हैं। वे अपने सिर के बालों को न कभी कटाते न साफ़ करते हैं। उन्हें रस्सी सरीखे लपेट उनकी हाथ हाथ भर तक लम्बी चोटी सिर के पीछे की ओर बाँधे रहते हैं।

लड़के लड़की अपना विवाह ख़ुद ही ठीक कर लेते हैं। उनके माता-पिता की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती। दहेज़ में सिर्फ़ दस बारह रुपये देने होते हैं। जो लोग दहेज़ दे सकें वे आठ आठ दस दस शादियाँ तक कर डालते हैं। एक बच्चा होते तक औरत मर्द साथ साथ रहते हैं। फिर औरत अलग रहने लगती है और कंद मूल लाकर अलग ही पकाती खाती है। प्रत्येक औरत अपने लाये हुए कंद-मूल का कुछ हिस्सा अपने पति को देती है इसलिए जिस कोरवा के जितनी अधिक औरतें हों उसे उतना अधिक आराम मिलता है।

ये लोग दूल्हादेव, सतवाहिनी देवी, ठाकुरदेव और खुरिया रानी की पूजा करते हैं। सबसे अधिक मान खुरिया रानी का है जिन्हें कुछ दिन पहले मौक़े मौक़े पर तीस तीस भैंसों और बेशुमार बकरों का बलिदान दिया जाता था। त्योहार तीन मुख्य हैं। पूस में देवथान, जब सब देवतों की पूजा और बलिदान किया जाता है, कुवार में नवाखाई, जब नया अन्न खाते और शराब पी नाच-रङ्ग कर आनन्द मनाते हैं, और चैत्र में होली। गोंड या कंवर के यहाँ ये लोग भोजन कर लेंगे पर ब्राह्मण के यहाँ नहीं। पहड़िया कोरवों का छुवा हुआ पानी राज्य के हिन्दू निवासी पीते हैं।

कोरवे अपना निर्वाह जङ्गली कंद-मूल और जानवरों के मांस पर करते हैं। थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं और डाके डालते हैं। खेती प्रायः डहिया और बेवर तरीक़े से करते हैं। अधिकतर धान, उरद, आलू, कुम्हड़ा, खीरा, शकरकंद और मिर्चा पैदा करते हैं। जैसे बन्दर को फलों की पहिचान होती है उसी प्रकार कोरवों को काँदों की होती है। वे देखते ही जान जाते हैं कि यह काँदा खाने का है या नहीं। तीर कमान से उड़ती हुई चिड़ियों और भागते हुए जानवरों को बड़ी ख़ूबी से मार गिराते हैं। जानवर को उसकी असावधान अवस्था में मारना ठीक नहीं समझते। प्रायः उसे उत्तेजित करके मारते हैं। डाका डालने के भी बड़े शौकीन हैं। झुण्ड के झुण्ड औरतों-समेत डाके डालने जाते हैं। मनुष्य की हत्या कर डालना उनके लिए मामूली बात है। मगर घर में सेंध लगाना और घुस कर चोरी करना घृणित कार्य समझते हैं और ऐसा प्रायः कभी नहीं करते। डाका डालने को जाते वक़्त सुदिन विचारते हैं। थोड़े से चावल मुर्ग़ी के सामने फेंकते हैं अगर मुर्ग़ी अच्छे अच्छे दाने चुन कर खाना शुरू करे तो समझते हैं कि अच्छा माल हाथ आवेगा। डाका डालने को जाते वक़्त बच्चे का रोना बहुत ही अपशकुन मानते हैं। थोड़े दिन हुए एक कोरवा डाका डालने को जाने लगा कि उसका दो साल का बच्चा रो उठा। उसे ऐसे अपशकुन पर इतना गुस्सा आया कि उसने उस बच्चे की टाँग पकड़ कर एक पत्थर पर

कोरवों का नाच

दे मारा। शिकार के लिए जाते वक़्त ये लोग कहानी कहते हैं। उनका ख़्याल है कि ऐसा करने से उन्हें शिकार में सफलता प्राप्त होगी। उनकी कहानियों में से एक यह है:—

एक जगह सात भाई थे जो शिकार खेलने गये। सबसे छोटे भाई का नाम चिल्हड़ा था। उन लोगों ने एक जंगल का हाँका किया और उनमें से चार भाई अपने तीर कमान ले हाँके से निकलते हुए जानवरों को मारने को तैयार हो छिप कर बैठ गये। चिल्हड़ा की तरफ़ से एक चीतल निकला और उसने उस पर तीर चलाया पर वार ख़ाली गया। इस पर उसके छहों भाई उस पर गुस्सा हो कहने लगे कि हम लोग दिन भर से भूखे फिर रहे हैं और तूने ऐसा तीर मारा जो चीतल को छू भी न गया। ऐसा कह उन्होंने माहुल की छाल की रस्सियाँ बनाकर एक बोरा गुथा और चिल्हड़ा को उस बोरे में बन्द कर नदी में फेंक घर चले गये। उनके जाने पर एक साम्हर पानी पीने को उस नदी में आया और चिल्हड़ा के प्रार्थना करने पर उसने बोरे को अपने सींग में फँसा उसे किनारे में खींच उसकी जान बचाई। जब साम्हर पानी पी चुका तो चिल्हड़ा ने फिर उससे विनय की कि मुझे बोरे से बाहर निकाल दे। साम्हर ने अपने पैने दाँतों से माहुल की रस्सी को जो बोरे के मुँह पर बँधी थी काट दिया और चिल्हड़ा बाहर निकल आया। बाहर निकल कर चिल्हड़ा ने साम्हर से कहा कि बोरे के भीतर घुस कर देख तो तू

उसमें समायेगा या नहीं। बोरे के भीतर साम्हर के घुसने पर चिल्हड़ा झट बोरे का मुँह बाँध उसे पीठ पर उठा घर चलता हुआ। घर में जब उसके भाइयों ने उसे जीता जागता एक साम्हर पीठ पर लिये आते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने चिल्हड़ा से पूछा कि वह बोरे में से कैसे निकल आया और साम्हर को कहाँ पाया। चिल्हड़ा ने सब वृत्तान्त ठीक ठीक उनसे कह दिया। तब उन लोगों ने साम्हर को मार उसे भूँज कर खाया और फिर चिल्हड़ा से कहा अब तुम हमें बोरे में बन्द कर नदी में डाल दो ताकि हम लोग भी एक एक साम्हर ले आवें। चिल्हड़ा ख़ुशी से राज़ी होगया। तब सबों ने मिल कर छः बोरे तैयार किये और उन्हें ले नदी के किनारे पहुँचे और एक एक बोरे में घुस गये। चिल्हड़ा ने एक एक का मुँह बाँध नदी में फेंक दिया और वे सब डूब कर मर गये तब चिल्हड़ा घर लौट आया और चैन से अपनी ज़िंदगी पार की।

कुड़ाखुओं की दशा कोरवों से कुछ अच्छी है। ये लोग नागर बैल से खेती करते हैं। डाका डालने में अधिकतर कोरवों का साथ नहीं देते। कुड़ाखुओं और कोरवों के बीच में शादी विवाह नहीं होते पर मर्द एक साथ खाते पीते हैं। औरतें नहीं खाती पीतीं। ये लोग विषैले सर्पों को छोड़ बाक़ी सभी जानवरों का मांस खाते हैं। यहाँ तक कि पहड़िये कोरवे और कुड़ाखू कुत्ते तक खा जाते हैं। देखने सुनने में

कुड़ाखू कोरवों सरीखे ही होते हैं। ये लोग कोरवों सरीखे अपने को खुरिया रानी के वंशज नहीं बताते न खुरिया के ज़मींदार को अपना मुखिया मानते। इनका कहना है कि ये हमेशा से पाल टप्पा में रहते आये हैं और अभी भी ये उसी टप्पे में अधिकतर हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति इस तरह बतलाते हैं—किसी ज़माने में पाल टप्पे में एक स्त्री और पुरुष रहते थे जिन्हें कोई संतान न होती थी। वृद्धावस्था में उन्होंने संतान के लिए भगवान् की आराधना की और उनके एक पुत्र हुआ। जन्म लेते ही यह बालक बोल उठा और अपने मा-बाप से कहने लगा कि मुझे जंगल के काँदे के सिवा और कुछ न खिलाया जाय। इसलिए इस बालक की संतान अपने को कुड़ाखू अर्थात् कोड़नेवाले (खोदनेवाले) कहने लगे। उस बालक को ये लोग गुसाईं संन्यासी कहते हैं और उसकी और उसके माता-पिता की पूजा करते हैं।

कोरवा, कुड़ाखू और भुँइया प्राय: घास-फूस की झोपड़ियाँ बना कर जंगल में रहते हैं। यहाँ के भुंइये और कोरिया राज्य के भुँईहार प्राय: एक ही हैं और उनके रहन-सहन और रीति-रिवाज में कोई भिन्नता नहीं है। भुँइयों की ज़्यादा आबादी रमकोला टप्पा में है। गोंड़ क़ौम ने इन क़ौमों की अपेक्षा ज़्यादा तरक्क़ी की है। ये लोग बड़ी झोपड़ियाँ बना कर खुले मैदानों में रहते हैं और नागर बैल रख ठीक तौर पर खेती कर अपना निर्वाह करते हैं।

आर्थिक दशा--राज्यनिवासियों की आर्थिक दशा, उनके रहन-सहन, खेती-बारी और पेशा-रोज़गार के अनुसार, भिन्न भिन्न है। जो लोग पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं वे ग़रीब हैं। जो मैदानों में रह कर खेती करते हैं उनकी दशा पहाड़ और जंगल-निवासियों से विशेष अच्छी है। मामूली श्रेणी के प्रत्येक आदमी की गुज़र चार पैसे के चावल और नमक से हो सकती है। रामपुर, विश्रामपुर, लेरुआ, लुडरा, परतापपुर, श्रीनगर और झिलमिली टप्पों में धान, गेहूँ, चना और जौ की फ़सलें अच्छी होती हैं। इन टप्पों में फ़सल तैयार होने के वक़्त बहुत से परदेशी व्यापारी ग़ल्ला ख़रीद कर बाहर ले जाने के लिए आया करते हैं। इससे मालूम होता है कि उपज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और किसान अपने ख़र्च और बीज के लिए ग़ल्ला रख कुछ बेच भी सकता है। पर यह जानना मुश्किल है कि किसको कम और किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कौन किसान निर्बल और कौन सबल है क्योंकि रहन-सहन, पहनाव-उढ़ाव, सबका प्रायः एक सा ही है। जैसे कपड़े किसान पहनता है क़रीब क़रीब वैसे ही गौंटिआ पहनता है। कोई कोई गाँवों में रहने के मकान बड़े बड़े भी हैं पर प्रायः सभी फूस से छाये हुए होते हैं। मकान पर खपरे छाने का बहुत कम प्रचार है। किसानों के पास मवेशियाँ काफ़ी तादाद में हैं जिन पर चराई का महसूल माफ़ है।

रिश्राया की ज़रूरियात बहुत मामूली हैं। मुख्य खाद्य चावल है पर जब तक महुश्रा मिले उसे ही खाते हैं । काँदा, तीखुर, साल के पत्ते श्रौर फूल, गुरलू श्रौर कुरसा भी बहुत कुछ खाने के काम में लाया जाता है। लोग अपने ही यहाँ का बना हुश्रा सूती कपड़ा पहिनते हैं। गौंटियों तक के पास छाता देखने में नहीं आता। पत्ते की खुम्हरी से ही काम निकाल लेते हैं। पर बग़ैर जूते के शायद ही कोई रहते हैं । हरवाहा भी साम्हर के चमड़े का जूता पहिने हुए दीखता है। लोग तन्दुरुस्त होते हैं। फोड़े-फुन्सी अक्सर इन्हें तंग करते हैं पर बुख़ार, तिल्ली आदि की शिकायत बहुत नहीं है। तम्बाकू खाने का लोगों को ज़्यादा शौक़ है। प्राय: प्रत्येक किसान अपनी बाड़ी में इसे बोता है। लोग साहूकारों से अक्सर क़र्ज़ नहीं लेते। आपस ही में लेन-देन करते हैं । यद्यपि कुछ नियुक्त वर्षों के लिए गौंटिया गाँव का सिर्फ़ ठेकेदार होता है तथापि रिश्राया उसका बहुत मान करती है। अपना सुख-दुख उसी के मार्फ़त मालिक के कानों तक पहुँचाती है। आपस के झगड़े उसके साम्हने पेशकर उसका न्याय क़बूल करती है। गौंटिया प्राय: रिश्राया की मर्ज़ी के विरुद्ध मुक़र्रर नहीं किया जाता श्रौर यद्यपि क़ानूनन गाँवों का ठेका हर पाँचवें या सातवें वर्ष में होता है श्रौर उस वक़्त गौंटिया बदला जा सकता है पर अधिकतर पुराने गौंटिये ही को फिर से ठेका दिया जाता है श्रौर राज्य में ज़्यादातर पुश्तैनी गौंटिये हैं।

प्रख्यात वंश—उदयपुर-नरेश, झिलमिली के भैया शिवप्रसादसिंह देव और लखनपुर के लाल हरप्रसादसिंह देव राज्य में बड़े बड़े इलाक़ेदार हैं। उदयपुर-नरेश सिरगुजा-नरेश के खोरपोशदार हैं। श्रीनगर, परतापपुर, बिंझपुर और चलगली के टप्पे इनके पितामह महाराजा बहादुर बिंध्येश्वरी-प्रसादसिंह देव को परवरिश के लिए सिरगुजा-नरेश से मिले थे और ये अभी भी वर्तमान नरेश के क़ब्ज़े में हैं। इन टप्पों की कुल माल और जंगल की आमदनी पर उनका अधिकार है। वे सिरगुजा-नरेश को नाम-मात्र टकोली और राज-काज के ख़र्च का कुछ हिस्सा सालाना देते हैं। भैया शिवप्रसादसिंह देव चौहान क्षत्रिय हैं। इनके पूर्वजों ने किसी समय आक्रमण-कारियों से महारानी सिरगुजा की रक्षा की थी इसलिए झिलमिली का इलाक़ा उन्हें जागीर में दिया गया था। लखनपुर के लाल हरप्रसादसिंह देव भी रकसेल क्षत्री हैं और सिरगुजा-नरेश के खोरपोशदार हैं। इनके पूर्वजों को रामपुर और महरी के टप्पे उनकी परवरिश के लिए मिले थे। इन तीनों इलाक़ेदारों के हक़ हक़क़ एकसाँ हैं। इनके सिवाय लुदरा, कतसरीवारी वग़ैरह के कई छोटे छोटे ज़मींदार और भी हैं।

भूमि-कृषि-फ़सल—अभी तक भूमि का ब्यौरेवार माप नहीं हुआ है। इसलिए यह नहीं मालूम कि कितनी भूमि में किस फ़सल की काश्त होती है। पर इसमें संदेह नहीं कि उत्तम और उपजाऊ भूमि में

अधिकतर धान ही की खेती होती है। पाल और रामकोला टप्पों में इतना अन्न पैदा नहीं होता कि वहाँ की कुल रिआया के लिए काफ़ी हो। पर दूसरे इलाक़ों में काफ़ी से ज़्यादा पैदा होता है और व्यापारी लोग उसे ख़रीद कर पेंडरा रेल्वे स्टेशन और अन्य स्थानों को ले जाते हैं। गेहूँ, चना, जौ, तिल, अलसी, सरसों, अरहर, कोदों, कुटकी और जुवार की भी अच्छी काश्त होती है। भूमि के विभाग उसकी स्थिति के अनुसार किये गये हैं यथा (१) बहरा, (२) चौंड़ और (३) डाँड़। भूमि का माप बीज की लागत के अनुसार किया जाता है। एक खंडी बिजवार की बहरा ज़मीन पर दो रुपया, उतनी ही चौंड़ पर एक रुपया और डाँड़ पर आठ आना सालाना लगान लगाया जाता है। खेती के तरीक़े में क्रमशः तरक्क़ी होती जाती है। किसान खेतों की पार बनाते हैं, खाद्य देते हैं और उन्हें अच्छी तरह जोतने और धान का रोपा लगाने लगे हैं। आबपाशी के लिए राज्य में नहरें नहीं हैं पर प्रायः हरेक गाँव में गौंटियों और किसानों ने बाँध बना लिये हैं जिनसे वक्त ज़रूरत धान के फ़सल की आबपाशी करते हैं। पक्के कुएँ गाँवों में बहुत कम हैं पर कच्चे कुओं की संख्या अच्छी है। इनसे आबपाशी कर लोग गन्ना, आलू, सागभाजी पैदा करते हैं। कृषि-सुधार के लिए रियासत से बिला सूद क़र्ज़ देने की व्यवस्था है। सरकारी भंडारों से लोगों को अच्छा बीज भी मिल सकता है।

मज़दूर—राज्य में मज़दूर-पेशा की संख्या काफ़ी है और किसानों को बनिहार वग़ैरह मिलने में कोई दिक्क़त नहीं होती। बनिहार, हरवाह प्रायः गोंड़, उराँव या रजवार जाति के होते हैं। इन्हें किसान लोग कुछ क़र्ज़ दे देते हैं और जब तक वह क़र्ज़ न छूट जाय तब तक बनिहार किसान का काम करता है। बनिहारों को प्रतिदिन मजूरी (बनी) प्रायः अनाज ही में मिलती है। जाड़े में कुछ कपड़ा वग़ैरह भी दिया जाता है। कहीं कहीं किसान ३ या ४ रुपया माहवार तनख़ाह देकर भी बनिहार वग़ैरह नौकर रखने लग गये हैं।

हल बखर-संबंधी खेती का सामान बनाने को प्रायः प्रत्येक बड़े गाँव में लोहार हैं। ये ही लोग लकड़ी का काम भी करते हैं। बढ़ई जाति के लोग राज्य में बहुत कम हैं। पनका लोग मोटा कपड़ा बनाते हैं और प्रजा यही कपड़ा काम में लाती है। पीतल-ताँबे के बर्तन सब बाहर से आते हैं। राज्य में नहीं बनते।

व्यापार—प्रायः सभी व्यापार परदेशियों के हाथ में है जिनमें से बहुत से अब राज्य ही में बस गये हैं। ये लोग टाँड़ों पर सूत, तम्बाकू, नमक वग़ैरह बाहर से लाते हैं और इनके बदले ये नक़द दाम देकर अनाज वग़ैरह ख़रीद कर रायगढ़ के पास खर्सिया या कटनी-बिलासपुर के बीच पेंडरा रोड रेलवे स्टेशन को ले जाते हैं। खर्सिया को मैनपाट पार कर

उदयपुर-राज्य में से जाते हैं। पेंडरा रोड को, लखनपुर से कोरवा ज़मींदारी या उपरोड़ा और मातिन ज़मींदारियों पर से या झिलमिली इलाके से कोरिया राज्य में होते हुए जाते हैं। बाहर से प्रायः शक्कर, तम्बाकू, सूत, किराना, धातु के बर्तन, मिट्टी का तेल, नमक और कपड़ा राज्य में आता है और सरसों, तिल, अरहर, आलू, लाख, धूप, खैर, घी, हर्रा, चिरोंजी वग़ैरह बाहर जाता है। अम्बिकापुर, लखनपुर, परतापपुर, डांड़बुल्ला और भैयाथान में बड़े बड़े बाज़ार हफ़्तेवार भरते हैं। राजधानी अम्बिकापुर में प्रायः सभी आवश्यक चीज़ें मिल जाती हैं।

सड़क-रास्ते—राज्य में एक ही सड़क राजधानी से दक्षिण की ओर खर्सिया रेलवे स्टेशन को जाने के लिए है पर बरसात में इस सड़क पर भी मोटरगाड़ी वग़ैरह नहीं चल सकतीं। दूसरे आने जाने के रास्ते अम्बिकापुर से लेड़ुआ होते हुए महरी को और पाल टप्पा के दक्षिण में परतापपुर और झिलमिली होते हुए कोरिया राज्य में से पेंडरा को हैं। इन रास्तों की थोड़ी बहुत मरम्मत बरसात के बाद कर देने से उन पर गाड़ियाँ चल सकती हैं पर माल ढोने के लिए अभी गाड़ियाँ काम में नहीं लाई जातीं। अम्बिकापुर से लखनपुर होते हुए कोरवा ज़मींदारी की तरफ़ भी एक रास्ता गया हुआ है। राज्य के उत्तरीय भाग में अच्छे रास्ते एक भी नहीं हैं जो गाड़ियाँ चलाने लायक़ बनाये जा सकें। पर हाल ही में अंबिकापुर से बोहला को

एक सड़क बनाई गई है जिससे बोहला व्यापार का केन्द्र बनता जाता है।

जलवायु—राज्य की जलवायु साधारणतः स्वास्थ्यकर है। जाड़े में ख़ूब ओस और कुहरा पड़ता है पर ग्रीष्म-ऋतु विशेष सुखदायी है। सन् १९०८ ईसवी तक राज्य में सरकारी तौर से जलवृष्टि की कोई सूची नहीं रक्खी जाती थी पर लोगों का अनुमान है कि वर्षा पहले से अब कम होती है। पिछले दस वर्षों की औसत वर्षा ६० इंच मापी गई है।

सनद-टकोली—सन् १८९९ ईसवी में सिरगुजा-नरेश को ब्रिटिश-सरकार से वह सनद प्राप्त हुई जिससे वे फ्यूडटरी चीफ़ माने गये। इस सनद का विस्तारपूर्वक वर्णन उपोद्घात में है। इस सनद के मुताबिक़ टकोली की तादाद २,५००) और म्याद २० साल रक्खी गई थी। सन् १९२० ईसवी में यह तरमीम की गई और अब १७ साल के लिए टकोली की तादाद ३,५००) सालना रक्खी गई है। बंदोबस्त ज़मीन, वसूली मालगुज़ारी, टिकसबंदी, न्यायवितरण, आबकारी, नमक और अफ़ीम-संबंधी बंदोबस्त, जंगल के ठेके व ऐसे ठेके-संबंधी विवादों का तसफ़िया, परोसी राजाओं के साथ विवादों का तसफ़िया, इन सब बातों में सिरगुजा-नरेश को पोलिटिकल एजंट साहब की राय के मुताबिक़ कार्रवाई करनी होती है। वे बग़ैर इजाज़त श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर के रियासत में

आने जानेवाले अन्न या दीगर तिजारती माल पर किसी क़िस्म का कर नहीं लगा सकते।

राज्यप्रबंध—राज्य का कुल प्रबंध श्रीमान् महाराजा साहब ही के हाथ में है। उनके दीवानी और माल के फ़ैसलों की कोई अपील नहीं है पर यदि पोलिटिकल एजंट साहब की दृष्टि में किसी फ़ैसले में कोई त्रुटि जँचे तो वे उन्हें उस मामले पर दुबारा विचार करने की सलाह दे सकते हैं। फ़ौजदारी में उन्हें सेशन जज के इख़्तियारात हैं पर सात वर्ष या इससे अधिक जेल की सज़ा के लिए पोलिटिकल एजंट साहब की और फाँसी की सज़ा के लिए श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर की मंजूरी की ज़रूरत होती है। श्रीमान् महाराजा साहब की अदालत के सिवा राज्य में दस दूसरी फ़ौजदारी और दीवानी अदालतें हैं। ब्रिटिश-सरकार के पेंशनयाफ़्ता एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर साहब राज्य के प्रधान मंत्री हैं। राज्य में क़ायदे-क़ानून प्रायः वही अमल में लाये जाते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में प्रचलित हैं।

आबकारी— राज्य में हर ३३ वर्गमील में एक शराब की भट्टी है जहाँ महुआ की शराब बनाई जाती है। ऐसी कुल २०० भट्टियाँ राज्य में हैं। साल बसाल इन भट्टियों में शराब बनाने और उसे बेचने का ठेका दिया जाता है जिससे रियासत को लगभग दो लाख रुपये तक सालाना आमदनी हो जाती है। कोरवा, कोड़ाखू, उराँव, भुँइहार और गोंड़ों में

शराब का प्रचार बहुत है। पहले ये लोग कुलथी, गोंधली और मेरू की शराब ख़ुद बना कर पिया करते थे पर अब इस क़िस्म की शराब का बनाना बिलकुल बंद कर दिया गया है।

अस्पताल—अम्बिकापुर, सीतापुर और बोहला में एक एक अस्पताल योग्य डाक्टरों की देख-रेख में है। एक और डाक्टर, राज्य में हमेशा दौड़ा कर रोगियों का उनके घरों में इलाज करने के लिए भी नियुक्त है। सालाना लगभग दस बारह हज़ार रोगी इन अस्पतालों से दवा पाते हैं। टीका लगाने के लिए आठ वेक्सिनेटर रक्खे हुए हैं जो हर साल पाँच सात हज़ार टीके लगाते हैं।

शिक्षा—राजधानी में अँगरेज़ी का एक हाई स्कूल और एक मिडिल स्कूल व हिन्दी की एक कन्या-पाठशाला और देहात में २१ बालकों की प्रायमरी पाठशालायें हैं। हाई स्कूल में ४२, मिडिल में १५८ बालक तथा ४८ कन्यायें कन्या-पाठशाला में शिक्षा पाती हैं। प्रायमरी स्कूलों में लगभग १,६०० बालक शिक्षा पाते हैं। शिक्षा की दिन-प्रति-दिन उन्नति और प्रचार होता जाता है।

पुलिस—राज्य में १३ पुलिस-थाने और ६ नाके हैं। मुलाज़िमों की संख्या मय एक इन्स्पेक्टर और १३ सब इस्पेक्टरों के २८३ है। इनके सिवा ९० जवान रिज़र्व पुलिस में और १२ सवार हैं। पुलिस कर्मचारियों को काम भी काफ़ी रहता है।

कोरवा लोग अक्सर डाका डालते रहते हैं। नक़ब व चोरी भी बहुत होती है। सन् १९२६ ईसवी में २५० और सन् १९२७ ईसवी में २२४ जुर्मों की रिपोर्टें दायर हुई थीं। सन् १९२७ ईसवी में संगीन जुर्मों की संख्या १९ थी। पुलिस कर्मचारियों के सिवा गाँवों की देख-रेख के लिए गुड़ैत या चौकीदार भी तैनात हैं। इन लोगों का वेतन गाँववाले ही देते हैं। ये लोग अक्सर पनका व घसिया जाति के होते हैं। इन लोगों का मुख्य काम गाँव के हाल चाल और फ़ौती पैदायश की रिपोर्ट थानों में करने का है।

जेल—राजधानी में एक जेल है जिसमें सन् १९२७ ईसवी के अंत में क़ैदियों की संख्या ६८ थी। क़ैदियों से कपड़ा बुनने, आटा पीसने, तेल पेरने, खेती करने या बाग़ीचा लगाने और सींचने का काम लिया जाता है।

मकानात-सड़कें—सिर्फ़ राजधानी में पक्की सड़कें हैं। बाक़ी सब सड़कें कच्ची हैं। राजधानी में राजमहल, जेल, अस्पताल, कचहरी वग़ैरह बहुत से पक्के मकानात हैं। इन सबकी मरम्मत करने और नई इमारतें बनाने में राज्य से सन् १९२७ ईसवी में १,१२,३७९) रुपये ख़र्च हुए थे।

तार, डाकघर—राज्य में दो तारघर और १४ डाकघर हैं। अंबिकापुर और बोहला के बीच टेलीफ़ून-लाइन भी लगी है।

आय-व्यय—सन् १९२७ ईसवी में राज्य की कुल आमदनी मुबलिग ५,७२,२७८) और ख़र्च ५,९२,३८१) था। आमदनी के मुख्य ज़रिये ये थे:—मालगुज़ारी ९९, ४६३), जङ्गल २,००,०७२), आबकारी १,८९,९२७), जेल ३,०७५) इत्यादि।

ख़र्च के मुख्य मद ये थे:—

टकोली ३,५००), ख़र्च राजघर २,२५,०६८), राज्य और तहसील-ख़र्च ३३,३८७), मुहकमा जंगल ४,७०१), जेल ७,६०१), पुलिस ३५,६३२), शिक्षा-विभाग १८,६३९), दवा-ख़ाना १४,०२९), बनवाई या मरम्मत मकानात व सड़क १,१२,३७९) इत्यादि।

प्रमुख स्थान

१. **अम्बिकापुर**—यह रियासत की राजधानी और श्रीमान् महाराजा साहब के रहने का स्थान है। उनका महल एक ख़ूबसूरत पक्की इमारत है जिसमें बिजली से रोशनी होती है व पंखे चलाये जाते हैं। अदालत, थाना, जेल, स्कूल, गेस्टहाउस (अतिथि-सदन) इत्यादि सरकारी इमारतें भी पक्की बनी हुई हैं। एक अच्छा बाज़ार शहर में है जिसमें सब तरह का सामान मिल सकता है। यहाँ महाराजा साहब ने बहुतेरे पंजाबी और बंगाली बसा लिये हैं जो उनकी मोटर, बग्घी,

बिजली वगैरह का काम किया करते हैं। शहर में कई अच्छी अच्छी सड़कें हैं जिनके दोनों तरफ़ मिर्ज़ापुर इत्यादि स्थानों से आकर बसे हुए महाजनों के पक्के मकान बने हुए हैं। यहाँ एक डाकख़ाना और तारघर भी है।

२. **डांड़बुल्ला**—रियासत के श्रीनगर टप्पे में यह एक मुख्य गाँव है। इसमें एक स्कूल और थाना है और यहाँ एक अच्छा हफ़्तेवार बाज़ार भरता है।

३. **डोंरा**—राजपुर टप्पे में यह मुख्य गाँव है।

४. **धौलपुर**—बिंजपुर टप्पा का मुख्य गाँव है जहाँ इस इलाक़े के इलाक़ेदार रहते हैं। यहाँ एक स्कूल और थाना है।

५. **जमीरापाट**—रियासत की पूर्वीय सरहद पर यह क़रीब दो मील चौड़ी और साढ़े तीन हज़ार फ़ुट ऊँची उच्च समभूमि है।

६. **झिलमिली**—इसे भैयास्थान भी कहते हैं। यह झिलमिली टप्पे का मुख्य गाँव है। यहाँ इस टप्पे के इलाक़ेदार भैया शिवप्रसादसिंह देव रहते हैं। उनके महल के सिवाय एक स्कूल और एक पुलिस-थाना भी है। यहाँ हफ़्तेवार एक अच्छा बाज़ार भरता है। इसके आस-पास अभरख़ और कोयला पाया जाता है।

७. **जूबा**—मनपुरा गाँव के दक्षिण-पूर्व के कोने पर क़रीब दो मील पर यहाँ एक पुराना ऊजड़ क़िला है जो एक पहाड़ी

चट्टान पर बना हुआ है। इसके चारों ओर गहरी घाटी और घना जंगल है और इस जंगल में कुछ पुराने मंदिर हैं जो चट्टान काटकर बनाये गये हैं।

८. **लखनपुर**—रामपुर टप्पे का मुख्य स्थान है। यहाँ एक स्कूल, थाना और डाकघर है। अम्बिकापुर को छोड़ रियासत में यह सबसे बड़ा गाँव है। गाँव में कई पक्के मकान हैं जिनमें खोर पोशदार साहब का मकान बहुत सुन्दर बना हुआ है। बाज़ार में कई गोदाम हैं जिनमें बहुत से व्यापारी ग़ल्ला ख़रीद कर रखते हैं। उपयेाग की मामूली सभी चीज़ें बाज़ार में मिल सकती हैं। खोर पोशदार साहब ने दो धर्म-शालायें बनवा दी हैं जिनसे व्यापारियों को बहुत आराम मिलता है। यहाँ दो बड़े बड़े तालाब और कई कुएँ हैं।

९. **लेड़ुआ**—राजपुर टप्पा का मुख्य स्थान है। यहाँ एक थाना भी है। पहले यह लेड़ुआ ज़मीन्दार के रहने का स्थान था पर अब यह ज़मीन्दारी ज़ब्त होगई है। यहाँ काली के मंदिर के बहुत से नष्ट-भ्रष्ट चिह्न हैं और कई अच्छे अच्छे तालाब हैं। थाने के पास खेतों में बहुत से बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जिनमें मूर्तियों की टूटी-फूटी नक्क़ाशी अब भी देखने में आती है। यहाँ हर साल फ़रवरी में मेला भरता है।

१०. **मैनपाट**—यह रियासत की दक्षिणी सरहद पर एक विस्तृत उच्च समभूमि है। लम्बाई इसकी १८ मील, चौड़ाई ६ से ८ मील और उँचाई ३,७८१ फ़ुट है। इस

समभूमि के दक्षिण हिस्से से कई श्रेणियाँ उदयपुर-रियासत में चली गई हैं। उत्तरीय हिस्से में यह उपत्यका मिर्ज़ापुर और बिहार की सीमाबन्दी करती है।

११. **पहाड़बुल्ला**—श्रीनगर टप्पा का मुख्य क़स्बा है। यहाँ पहले उदयपुर के राजा साहब सिरगुजा के खोरपोशदार की हैसियत से निवास करते थे। उनके पुराने महल के चिह्न यहाँ अभी तक मौजूद हैं।

१२. **परतापपुर**—परतापपुर टप्पे का मुख्य क़स्बा है। यह टप्पा उदयपुर-नरेश को सिरगुजा-रियासत से खोरपोशदारी में मिला हुआ है। यहाँ एक स्कूल और थाना है। उदयपुर-नरेश की तरफ़ से इलाक़े की देख-रेख के लिए एक मैनेजर साहब भी यहाँ तैनात हैं। जब राजा विंध्येश्वरीप्रसादसिंह देव सिरगुजा-राज्य के कारबार की देख-रेख करते थे तब उन्होंने अपना निवासस्थान यहीं रक्खा था। उनका महल अब तक विद्यमान है और पुराने जेल और अदालत की इमारतें अब भी खड़ी हुई हैं। यहाँ एक बाज़ार भी भरता है।

१३. **रामगढ़**—इस पहाड़ी पर अनेक प्राचीन स्थान हैं जिनका वर्णन आगे किया जा चुका है।

१४. **शिवपुर**—परतापपुर टप्पे का एक क़स्बा है जहाँ राजा धर्मजीतसिंह की रानी के बनाये हुए तालाब और मंदिर और उन्हीं की लगाई हुई अमराई भी है।

१५. **श्रीनगर**—श्रीनगर इलाक़ा जो श्रीमान् राजा साहब उदयपुर को खोरपोशदारी में दिया गया है, उनका यह मुख्य स्थान है। उक्त राजा साहब का यहाँ एक अनाज-भंडार है और इस इलाक़े के मैनेजर साहब भी यहीं रहते हैं।

१६. **बोहला**—अम्बिकापुर गढ़वा सड़क पर यह व्यापार का मुख्य स्थान है। श्रीमान् महाराजा साहब ने यहाँ एक बाज़ार व कई गोदाम, धर्मशालायें वग़ैर: बनवा दी हैं। अम्बिकापुर से बोहला तक टेलीफोन का तार लगा हुआ है।

इति

द्वितीय ध्वनि

उदयपुर

उदयपुर-नरेश राजा चन्द्रचूड़प्रसादसिंह देव

उदयपुर-नरेशों की फ़ेहरिस्त

१ राजा विंध्येश्वरीप्रसादसिंह बहादुर, सी० एस० आई०
२ ,, धर्मजीतसिंह
३ ,, चंद्रशेखरप्रसादसिंह देव, ओ० बी० ई०
४ ,, चंद्रचूड़प्रसादसिंह देव

उदयपुर राज्य के दीवान साहबों की फ़ेहरिस्त

मि० जी० जे० मिअर्स—१९०५-१९०८

मि० डी० आर० डैली—१९०८

मि० अब्दुलगफ़ूरख़ाँ—१९०८-१९०९

मि० बी० आर० बखले—१९०९-१९१३

रायबहादुर अनन्तलाल—१९१३-१९१८

मि० शाह ज़ाहिरआलम—१९१८-१९१९

मि० डी० एन० राय—१९१९-१९२०

मि० पी० बनरजी—१९२०-१९२१

मि० बी० आर० बखले—१९२१-१९२३

पंडित गोरेलाल पाठक—वर्तमान

सीमा-क्षेत्रफल—इस रियासत का क्षेत्रफल १,०५२ वर्गमील है। इसके उत्तर में सिरगुजा का राज्य, पूर्व में जशपुर और रायगढ़ के राज्य, दक्षिण में रायगढ़ का राज्य और पश्चिम में बिलासपुर ज़िला है। उदयपुर राज्य की राजधानी धर्मजयगढ़ है।

स्वाभाविक विभाग, नदियाँ—राज्य की उत्तरीय सीमा पर मैनपाट नामी उच्चसमभूमि दीवाल सरीखी खड़ी हुई है। इस उपत्यका की ऊँचाई समुद्र की जल-सतह से ३,७८१ फ़ुट तक है। मैनपाट की तराई में माँद नदी के किनारे की उपजाऊ ज़मीन तक क़रीब १५०० फ़ुट का लगातार एक सा उतार चला गया है। आगे भी राज्य की दक्षिणीय सीमा तक और रायगढ़ रियासत तक यह उतार बढ़ता गया है। राज्य का उत्तरीय हिस्सा पहाड़ी और जंगली है पर दक्षिणी हिस्सा सम और साफ़ है। राज्य की प्रायः सभी नदियाँ मैनपाट से निकली हैं। इनमें सबसे बड़ी माँद नदी है जो मैनपाट की तराई में बहती हुई दक्षिण की ओर क़रीब १५ मील तक चली गई है फिर पश्चिम की ओर मुड़कर राजधानी धर्मजयगढ़ पर से राज्य की सीमा तक जाकर बिलासपुर ज़िला और उदयपुर राज्य के बीच की सीमा बनाती हुई दक्षिण को बहती हुई रायगढ़-राज्य में प्रवेश कर महानदी में जा मिली है। नदी का बहाव

अधिकतर पहाड़ी हिस्से में होने के कारण नावें नहीं चल सकतीं। जहाँ-तहाँ उसे पार करने के लिए डोंगे चलते हैं। राज्य में और भी बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ हैं। यथा-संगुल, भैरारी, कोएरगा, सरई, कुरकेल इत्यादि, जो सभी माँद नदी में मिली हैं।

खनिज पदार्थ—राज्य के खनिज पदार्थों की विशेष रूप से जाँच नहीं हुई है पर अधिक मिक़दार में पत्थर का कोयला मिलने की सम्भावना है। धर्मजयगढ़ के पूर्व में दो मील के फ़ासले पर कुम्हार लोग पत्थर का कोयला निकाल उसे ईंट पकाने के काम में लाते हैं। धर्मजयगढ़ के पश्चिम क़रीब चार मील के फ़ासले पर माँद नदी की तरी में पत्थर का कोयला जगह बजगह दीखता है। राज्य के दक्षिण में माँद नदी के किनारे लाटगाँव के पास भी कोयला है। सोना, लोहा, अभरख़, और चूने का पत्थर भी थोड़े-थोड़े मिक़दार में राज्य में मिलता है।

जंगल—लगभग छः सात सौ वर्गमील क्षेत्रफल में जंगल है, जिसमें से आधे के क़रीब रक्षित है। जंगल में साल के झाड़ ही अधिकतर हैं। प्रायः प्रत्येक गाँव के पास साल के झाड़ों का एक एक बग़ीचा-सा रखाया गया है। ऐसे रखाये हुए टुकड़ों को सेवना कहते हैं। हर साल ऐसे कुछ हिस्सों के झाड़ काटकर स्लीपर बनाने और निकालने का ठेका दे दिया जाता है। राज्य के उत्तरीय हिस्से में करीब आधे से अधिक

हिस्से में जंगल ही है। दक्षिण में भी रायगढ़-राज्य की पहाड़ियों से मिलते हुए हिस्से में अच्छा जंगल है। साल के अतिरिक्त बीजा, साजा, शीशम, हर्रा, महुआ, तेंदू, चार, कुसुम, पलास और बाँस भी जंगल में क़ाफ़ी है। कुसुम और पलास पर लाख पैदा की जाती है। साजा पर टसर के कीड़े पैदा किये जाते हैं। आबादी के पास हर कहीं आम, जामुन, मुनगा, डूमर, बड़, पीपर, नीम, कदम, इमली और सीताफल देखने में आते हैं। सन् १९२७ में जंगल की कुल आमदनी ८९,५८३) थी। आमदनी के मुख्य मद लाख, हर्रा, स्लीपर और तेंदू के पत्ते हैं।

जंगली जानवर—जंगली भैंसे अब राज्य में नहीं हैं पर उत्तरीय पहाड़ियों में गौर अब भी मिलते हैं। जंगलों में शेर, चीता, भालू, जंगली सुअर, साम्हर, चीतल, नीलगाय अधिकता से पाये जाते हैं। दक्षिण में जंगली हाथी भी पहले मिलते थे पर अब कभी देखने में नहीं आते।

इतिहास—इस राज्य के इतिहास का सिरगुजा-राज्य के इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि यह इलाक़ा पहले सिरगुजा-राज्य में सम्मिलित था और यहाँ के नरेश सिरगुजा-नरेश के वंशज हैं। प्राय: १७०० वर्ष पहले सिरगुजा और उदयपुर के इलाक़े वर्तमान सिरगुजा-नरेश के एक पूर्वज के हाथ में आये। उस वक़्त उन्होंने उदयपुर का इलाक़ा अपने छोटे भाई को दे दिया जिनके वंश में यह इलाक़ा प्राय: सन्

१८१८ ईसवी तक रहा। उस वक़्त राजा कल्यानसिंह यहाँ के नरेश थे और सिरगुजा-नरेश की मार्फ़त अपनी टकौली ब्रिटिश-सरकार को देते थे। सन् १८५२ ईसवी में उनको तथा उनके दो भाइयों को नर-वध के अभियोग में जेल की सज़ा दी गई और उदयपुर का राज्य अँगरेज़ सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सन् १८५७ ईसवी के बलवे के वक़्त सुअवसर पा ये तीनों भाई जेल से भाग निकले और उदयपुर पहुँच थोड़े दिनों के लिए उन्होंने फिर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पश्चात् इनमें से दो भाई मर गये और सन् १८५९ ईसवी में तीसरा भाई पकड़ लिया गया और मनुष्य-वध एवं अराजकता का क़ुसूर सबूत होने पर उसको आजन्म काले पानी की सज़ा हुई। सन् १८६० ईसवी में सिरगुजा-नरेश के छोटे भाई लाल विंध्येश्वरीप्रसादसिंह देव को जिन्होंने बलवे के वक़्त ब्रिटिश-गवर्नमेंट को अच्छी मदद दी थी यह इलाक़ा दे दिया गया। ये सिरगुजा-राज्यान्तर्गत परतापपुर इलाक़े में जो सिरगुजा-नरेश से इन्हें खोरपोशदारी में मिला था रहते थे और बहुत प्रभावशाली और राजकार्य में दक्ष थे। सन् १८७१ ईसवी में इन्होंने क्योंझर राज्य के बलवाइयों को दबाने में बड़ी मदद दी इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें सुनहली कामदार झूल-सहित एक हाथी और एक सोने की घड़ी और जंज़ीर धन्य-वाद-सहित भेंट दी। कुछ दिनों के पश्चात् ये राजा बहादुर और सितारेहिन्द (C. S. I.) की उपाधि से भी विभूषित

किये गये। सन् १८७६ ईसवी में इनकी मृत्यु होगई और इनके पुत्र राजा धर्मजीतसिंह देव उदयपुर के गद्दीनशीन हुए। इन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर इलाक़े के रावकोब गाँव में स्थापित की और उसका नाम धर्मजयगढ़ रक्खा और यही अब उदयपुर-राज्य की राजधानी है। सन् १९०० ईसवी में इनका परलोक होने पर उनके पुत्र राजा चन्द्रशेखरप्रसादसिंह देव गद्दीनशीन हुए। उस वक़्त इनकी अवस्था प्रायः तेरह वर्ष की थी इसलिए राजकार्य का भार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया और वे राजकुमार-कालेज रायपुर में शिक्षा प्राप्त करने लगे। सन् १९१२ ईसवी में शिक्षा पा चुकने पर आप ख़ुद अपना राज्य-कार्य सँभालने लगे। सन् १९१९ ईसवी में आप ओ० बी० ई० के ख़िताब से विभूषित किये गये थे। आपका देहान्त दिसम्बर सन् १९२५ में ३९ साल की उमर में हुआ। आप पुत्रहीन थे इसलिए मृत्यु से थोड़े दिन पहले आपने वर्तमान सिरगुजा-नरेश के तृतीय पुत्र लाल चन्द्रचूड़प्रसाद-सिंह देव को गोद ले लिया था। राजा चन्द्रचूड़प्रसादसिंह देव की उम्र अभी पाँच साल की है और ये ही उदयपुर-राज्य के वर्तमान नरेश हैं।

जन-संख्या, लोग—सन् १८८१ ईसवी में राज्य की जन-संख्या ३३,९५५ थी। सन् १८९१ में ३७,५३६, सन् १९०१ में ४५,३९१, सन् १९११ में ६४,८६५ और सन् १९२१ की गणना के अनुसार जन-संख्या ७१,१२४ है। इस

प्रकार प्रत्येक वर्गमील पीछे आज-कल राज्य में ६८ मनुष्य बसते हैं। गाँवों की संख्या लगभग २०० है। राज्य में हिन्दुओं ही की संख्या अधिक है। मूल-निवासियों में सबसे अधिक कौंर जाति के लोग हैं। ये लोग अपने को उन क्षत्रियों का वंशज बतलाते हैं जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पाँडवों से हार इस ओर भाग कर बसे थे। बागबहार के ज़मींदार इनके मुखिया हैं। ज़मींदार साहब के कहने से कौंर लोगों ने कुछ दिनों से मुर्ग़ी पालना व खाना और शराब पीना बन्द कर दिया है। ये लोग शिव-उपासक हैं पर भूत-प्रेत पर इनका दृढ़ विश्वास है और बहुत से दूसरे देवी-देवता भी पूजते हैं। इन देवताओं में गिरसिया गाँव का एक गौंटिया भी है जिसे शेर ने मार डाला था। इन लोगों का विश्वास है कि उक्त गौंटिया की आत्मा एक मनुष्यघाती शेर के स्वरूप में समय समय पर आया करती है। गाँव के पुरोहित प्राय: बैगा लोग ही हैं पर अब अधिकतर वैरागियों का मान होने लग गया है। बागबहार के ज़मींदार के पुरोहित एक उड़िया ब्राह्मण हैं। भुंईया, चीक, मंझवार, मुंडा, उरांव और पाब क़ौम के लोगों की भी संख्या राज्य में अच्छी है। गोंड़ जाति के लोग चाँदा ज़िले की ओर से आकर यहाँ बसे हैं। पहले इन लोगों में से कई ज़मींदार थे पर अब छाल और सूर के अतिरिक्त और कोई ज़मींदारियाँ गोंड़ों के अधिकार में नहीं हैं। राजगोंड़ों का आचार-व्यवहार

हिन्दुओं-सरीखा है पर धुर गोंड़ कौरों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं।

गाँव-घर—गाँवों के कई पारे (मुहल्ले) होते हैं जो दूर दूर पानी का सुभीता देखकर ऊँची ज़मीन पर बसे हुए हैं। एक एक जाति का प्रायः अलग अलग पारा होता है। मुख्य किसानों के झोपड़े गौंटिया के घर के आस-पास होते हैं। धनी किसान के घर में चार-पाँच कमरे होते हैं और सामने और पीछे हाता खिँचा हुआ होता है जिसमें उसके बनिहार व जानवरों के रहने की जगह होती है। ग़रीब किसानों के घर में सिर्फ़ एक कमरा और सामने परछी रहती है। अधिकतर मकान फूस ही से छाये जाते हैं पर अब कबेलू का भी प्रचार बढ़ता जाता है। मकानों की दीवालें या तो मिट्टी की अथवा मिट्टी से छपी हुई लकड़ी की होती हैं।

रहन-सहन—लोगों का जीवन प्रायः दाल, चावल ही पर निर्भर है। ब्यालू के लिए तरकारी या मछली पका लेते हैं। सुबह बासी (पिछली रात का पकाया हुआ चावल) और नमक खा कर रह जाते हैं। जिनको काफ़ी चावल न मिल सका वे पेज (माँड़) ही पीकर गुज़र करते हैं। जंगल के कंद-मूल से भी इनका निर्वाह होता है।

मर्द धोती पहिनते हैं, सिर पर पगड़ी बाँधते हैं और एक कपड़े का टुकड़ा (पिछौरी या अंगोछा) शरीर पर डाल लेते हैं। मुख्यतः मोटा सूती कपड़ा ही पहिनते हैं पर भले लोग कोसा

का कपड़ा भी पहिनते हैं। स्त्रियाँ एक ही कपड़े को पहिनने और ओढ़ने के काम में लाती हैं और पीतल या अन्य कम क़ीमती धातु के कड़े, बाजू, सुतिया, पहुँची और ढार वग़ैरह बड़े शौक से पहनती हैं। मर्द भी चाँदी के कड़े और करधन पहिनते हैं। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं कि जिनके यहाँ भोजन पकाने को पीतल के काफ़ी बर्तन हों। गृहस्थी का कुल सामान दो एक खाटें व दो चार मचियाँ ही होती हैं।

शादी-विवाह—लड़के-लड़कियों का विवाह लगाने के लिए पंडित व नाई की ज़रूरत नहीं होती, उनके मा-बाप ही सब ठीक कर लेते हैं। विवाह के रसूमात के लिए ब्राह्मण वग़ैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। विवाह-तिथि जाति की पंचायत नियत कर देती है और विवाह के रस्म वग़ैरह अधिक-तर दुलहिन ही के घर में तीन दिन तक होते रहते हैं। ब्राह्मण की जगह सात सुहागनें भाँवर पड़ाती हैं जिसके लिए इन्हें एक एक साड़ी दी जाती है। नव-विवाहिता जोड़ी को उनके नाते रिश्तेवाले रुपया, पैसा, बर्तन भाँड़े उपहार में देते हैं। विधवा-विवाह भी इन लोगों में प्रचलित है, इस अवसर पर अधिक धूम-धाम की आवश्यकता नहीं होती। विधवा नये पति के नाम से पंचों के सामने फिर से चूरी पहिन लेती है और नये पति की दी हुई साड़ी पहिन पति-सहित उपस्थित समाज को प्रणाम करती है। तत्पश्चात् पति उसका दहिना कान छू देता है। यही विधवा-विवाह-क्रिया की समाप्ति है।

नाचने-गाने की पोशाक़ में कौंर लोगों का एक समूह

नाच-खेल—मूल-निवासियों का मनोरंजन गाने और नाचने में ही है। गोंड़ लोग करमा नाचते हैं। स्त्री-पुरुष श्रेणी-बद्ध हो आमने सामने खड़े हो जाते हैं और मर्द ढोल बजाकर और स्त्रियाँ झुकझुक कर प्रेम-पद्य अलापती हैं। लड़के बरसात में गेड़ी पर चढ़कर दौड़ते फिरते हैं और सूखे दिनों में गिल्ली खेला करते हैं। लड़कियाँ गुड़ियाँ और आँखमिचौनी खेलती हैं।

प्रख्यात वंश—राज के प्रधान व्यक्ति चाल परगने के राजगोंड़ ज़मींदार और बाघबहार और सूर के ज़मींदार हैं। गौंटियों में धसकामुंडा और लुरेग के गौंटिये मुख्य गिने जाते हैं।

भूमि, कृषि, फ़सल—राज्य में कन्हार और डोरसा ज़मीन (काली) नाम-मात्र ही को है। अधिकतर मटासी (पीली) ज़मीन ही है जिसमें धान की खेती होती है। पाल कछार (रेतीली भूमि) भी जगह बजगह है। मामूली पथरीली ज़मीन, भाटा, और पटपर, कछार कहलाती है। भूमि की स्थिति के अनुसार खेत बहरा, गभार, नार, डरहा और टिकरा कहलाते हैं। प्रथम तीन में धान बहुतायत से पैदा होता है। नदी के किनारे की पाल कछार ज़मीन से दो फ़सलें ली जाती हैं।

विशेषत: धान ही की खेती होती है। अधिकतर 'बोनी' तरीक़े से ही धान पैदा किया जाता है पर कोई कोई 'रोपा' भी

लगाने लग गये हैं और 'लेई' तरीक़े से भी फ़सल लेते हैं। हरूना और गरूना दो क़िस्म का धान पैदा किया जाता है। पहले की फ़सल जल्द आती है और दूसरे की देर से। अच्छे क़िस्म का चावल जो पैदा किया जाता है उसके नाम—लक्ष्मी-भोग, रघुवर, दुबराज, रामकाजर और कनकेजर हैं। दालों में उरद, मूँग और अरहर पैदा की जाती हैं। अगहनी अरहर जो नवम्बर माह में तैयार हो जाती है, अधिकतर पैदा की जाती है। कोदों, खेदी, जवा और कंग बहुतायत से पैदा किये जाते हैं और पहाड़ी इलाक़े में रेंडी और बेदी ही मुख्य पैदावार है। तिल, जटंगी, अंडी और सरसों की भी अच्छी खेती होती है। कपास भी जगह बजगह डाही या बेवर तरीक़े से पैदा किया जाता है। उत्तरीय इलाक़े में गेहूँ की भी खेती होती है और चना प्राय: सभी गाँवों में थोड़ा-बहुत बोया जाता है।

मवेशी—राज्य के मवेशियों से लोगों की आवश्यकता पूरी न होने के कारण 'सत्ती' और 'ब्रह्मनी' के बाज़ार से बहुत से मवेशी हर साल लाये जाते हैं। मवेशी बाहर की चराई पर ही निर्भर रहते हैं। घर पर सिर्फ़ थोड़ा बहुत प्याल शाम को दे दिया जाता है। भले किसान भैंसें भी रखते हैं। बकरे और भेड़ें गाँवों में अधिकतर पाई जाती हैं पर इनका उपयोग बलिदान देने ही में लाया जाता है।

तकावी—राज्य से ज़मीन की तरक्क़ी और बैल ख़रीदने को तकावी दी जाती है। भंडारों से सवाई बाढ़ो पर बीज भी

मिल जाता है। साहूकार लोग भी क़र्ज़ देते हैं पर वे दो से पाँच रुपया सैकड़ा तक सूद लेते हैं।

भाव—पचास साठ साल पहले धान रुपये का दस मन, चावल पाँच मन, उरद और मूँग तीन, साढ़े तीन मन, कपास दो मन और कोदों आठ मन मिलता था। सन् १८८५ ईसवी में चावल रुपये का एक मन और उरद, मूँग, तिल, तीस सेर के मिलते थे। ये ही चीज़ें अब रुपये की दस बारह सेर मिलती हैं। बंगाल नागपुर रेल की लाइन रियासत की सरहद से सात मील पर से और राजधानी से चालीस मील पर से गई है और इसी सबब से अनाज के भाव की अब यह हालत है।

मज़दूर—मज़दूरों को कमियाँ कहते हैं जो चार प्रकार के होते हैं। यथा (१) सवखा, (२) मामूली कमियाँ, (३) परिखा कमियाँ, (४) बूढ़ा कमियाँ। सवखा वे मज़दूर हैं जिन्हें बिला ब्याज कुछ रुपये दे दिये जाते हैं और ब्याज ही उनकी मज़दूरी समझी जाती है। इसके सिवाय उन्हें रोज़ीना ख़ुराक, और साल में कोई कपड़ा और एक कम्बल दिया जाता है। रुपया चुका देने पर सवखा दूसरे मालिक की नौकरी कर सकता है। मामूली कमियाँ को क़र्ज़ नहीं दिया जाता न उसे ख़ुराक दी जाती है। उसे सिर्फ़ पका हुआ भोजन दिया जाता है और कभी कोई कपड़ा भी मिल जाता है। मामूली कमियाँ जिसने खाने को दिया उसी का काम करता है। परिखा कमियाँ

किसान होते हैं पर उनके पास नागर बैल न होने से वे किसी धनी किसान की ज़मीन दो रोज़ जोत देते हैं जिसके बदले वे उसके नागर बैल से अपनी ज़मीन एक रोज़ जोत सकते हैं। बूढ़ा कमियाँ वे हैं जिन्होंने ब्याज पर क़र्ज़ लिया है पर क़र्ज़ अदा नहीं कर सकते, इसलिए इनके क़र्ज़ की अदाई में १२) साल के हिसाब से काट दिया जाता है और जब तक कुल ब्याजसहित क़र्ज़ अदा न हो जावे उनसे काम लिया जाता है। उन्हें खुराक नहीं दी जाती पर साल में कपड़ा और कम्बल दे देते हैं। इस क़िस्म के कमियें राज्य में बहुत थोड़े हैं।

चरवाहे को जिन लोगों के मवेशी वह चराता है वे रोज़ शाम को कुछ अनाज दे देते हैं और हर चौथे दिन कुल जानवरों का दूध उसका होता है। उसे कुछ माफ़ी ज़मीन भी गाँव में दी जाती है। कमियों की औरतें मवेशियों की सार (रहने का स्थान) रोज़ साफ़ करती हैं जिसके लिए साल में उन्हें दो लुगड़ा (धोती) मिलते हैं। गाँव के परजा याने गुरैत (कोटवार), नाई, धोबी और पंडित को माफ़ी ज़मीन रहती है और मौक़े मौक़े पर थोड़ा बहुत ग़ल्ला भी दिया जाता है।

व्यवसाय—लोगों की सामान्य ज़रूरतों के अनुसार उनका व्यवसाय भी सामान्य है। पनके चीक और महरे मोटा कपड़ा बुनते हैं। भरेबा और कसेर पीतल वग़ैरह के गहने गढ़ते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन, ईंट और खपरा बनाते पकाते हैं। लोहार नागर वग़ैरह खेती-संबंधी सामान व घर

का निस्तारू लोहे का सामान बनाते हैं और चमार जूता, पानी खींचने की मोट व हल के जोत वग़ैरह बनाते हैं।

नाप-तौल—अनाज का माप ताँबी, मन और चुरकी से होता है। ताँबी में १२० तोला चावल, मन में ४० तोला और चुरकी में २० तोला आता है। बीस ताँबी की एक खंडी और दस खंडी का एक गोना होता है।

बाज़ार—राजधानी धर्मजयगढ़ में हफ़्ते में दो बार बाज़ार भरता है और रियासत में और कई जगह हफ़्तेवार बाज़ार भरते हैं जिनमें मुख्य पाथल गाँव और महराजगंज के बाज़ार हैं।

व्यापार—बंगाल नागपुर रेल खुलने के पहले रियासत में आनेवाली वस्तुएँ गया, मिर्ज़ापुर व कलकत्ते से बैलों पर लदकर आती थीं। अब खर्सिया स्टेशन से बैलगाड़ियों पर लाई जाने लगी हैं। बाहर से आनेवाली मुख्य चीज़ें नमक, तम्बाकू, कपड़ा, गुड़, शक्कर, मसाला, मिट्टी का तेल, लोहे और पीतल वग़ैरह के बर्तन हैं। रियासत से बाहर जानेवाली वस्तुओं में मुख्य चावल, महुआ, चिरोंजी, चमड़ा, सींग, मोम, लाख, सरसों, तिल, घी और कपास हैं।

सड़कें—खर्सिया स्टेशन से जो रायगढ़-राज्य में है धर्मजयगढ़ तक मुरम की सड़क है जो सिरगुजा-राज्य की हद तक चली गई है। बाक़ी कई गाड़ी के रवन (दर्रा) हैं जिनमें से एक सकती-राज्य को और दूसरा पूर्व को तमता तरफ़ गये हैं।

अकाल—स्याने लोगों को जो सबसे पहले अकाल की याद है वह सन् १८६८ का बतलाते हैं। उनका कहना है कि पहले तो अधिक बारिश होने के सबब फ़सल सड़ गई और जब फिर से बोये हुए बीज के पौधे तैयार हुए तब बरसात बंद हो जाने से वे सूख गये। लोगों ने जंगल की पैदावार पर निर्वाह करना शुरू कर दिया और कंद-मूल-फल खाकर दिन काटने लगे। लाख की पैदावार अच्छी होने के सबब रिआया के पास पैसा था पर अनाज नहीं मिलता था। ऐसे वक़्त पर राजा विंध्येश्वरीप्रसादसिंह ने उनकी रक्षा के लिए अपने भंडारों के द्वार खोल दिये और रुपये का आठ सेर के भाव से चावल और १२ सेर के भाव से ज्वार और कोदों लोगों को देने लगे। फिर गौंटियों और किसानों को बोने के लिए सवाई बाढ़ी से गल्ला भी दिया जिसका फल यह हुआ कि बहुत ज़मीन पड़िया न रही और फ़सल अच्छी होने के सबब किसानों ने दूसरे साल सब क़र्ज़ अदा कर दिया। सन् १८८७ में फिर फ़सल अच्छी नहीं हुई और ग़ल्ले की माँग और निकासी राज्य के बाहर होने के सबब चावल रुपये का ६ या ७ सेर का होगया। राज्य की ओर से उस साल अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिए जगह बजगह तालाब, बाँध और सड़कें बनाने का काम खोला गया और ग़रीबों के उदर-पोषण को बहुत से भोजनालय खोलकर ब्राह्मणों-द्वारा व्यवस्था की गई। लोगों को रुपया-पैसा तथा ग़ल्ला निस्संकोच उधार दिया

गया पर अकालपीड़ितों की मृत्यु-संख्या फिर भी अधिक रही। सन् १८९९-१९०० में ब्यासी होने के पहले ही वर्षा बंद हो जाने के सबब फ़सल सूख गई। चावल रुपये का आठ सेर होगया और लोग कंद-मूल तथा जंगली पैदावार पर निर्वाह करने लगे। बीज के लिए इस साल भी राज्य की ओर से गल्ला बाढ़ी पर दिया गया। सन् १९०७ में फिर वर्षा समय पर न होने से फ़सल अच्छी न हुई पर लोगों की ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत गल्ला हो ही गया और इस साल लोगों को अधिक कष्ट नहीं हुआ। सन् १९१९ में फिर भी फ़सल अच्छी नहीं हुई इसलिए राज्य की ओर से तालाब, बाँध वग़ैरह बनाने के काम खोल दिये गये और बीज और मवेशी ख़रीदने के लिए क़र्ज़ दिया गया।

ज़मीन लगान—अनाज की निकासी न होने से जब तक बंगाल नागपुर रेलवे नहीं खुली तब तक रियासत में ज़मीन की तरक्क़ी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। राजा शिवराजसिंह के ज़माने में गौंटियों और प्रजा की पंचायत से गाँव व ज़मीन का भरना तय हुआ। सिर्फ़ धोइन ज़मीन पर, जिसमें धान पैदा हो सकता है, लगान लगाया गया था। डाँड़ व टिकरा इसलिए माफ़ी में छोड़ दिये गये थे कि प्रजा रियासती काम में बेगार दें। गाँव का भरना (मालगुज़ारी) तय होने पर गाँव के गौंटिया और किसान आपस में सलाह कर किसान की खूँटी पर बिजवार के हिसाब से लगान की रक़म

बाँट देते थे। एक खूँटी ज़मीन में एक खंडी धान बोई जा सकता थी। ज़मीन की हैसियत के मुताबिक खूँटी पर कम-बेशी लगान लगाया जाता था। गौंटिया की ज़मीन जो गाँव की कुल ज़मीन का दसवाँ हिस्सा होती थी और प्रायः सबसे अच्छी रहती थी माफ़ी में छोड़ दी जाती थी। अभिप्राय यह कि इस तरीक़े से प्रत्येक बन्दोबस्त में जो बेशी लगान होता था वह रिआया ही को देना पड़ता था। गौंटिया सिर्फ़ कुछ नज़राना ही राजा को देता था जिसके बदले उसे एक पान और एक पगड़ी मिलती थी। कोई कोई गौंटिये तो यह नज़राना भी किसानों ही से वसूल कर लेते थे। पर गाँव का लगान उस ज़माने में नाममात्र ही को था। रियासत की आमदनी औसत प्रतिगाँव के पीछे करीब ५) पड़ती थी। रुपये-पैसे की चलन क़रीब क़रीब थी ही नहीं। लगान प्रायः रस्सी, टोकनी, मछली, धान या कौड़ियों में वसूल किया जाता था। एक नागपुरी रुपये की ७,२०० कौड़ियाँ होती थीं।

राजा बिंध्येश्वरीप्रसाद के ज़माने में भी लगान का यही तरीक़ा रहा। वे अधिकतर सिरगुजा-राज्यान्तर्गत परतापपुर में रहते थे जो कि एक अच्छा इलाक़ा था। इस सबब उदयपुर रियासत की तरक्क़ी की तरफ़ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर उनके ज़माने में गाँव का लगान दूना यानी गाँव पीछे क़रीब १०) होगया था। उनके बाद जब राजा धर्मजीतसिंह गद्दी पर बैठे और अपनी राजधानी धर्मजयगढ़ में क़ायम की तब

उन्होंने लगान की वसूली नक़दी में शुरू की और गाँव का औसत लगान ५०) तक बढ़ा दिया। सबसे अच्छी ज़मीन पर खूँटी पीछे १), दूसरे दर्जे की ज़मीन पर ।।=) और तीसरे दर्जे पर ।।) लगान मुक़र्रर किया। इन्होंने कुछ मुलाज़िम भी मुक़र्रर किये जिन्हें ठेकेदार कहते थे और जिनको गाँव पीछे १) वसूल कर तनख़्वाह दी जाती थी। इनका काम गाँव की दशा और गाँव से कितना लगान वसूल हो सकता है इसके अंदाज़ की इत्तिला देना था। साथ ही साथ इन्होंने लगान के सिवा क़रीब ३० क़िस्म के अव्वाब लेना शुरू किये। ये तीसों अव्वाब प्रत्येक मनुष्य को नहीं देने पड़ते थे पर कोई भी ऐसी रिआया नहीं थी जो इससे एकदम बरी हो। भीख माँगने-वालों तक को भी कोई न कोई अव्वाब देना पड़ता था। जंगल का भी बहुत सा हिस्सा ममनुआ किया गया जिससे जंगल की बहुत सी पैदावार जो अभी तक रिआया को माफ़ी थी अब बिना महसूल दिये मिलना बंद होगया। इस तरह से रिआया पर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ गया पर सन् १९०० में इनके देहान्त के बाद वर्तमान राजा साहब की नाबालिगी में सरकारी बन्दोवस्त होने पर ये मुतफर्क़ात कर बंद कर दिये गये और सन् १९०९-१० में ज़मीन का नाप करके बाक़ायदा बन्दोबस्त जारी कर दिया गया।

सनद-टकोली—ब्रिटिश सर्कार से इस रियासत का सम्बन्ध सन् १८९९ ई० में दी गई सनद की शर्तों के मुताबिक

तय है। इस सनद में सन् १९०५ में जब यह राज्य बंगाल से निकाल कर मध्य-प्रदेश में शामिल किया गया तब प्रान्त-परिवर्तन के कारण जहाँ तहाँ कुछ रद्दोबदल किया गया और नई सनद दी गई जिसका वर्णन उपोद्घात में किया गया है। इस सनद के मुताबिक टकोली की तादाद ८००) और मियाद २० साल रखी गई थी। सन् १९२० ई० में यह तरमीम की गई और अब १७ साल के लिए टकोली की तादाद १,२००) सालाना रखी गई है। बन्दोबस्त ज़मीन, वसूली मालगुज़ारी, टिकसबन्दी, न्यायवितरण, आबकारी, नमक और अफीम-सम्बन्धी बन्दोबस्त, जंगल के ठेके व ऐसे ठेके-सम्बन्धी विवादों का निर्णय, पड़ोसी राजाओं के साथ विवादों का निर्णय, इन सब बातों में उदयपुर-नरेश को पोलिटिकल एजेंट साहब की राय के मुताबिक कार्रवाई करनी होती है। वे बग़ैर इज़ाजत श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर के रियासत में आने-जानेवाले अनाज व दीगर तिजारती माल पर किसी क़िस्म का कर नहीं लगा सकते।

राजप्रबंध—राज्य का कुल प्रबन्ध श्रीमान् राजा साहब ही के हाथ में है। हाल ही में उनका देहान्त हो जाने व उनके उत्तराधिकारी के अल्पवयस्क होने के सबब रियासत का कारबार सरकार के नियुक्त किये हुए सुपरिंटेंडेंट की मार्फ़त चल रहा है। श्रीमान् राजा साहब के दीवानी और माल के फ़ैसलों की कोई अपील नहीं है, पर यदि पोलिटिकल

एजेंट साहब को किसी फ़ैसले में कोई त्रुटि जँचे तो वे उन्हें उस मामले में दुबारा विचार करने की सलाह दे सकते हैं। फ़ौजदारी में इन्हें सेशन जज के इख़्तियार हैं पर सात वर्ष या इससे अधिक जेल की सज़ा के लिए पोलिटिकल एजंट साहब की और फाँसी की सज़ा के लिए श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल प्राय: यही इख़्तियारात सुपरिंटेंडेंट साहब को दिये गये हैं। राज्य में क़ायदे-क़ानून प्राय: वे ही अमल में लाये जाते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में प्रचलित हैं। रियासत में कुल ३ फ़ौजदारी और दीवानी अदालतें हैं।

शिक्षा—रियासत में करीब १९ स्कूल हैं जिनमें लगभग १,४०० बालक शिक्षा पाते हैं। शिक्षा-खाते में वार्षिक ख़र्च लगभग ५,५००) है।

आबकारी—राज्य में ४५ शराब की भट्टियाँ हैं जिनमें महुआ की शराब बनाकर बेची जाती है। प्रतिवर्ष इन भट्टियों में शराब बनाने और बेचने का ठोका दिया जाता है जिससे रियासत को लगभग ४०,०००) सालाना आमदनी हो जाती है। पहले गाँजा, भाँग रियासत ही में पैदा कर ली जाती थी पर अब गाँजा, अफ़ीम और भाँग रायपुर के सरकारी ख़ज़ाने से मँगा कर बेची जाती हैं।

म्युनिसपालटी—रियासत में कोई म्युनिसपालटी नहीं है। धर्मजयगढ़ में लोग अपने यहाँ की सफ़ाई के लिए

चन्दा करके मेहतर नौकर रख लेते हैं और एक दो मेहतर स्टेट की तरफ़ से सफ़ाई के लिए रखे गये हैं। गाँवों की सफ़ाई गौंटियों के ज़िम्मे है।

अस्पताल—धर्मजयगढ़ में एक अस्पताल एक योग्य डाक्टर की देख-रेख में है जिसमें क़रीब ८००० रोगियों को हर साल मुफ़्त दवा दी जाती है। एक डाक्टर राज्य में हमेशा दौरा करके रोगियों की चिकित्सा करने के लिए भी नियुक्त है जो क़रीब सोलह सौ रोगियों को हर साल दवा देता है। माता का टीका लगाने के लिए वैक्सीनेटर नियुक्त हैं जो लगभग ४,००० बालकों को सालाना टीका लगाते हैं। अस्पताल-विभाग में सालाना क़रीब सात हज़ार रुपया हर साल ख़र्च किया जाता है।

जेल—धर्मजयगढ़ में एक जेल है जिसमें पच्चीस क़ैदियों के रहने की जगह है व सालाना १५, २० क़ैदी जेल में रहते हैं। क़ैदियों का मुख्य काम तेल की घानी चलाना, बाग़ीचा लगाना और खेती करना है।

मकानात, सड़कें—श्रीमान् राजा साहब का महल, अदालतें, दफ़्तर, जेल और दूसरी सरकारी इमारतें पक्की बनी हुई हैं। रियासत में एक सड़क धर्मजयगढ़ से खरसिया रेलवे स्टेशन तक है जिस पर खुले दिनों में मोटर आ जा सकती है। इन मकानात व सड़क की मरम्मत में हर साल क़रीब दस-पन्द्रह हज़ार रुपये ख़र्च किये जाते हैं।

पुलिस—एक इन्स्पेक्टर की मातहती में पुलिस में ५२ जवान हैं जिन पर रियासत से क़रीब ११,०००) ख़र्च किया जाता है। पुलिस-कर्मचारियों के सिवा गाँवों की देख-रेख के लिए गुड़ैत और चौकीदार भी नियुक्त हैं। इन लोगों का वेतन गाँववाले ही देते हैं। ये लोग अक्सर पनका या घसिया जाति के होते हैं। इनका मुख्य काम गाँव के हाल चाल व फ़ौती पैदाइश की रिपोर्ट थानों को पहुँचाने का है। सन् १९२७ में कुल जुर्मों की संख्या १४६ थी।

डाकख़ाना, तारघर—धर्मजयगढ़ में एक डाकख़ाना और तारघर है।

आय-व्यय—सन् १९२७ में राज्य की आमदनी मुबलिग़ २,०४,०७२) और ख़र्च १,५३,९३७) था। आमदनी के मुख्य मद ये थे:—

मालगुज़ारी—४७,०८१)
जंगल—८९,५८३)
आबकारी—३८,२८१)
जेल—९६८) इत्यादि

ख़र्च के मुख्य मद ये थे:—

टकोली—१,२००)
ख़र्च राजघर—३१,१०३)
राज्य और तहसील-ख़र्च—१५,४५२)
मुहकमा जंगल—५,२७९)

जेल—३,२४५)

पुलिस—११,३६१)

शिक्षा-विभाग—५,५६४)

दवाख़ाना—७,०६४)

मरम्मत व बनवाई मकानात सड़क आदि—४७,०१८)

इत्यादि।

प्रमुख स्थान

१. **बागबहार**—रियासत के टामटा इलाक़े में मुख्य क़स्बा है। यहाँ बागबहार के ज़मीन्दार रहते हैं। एक स्कूल और थाना है। हफ़्ते में एक बार बाज़ार भरता है जिसमें जशपुर और रायगढ़-रियासतों के व्यापारी आकर लेन-देन करते हैं।

२. **छाल**—खर्सिया धर्मजयगढ़ सड़क पर यह गाँव खर्सिया से १० मील की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ एक स्कूल, एक थाना और राजा साहब का अनाज-भंडार है। छाल इलाक़े के ज़मीन्दार साहब का निवासस्थान भी यहीं है। इस गाँव के आस-पास पत्थर का कोयला पाया जाता है।

३. **चितहरा**—छाल से ३ मील फ़ासले पर यह एक छोटा सा गाँव है। यहाँ एक स्कूल और राजा साहब का अनाज-भंडार है।

४. **धर्मजयगढ़**—यह रियासत की राजधानी माँद नदी के किनारे पर बसी हुई है। मुख्य इमारतें ये हैं:—

राजमहल, थाना, स्कूल, अस्पताल, गेस्ट हाउस (अतिथि-सदन) इत्यादि। यहाँ एक डाकखाना और तारघर भी है।

५. **माँद नदी**—राज्य की सबसे बड़ी नदी है। जशपुर-राज्य से निकल कर उदयपुर की दक्षिणी सीमा-बन्दी करती हुई यह रायगढ़-राज्य में चली गई है।

६. **सोनपुर**—धर्मजयगढ़ से १८ मील की दूरी पर अम्बिकापुर सड़क पर यह क़स्बा बसा हुआ है। यहाँ एक पुलिस-थाना है।

इति

——

तृतीय ध्वनि

जशपुर

जशपुराधिपति राजा देवशरणसिंह देव

अजयपुर-नरेशों की फ़ेहरिस्त

१	राजे	सुजान राय देव
२	”	छोटे राय देव
३	”	रैया राय देव
४	”	मकसूदन राय देव
५	”	तेजराय देव
६	”	भाधोसिंह देव
७	”	अनूपसिंह देव
८	”	अमरसिंह देव
९	”	रणसिंह देव
१०	”	द्वीपसिंह देव
११	”	तिलविक्रमसिंह देव
१२	”	भीमकर्णसिंह देव
१३	”	सुन्दरसिंह देव
१४	”	डुमराजसिंह देव
१५	”	रंजीतसिंह देव
१६	”	रामसिंह देव
१७	”	प्रतापनारायणसिंह देव बहादुर, सी०आई०ई०
१८	”	विष्णुप्रसादसिंह देव बहादुर
१९	”	देवशरणसिंह देव

जशपुर-राज्य के दीवान साहबों की फ़ेहरिस्त

मि० दीवानसिंह—१९०५-१९१६

मि० कृष्णसेवक—१९१६-१९२०

मि० डी० एन० घोस—१९२०

मि० एस० के० अगस्ती—१९२१

रायबहादुर ओपेन्द्रनाथ घोष—१९२१

मि० नरेन्द्रचन्द्र सिनहा—१९२१-१९२२

ख़ाँ साहब अब्दुल गफ़ारख़ाँ—वर्तमान

सीमा-क्षेत्रफल—यह रियासत सिरगुजा के दक्षिण की ओर है और गाँगपुर रियासत और राँची ज़िले तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल १९४८ वर्गमील है। सन् १९०५ ई० तक यह राज्य भी बंगाल-सरकार के मातहत छोटानागपुर-रियासतों में शामिल था। इसके उत्तर और पश्चिम में सिरगुजा-रियासत, पूर्व में ज़िला राँची और दक्षिण में गाँगपुर, उदयपुर और रायगढ़-रियासतें हैं। राजधानी जशपुर नगर है।

स्वाभाविक विभाग—प्रायः आधी रियासत उच्च सम-भूमि पर बसी हुई है। राँची की ओर ऊपर घाट की विस्तृत उच्च समभूमि समुद्र-जल-सतह से २,२०० फुट ऊँची है और उस पर भी कई पहाड़ियाँ हैं जो हज़ार फुट तक और भी ऊँची चली गई हैं। पूर्व की ओर ऊपर घाट की उपत्यका छोटानागपुर की उच्च समभूमि से मिल गई है और पश्चिम की ओर यह उपत्यका हेटघाट की घाटी से आरम्भ हुई है। रियासत के वायव्य में खुरिया की उपत्यका है जहाँ से ईब और कन्हार नदी निकली हैं। हेट घाट के नीचे की उच्च सम-भूमि में तथा उस हिस्से में जहाँ पर जशपुर नगर बसा है कई जगह बड़ी बड़ी चट्टानें व पहाड़ियाँ हैं जिनमें मुख्य पर्वत-शिखर रानीझूला (३,५२७ फुट) कोटवार (३,३९३ फुट) और भारा मुड़ियो (३,३९० फुट) हैं।

नदियाँ, खनिज पदार्थ---राज्य में सबसे बड़ी नदी ईब है जो उत्तर से दक्षिण को बहती है। इसके बहाव में कई जलप्रपात स्थान स्थान पर हैं। उनमें सबसे रमणीय प्रपात उस स्थान पर है जहाँ यह नदी ऊपर घाट की उच्च समभूमि से जशपुर नगर की समभूमि पर गिरती है। प्रवाह के वेग के कारण नदी में नाव नहीं चल सकती। बाकी नदियाँ छोटी छोटी पहाड़ी नालों के समान हैं, जिन्हें केवल बरसात में पार करने में कठिनाई होती है। उत्तरीय हिस्से के नाले अधिकतर कन्हार नदी में और दक्षिणीय हिस्से के ईब नदी में मिल गये हैं। गाँगपुर-रियासत की सरहद की ओर झोरा गोंड़ लोग ईब नदी की रेत और मिट्टी धोकर सोना निकालते हैं। सोना बहुत थोड़े मिक़दार में निकलता है। पहाड़ी हिस्से में लोहे का पत्थर भी निकलता है जिसे गला कर मूल-निवासी खेती के औज़ार और हथियार बनाते और बेचते हैं। खनिज पदार्थों की जाँच आज तक विशेष ध्यानपूर्वक नहीं की गई है।

जंगल---जंगल में साल, सिरस और तेंदू बहुतायत से पाये जाते हैं। हेटघाट और बादरखोल में जंगल के हिस्से अच्छे हैं। ऊपरघाट में पूर्व की ओर खातमुली के क़रीब कुछ अच्छा जंगल है। पहाड़ियों की ढाल में साल के झाड़ बहुत हैं पर ये काफ़ी मोटे नहीं होते। ऊपरघाट में किरदान्त के पास साल के बड़े बड़े झाड़ हैं पर इनकी तादाद बहुत कम है। गाँगपुर सरहद की तरफ़ के जंगल से रियासत को कुछ

आमदनी होती है। रेल दूर होने के सबब दूसरे हिस्सों की लकड़ी बहुत कम निकाली जाती है। इमारती लकड़ी के सिवाय जंगली पैदावार में लाख, कोसा, हर्रा और महुआ भी हैं। बहुत से गाँवों के पास आम और कटहल के बग़ीचे लगे हुए हैं। जंगल की आमदनी लगभग ८०,०००) और ख़र्च १०,०००) है।

जंगली जानवर—जंगलों में शेर, चीता, भालू, जंगली कुत्ते, साम्हर, चीतल बहुतायत से पाये जाते हैं। कहीं कहीं गौर और नीलगाय भी मिलते हैं। जंगली लाल मुर्ग़े बहुत मिलते हैं। मामूली तीतर सभी जगह हैं। काले तीतर भी कहीं कहीं देखने में आते हैं।

जल-वायु—ऊपरघाट और खुरिया की उच्च समभूमि में ग्रीष्मकाल में भी विशेष गर्मी नहीं पड़ती। जाड़े में खुरिया इलाक़े में खूब ओस गिरती और कुहरा पड़ता है। अगस्त से अक्टूबर तक इस हिस्से में मौसमी बुख़ार का प्रकोप रहता है। हेटघाट इन हिस्सों से विशेष उष्ण है पर बिलासपुर या सम्बलपुर ज़िलों के समान गर्मी वहाँ भी नहीं पड़ती। जाड़े की ऋतु वहाँ बहुत सुखदायी रहती है। राजधानी जशपुर नगर में औसत बारिश ६५-७० इंच होती है।

इतिहास—राज्य का प्राचीन इतिहास कभी लिपिबद्ध नहीं हुआ। मौखिक कथाओं से ज्ञात होता है कि पहले यहाँ डोमवंशीय राजाओं का अधिकार था किन्तु राय भानडोम को

वर्तमान राजवंश के पूर्वज सूर्यवंशी सुजान राय ने हरा कर यहाँ अपना अधिकार जमा लिया। राजपुताना का बाँसवाड़ा स्थान वर्तमान नरेश के पूर्व पुरुषों की जन्म-भूमि है। इनके पूर्वजों ने पहले सोनपुर में अपना राज्य स्थापित किया था। सुजान राय सोनपुर के सूर्यवंशी नरेश के ज्येष्ठ पुत्र तथा राज्य के उत्तराधिकारी थे। जिस समय ये शिकार खेलने बाहर गये हुए थे उस समय इनके पिता की मृत्यु होगई। अतएव इनकी अनुपस्थिति में इनके छोटे भाई को राज्य-तिलक दिया गया। राज्यसिंहासन खाली रखना क्षत्रिय-धर्म के अनुसार उचित नहीं समझा जाता इसी लिए कदाचित् उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में छोटे भाई का राज्यतिलक हुआ होगा। शिकार से लौटने पर इनके छोटे भाई ने इन्हें राज्यसिंहासन पर बैठने व राज्य-कार्य सँभालने की इच्छा प्रकट की पर उन्होंने राज्य लेना स्वीकार न किया और संन्यास ले जंगल की ओर निकल पड़े। संन्यासी के वेष में घूमते-फिरते ये खुरिया पहुँचे और वहाँ की पीड़ित प्रजा को डोम राजा के नाश के लिए प्रयत्न करते हुए पाया। इसलिए आपने प्रजा के नेता बन डोम राजा से संग्राम किया और युद्धस्थल में उसे हरा तथा मार कर राज्य-प्रबन्ध अपने हाथ ले स्वयं गद्दी पर बैठे। तभी से इनके वंशज इस राज्य के मालिक होते आये हैं। पश्चात् जशपुर-नरेश भी नागपुर के भोंसला राजा के माण्डलिक बन गये और कर-स्वरूप

सालाना २१ भैंसे (उबारी) अपने अधिपति को भेंट देने लगे।

सन् १८१८ में सिरगुजा तथा अन्य रियासतों के साथ मूढ़ोजी भोंसला ने यह रियासत भी ब्रिटिश-सरकार को सौंप दी। उस वक़्त के शर्तनामे की दूसरी शर्त में यद्यपि यह एक स्वतन्त्र राज्य बतलाया गया है तो भी वास्तव में उस वक़्त यह सिरगुजा-राज्य की मातहती में समझा जाता था। इस राज्य की टकोली जो सन् १८९९ में १,२५०) और सन् १९२१ में २,०००) मुक़र्रर की गई थी अब भी सिरगुजा-राज्य की मार्फ़त ब्रिटिश-सरकार के ख़ज़ाने में पटाई जाती है। पर इसके सिवा और कोई सम्बन्ध सिरगुजा-राज्य से इसका ऐसा नहीं है जिससे इस पर सिरगुजा-नरेश का आधिपत्य सूचित हो। जशपुरवालों का कहना है कि ब्रिटिश-सरकार की मातहती में आने के पहले टकोली बाला बाला दी जाती थी। पर सन् १८२६ ई० में जशपुर-नरेश रामसिंह को जो उस वक़्त अल्प-वयस्क थे सिरगुजा-नरेश ने निमंत्रण देकर सिरगुजा बुलाया और उनके वहाँ पहुँचने पर उन्हें क़ैद कर लिया और जब तक उन्होंने सिरगुजा-नरेश का आधिपत्य स्वीकार न कर लिया तब तक उन्हें क़ैद रखा। तभी से टकोली सिरगुजा की मार्फ़त पटाई जाने लगी। इस राज्य और ब्रिटिश-सरकार के बीच का सम्बन्ध सन् १८९९ की दी हुई सनद में निश्चित किया गया जिसका वर्णन उपोद्घात में है। इस सनद के अनुसार टकोली की रक़म

बीस वर्ष के लिए १,२५०) निश्चित की गई थी जो निश्चित समय के बाद सन् १९२० में बढ़ाकर २,०००) वार्षिक की गई है। बंदोबस्त जमीन, वसूली मालगुज़ारी, टिकसबंदी, न्याय-वितरण, आबकारी, नमक और अफ़ीम-सम्बन्धी बंदोबस्त, जंगल के ठेके व ऐसे ठेके-सम्बन्धी विवादों का निर्णय, पड़ोसी राज्यों के साथ विवादों का निर्णय इन सब बातों में जशपुर-नरेश को पोलिटिकल एजण्ट साहब की राय के मुताबिक कार्रवाई करनी लाजिम है। रियासत में आने जानेवाले अनाज व दीगर तिजारती माल पर श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर की आज्ञा बिना किसी क़िस्म का कर नहीं लगाया जा सकता।

राज्य-प्रबंध—राज्य का कुल प्रबन्ध श्रीमान् राजा साहब के ही हाथ में है जो सरकार से दिये हुए एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर की मदद से कारबार चलाते हैं। श्रीमान् राजा साहब के दीवानी और माल के फ़ैसलों की कोई अपील नहीं है, पर यदि पोलिटिकल एजण्ट साहब को किसी फ़ैसले में त्रुटि जँचे तो वे उन्हें उस मामले में दुबारा विचार करने की सलाह दे सकते हैं। सन् १८५७ ई० के पहले जशपुर-नरेश को फाँसी देने का स्वतन्त्र इख़्तियार था पर सन् १८६२ के लगभग यह बंद कर दिया गया। उस ज़माने में अभियुक्त एक आम के झाड़ में रस्सी से लटका दिया जाता था। यह झाड़ अभी तक है और फाँसी अम्बा कहलाता है। अब फ़ौजदारी में इन्हें सेशन जज के इख़्तियार हैं पर सात

वर्ष या इससे अधिक जेल की सज़ा के लिए पोलिटिकल एजण्ट साहब की और फाँसी की सज़ा के लिए श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर की मंजरी की जरूरत होती है। राज्य में क़ायदे-क़ानून प्रायः वे ही अमल में लाये जाते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में प्रचलित हैं। रियासत में फ़ौजदारी और दीवानी अदालतें चार चार हैं।

प्राचीन चिह्न—प्राचीन चिह्नों में सबसे श्रेष्ठ खुरिया रानी का मंदिर है। उच्च समभूमि के कोरवा लोग अपनी उत्पत्ति इन्हीं रानी से मानते हैं। यह मंदिर सन्ना के पास एक ऐसी चट्टान पर बना हुआ है जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे स्थान पर मंदिर का बनाना प्राचीन काल के निवासियों की शिल्प-कुशलता का द्योतक है। मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह बुद्ध भगवान् की मूर्ति सी मालूम होती है। मंदिर की बनावट और कारीगरी भी बुद्धकाल ही सरीखी मालूम होती है। आश्चर्य यह है कि मंदिर एक देवी 'खुरिया रानी' के नाम से प्रचलित है पर प्रतिमा देवता की है। जब खुरिया इलाक़े के इलाक़ेदार गद्दी पर पहले-पहल विराजमान होते हैं तब केवल एक बार इस मंदिर में पूजा होती है।

जन-संख्या—सन् १८९१ में रियासत की जन-संख्या १,१३,६३६ थी जो सन् १९२१ की गणना के अनुसार बढ़कर अब १,५४,१५६ है, याने प्रत्येक वर्गमील पीछे ७८ मनुष्य लगभग ५७० गाँवों में बसे हुए हैं। सबसे अधिक संख्या उराँव

लोगों की है। इनके सिवाय रौतिया, कोरवा, अहीर, चिक और कौरों की भी संख्या अधिक है।

लोग—कोरवों के मुख्य दो विभाग हैं। डिहरिया और पहड़िया। डिहरिया वे कोरवे हैं जो गाँवों में बसकर डीहों में खेती करते हैं। पहड़िये अक्सर पहाड़ों पर रहते हैं और घूम फिरकर शिकार से या बेवर तरीक़े से खेती करके अपना निर्वाह करते हैं। खुरिया परगने के इलाक़ेदार जो खुरिया के दीवान कहलाते हैं इनके मुखिया हैं। पहड़िये एक स्थान पर जम कर खेती नहीं करते। शिकार से यदि पेट न भरा तो लूट-मार करना इनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। कुछ साल पहले तो इन्होंने बलवा खड़ा कर दिया था और कुछ दिनों तक अच्छी धूमधाम मचा दी थी। डहरिये अपने को हिन्दू-धर्मावलम्बी बतलाते हैं। पहड़ियों को वे नीच समझते हैं और उनसे शादी-विवाह नहीं करते क्योंकि पहड़ियों को खाने-पीने में कोई आचार-विचार नहीं है। ये कुत्ते, बिल्ली तक खा जाते हैं। कुछ विषैले साँपों के अतिरिक्त कोई भी जानवर इनका खाद्य है। पहड़िये भी डहरियों को बहुत नीची नज़र से देखते हैं और उनसे घृणा करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये पहड़िये प्राचीन मूल-निवासियों की जीवित प्रतिमा हैं। ये लोग गाँव में नहीं रहते। ये अपने घर पहाड़ों में ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ साधारण लोगों की पहुँच सरलता से नहीं हो सकती और जानवरों के मांस और जंगली कंद-मूल

पहाड़ी कोरवों का एक समूह

से ही अपना निर्वाह करते हैं। गाँव के ठेकेदारों में अधिक संख्या उरांव या रौतियों की है। रौतिये, खैरवार, कवर और महकुर या उड़िया अहीर जो रियासत में आ बसे हैं अच्छे किसान हैं और मिहनत से खेती करते हैं। पड़रापाट और खुरिया की उच्च समभूमि में अच्छा चरागाह है जहाँ मिर्ज़ापुर और आस पास के अहीर बहुत से जानवर चराने को लाते हैं। रियासत को चराई से अच्छी आमदनी हो जाती है।

रियासत में उराँवों की संख्या लगभग ५४,००० है, जिनमें से प्राय: ३५,००० अब ईसाई होगये हैं। जो उराँव ईसाई हो गये हैं उन्होंने अपनी पुरानी चालें बदल दी हैं। बाक़ी के उराँव भूत-प्रेत पर विश्वास करते हैं। किसी भी विपत्ति या बीमारी को वे भूत या डाइन ही की करतूत समझते हैं और उसकी शांति के लिए बैगा को बुलाकर बकरे या मुर्ग़ी का बलिदान करते हैं। जादू टोना पर भी इनका दृढ़ विश्वास है। प्राय: किसी ग़रीब बुड्ढी पर ही जादू करने का शक किया जाता है और वह गाँव से निकाल दी जाती है। पहले ज़माने में उसे राँची की सरहद में एक पहाड़ पर जिसे 'डाइनथेरहा' कहते हैं ले जाते थे और एक चट्टान पर खड़ा कर नीचे पथरीली खाई में ढकेल मार डालते थे। उरांव बहुत मिहनती और मज़बूत होते हैं। वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। मदिरा से इन्हें अधिक प्रीति है। थोड़ी सी मदिरा पिला कर उनसे कितना भी काम प्रसन्नता से लिया जा सकता है।

मर्द और औरत दोनों अपने हाथ पर गोदना गुदाते हैं, नाक, कान छिदाते हैं और लोहे पीतल के ज़ेवर हाथ-पैर में और मूँगा मोती की माला गले में पहिनते हैं।

फ़सल काट कर ज्योंही ये अनाज घर में लाये और अपने ख़र्च के लिए अनाज छोड़ बाक़ी बेच कर ज्योंही कुछ रुपये पैसे इनके हाथ लगे त्योंही उराँवों के चैन के दिन शुरू हुए। फिर पहुनाई, लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह और शराब पीने और गाने-बजाने के सिवाय उन्हें दूसरा कोई काम नहीं रहता। ये लोग मुर्दों को गाड़ते हैं पर धान की कटाई गहाई होने के बाद एक निश्चित दिन को अविवाहितों को छोड़ कर बाक़ी मुर्दों की लाशें उखाड़ कर उनकी कबर के पास उन्हें जलाते हैं। फिर बची हुई हड्डियों में औरतें तेल, हल्दी लगाती हैं और मृत की मिट्टी की मूर्ति बना कर हड्डियों-समेत टोकनियों में रख किसी नदी या तालाब में सिरा देती हैं। पश्चात् सब लोग घर लौट कर एक भोज देते हैं और रात भर नाचते गाते हैं। इस नाच को 'हाड़बोरी' कहते हैं। जब तक यह प्रथा न हो जावे तब तक लड़के-लड़कियों के विवाह शुरू नहीं हो सकते। इसके बाद विवाह शुरू होते हैं और कई माह तक गाँवों में नाचने गाने और ढोलों की आवाज़ के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता। लड़के-लड़कियों के जवान होने पर ही विवाह होते हैं। प्राय: उनके माँ-बाप ही विवाह पक्के करते हैं। लड़के-लड़की आपस में ही अपना विवाह 'धुमकुरिया' में भी पक्के

नदी के किनारे उरांव औरतों का एक समूह

कर लेते हैं। उराँवों के निवासस्थान छोटे होते हैं इसलिए गाँवों में एक अलग मकान बना हुआ रहता है जिसमें सब अविवाहित लड़के एक ही जगह सोते हैं। इस मकान को धुमकुरिया कहते हैं। लड़कियाँ भी अपने माँ-बाप के पास मकान में नहीं सोतीं पर गाँव की विधवाओं के साथ सोने को भेज दी जाती हैं। वहाँ से वे भी धुमकुरिया में पहुँच जाती हैं और वहाँ नाच गाना होता रहता है। विवाह की बातचीत पक्की हो जाने पर लड़के के यहाँ से बरात जाती है। बराती तीर, कमान वा बनावटी अस्त्र-शस्त्र से सजे रहते हैं। लड़की के गाँव के पास पहुँचने पर लड़कीवाले भी वैसे ही सज-धज कर लड़की-समेत निकलते हैं। लड़का और लड़की अपने अपने किसी साथी की गोद में चढ़े रहते हैं। फिर दोनों भागों में बनावटी लड़ाई होती है। पश्चात् सब मिल कर गाँव जाते हैं और रात भर शराब की पिलाई और नाच-गान होता है। दूसरे दिन वर-वधू को तेल, हल्दी लगा कर मंडप के नीचे लाते हैं। वहाँ हल (नागर) का एक जुआ कुछ घर छाने की घास और एक पत्थर की सिल रक्खी हुई होती है। वर-वधू उस सिल पर खड़े किये जाते हैं। वधू के पीछे वर खड़ा होता है। फिर दोनों एक कपड़े से लपेट दिये जाते हैं सिर्फ़ उनके सिर और पैर खुले रहते हैं। एक कटोरे में बहुत सा सिंदूर लाकर वर को दिया जाता है जो उससे तीन रेखा वधू के माथे पर अपनी उँगली से बनाता है। वधू भी इसी प्रकार वर के माथे पर तीन रेखयें

बनाती है। पर उसकी पीठ वर की तरफ़ होने के सबब वह माथे को नहीं देख सकती इसलिए वर के मुँह पर कहीं भी सिंदूर लग जाता है। उपस्थित लोग इस पर हँसते हैं और उसी वक़्त मंडप के ऊपर से पानी से भरी हुई हँड़ियाँ किसी यत्न से वर-वधू पर ढुलका दी जाती हैं और वे पानी से बिलकुल भीग जाते हैं। उपस्थित औरतें वैसे ही 'विवाह होगया, विवाह होगया' कह कर चिल्लाती हैं और वर-वधू एक कमरे में भेज दिये जाते हैं जहाँ वे अपने कपड़े बदलते हैं। पश्चात् खाना पीना होने पर वर-वधू-सहित बारात विदा हो जाती है। इन सब विवाह, मरण इत्यादि प्रथाओं में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। जो लोग ईसाई होगये हैं उन्होंने ईसाइयों की प्रथा स्थापित कर ली है। दूसरे लोग हिन्दुओं की प्रथा ग्रहण करते जाते हैं। उरावों में सबसे बड़ी कसम थोड़ा सा गोबर, धान और मिट्टी सिर पर रखना है। ऐसी हालत में अगर कोई झूठ बोला तो उन लोगों के विचार से उसका सत्यानाश हो जाना चाहिए। गाँवों में यदि किसी के यहाँ चोरी होगई तो एक कुम्हड़े का तूँबा लेकर घर घर से उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डलवाते हैं फिर उस पानी से भरे हुए तुम्बे और एक काली मुर्ग़ी को गाँव के लोहार के पास ले जाकर कुछ चावल उस मुर्ग़ी के साम्हने डालते हैं। जैसे ही मुर्ग़ी चावल चुगना शुरू करती है वैसे ही उसका गला काटकर उसका ख़ून तूँबे के पानी में डालते हैं। फिर वह सब पानी लोहार की

नाचने-गाने को तैयार ईसाई उरांव

धोंकनी में भरते हैं जिससे धोंकनी फूल जाती है। तब ख़ाली तूँबे को लेकर फिर घर घर जाते हैं और इस वक़्त जिसने चोरी की हो वह माल दे देता है। उनका विश्वास है कि अगर पहले पानी देनेवालों में से कोई चेार है तेा उसका पेट लोहार की धोंकनी सरीखा फूलेगा और फट जावेगा।

प्रख्यात वंश—राज्य में पाँच ज़मींदारियाँ हैं जिनमें खुरिया इलाक़े के सिवा बाक़ी छोटे छोटे दस दस पाँच पाँच गाँव के ही हैं। इन ज़मींदारियों के नाम ये हैं :—(१) खुरिया, (२) फरसाबाहर, (३) बन्दरचुवा, (४) अर्रा और (५) खेरताडीह।

भूमि, कृषि, फ़सल—राज्य में मुख्य फ़सल धान की है। लोग सौ सवा सौ क़िस्म के धान का पैदा होना बताते हैं। हेटघाट की भूरे रंग की रेती मिली हुई ज़मीन में धान की सर्वोत्तम पैदावार होती है। इस ज़मीन को लोग करिहर मिट्टी कहते हैं। पहाड़ों की तराई में काली ज़मीन है जिसमें गेहूँ और जौ पैदा होता है। खेती की ज़मीन के प्राय: दो विभाग हैं (१) धोइन जिसमें धान पैदा होता है और टांड़ जिसमें सरसों, तिल, मूँग इत्यादि बोई जाती है। किसान खेत बनाने में परिश्रम करते हैं। अच्छी मेड़ डालते हैं। धान का रोपा भी लगाते हैं। पहड़िये कोरवे जंगल काट और जलाकर बेवर और डाही तरीक़े से खेती करते हैं। ये लोग खेत जोत बोकर फ़सल पैदा करना पसन्द नहीं करते। जशपुरनगर के आसपास और हेटघाट में कहीं कहीं

कपास भी पैदा करते हैं। पाँच सात हाथ खोदने से पानी निकल आता है पर पक्के कुएँ बहुत थोड़े हैं। लोग प्रायः कच्चे कुएँ खोदकर मकान के पास की बाड़ियों में साग-तरकारी लगाकर आबपाशी करते हैं। सत्तर अस्सी क़िस्म की साग-तरकारी थोड़े परिश्रम से पैदा कर लेते हैं। खुरिया इलाक़े में पहाड़ी खाइयों को बाँधकर बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं जो गर्मी के दिनों तक रह जाता है। इस पानी से खेती की आबपाशी करते हैं। गाय, बैल क़द में छोटे होते हैं। खेत जोतने का काम अधिकतर भैंसों से लिया जाता है। पालामऊ और मिर्ज़ापुर की तरफ़ से जो जानवर चराने के लिए रियासत में लाये जाते हैं वे मज़बूत होते हैं और खेती के लिए लोग इनमें से ख़रीद लेते हैं। लोड़म और जशपुरनगर में जानवरों का बाज़ार भरता है। सुअर, बकरी और मुर्ग़ी प्रायः प्रत्येक घर में रहती हैं और देव तथा पेट-पूजा में काम लाई जाती हैं।

बंदोबस्त ज़मीन—राज्य में लगभग ६०० गाँव हैं। इनके दो भाग हैं। एक वे जिनका बन्दोबस्त राज्य की तरफ़ से होता है। ये खालसा कहलाते हैं। दूसरे वे जो इलाक़ेदारों के कबज़े में हैं। खालसा गाँवों की उपजाऊ ज़मीन की हाल ही में ब्योरेवार नाप होकर लगान नियत किया गया है। कई क़िस्म के अब्वाब और भेंट बेगार बंद कर दिये गये हैं। इलाक़ेदारी गाँवों का बन्दोबस्त इलाक़ेदार करते हैं। गाँव का

ठेका तीन या पाँच साल के लिए दिया जाता है। किसानों पर लगान का निरख ज़मीन की हैसियत और उपज के मुताबिक आठ आने से डेढ़-दो रुपये फ़ी एकड़ तक वसूल होता है।

भाव—रेल से दूर होने पर भी ग़ल्ला महँगा है। चावल, गेहूँ और दाल का भाव फ़ी रुपये आठ सेर, चार सेर और तीन सेर के लगभग है। बहुत सा ग़ल्ला पलामऊ इलाक़े में चला जाता है।

मज़दूर—मज़दूर-पेशा काफ़ी है। किसानों को बनिहार मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती। साल में दस बीस मन धान, दस बारह रुपये नक़द और जाड़े में कपड़ा जड़ावर पर बनिहार मिल जाते हैं। बहुत लोग चाहपत्ती में काम करने जाते हैं। सन् १६२७ में ७१५ कुली गये थे। गाँवों में लोहार, बढ़ई काफ़ी हैं।

माप-तौल—राज्य में दो क़िस्म के सेर तौल में काम लाये जाते हैं। एक ४८ तोले का और दूसरा ८० तोले का। माप का हिसाब पची, खंडी और पैला से होता है। एक पैले में लगभग १४ छटाँक चावल आता है। बीस पैले की एक खंडी और तीन खंडी की एक पची मानी जाती है।

व्यापार—व्यापार टाडें पर ही अधिक होता है। हेटघाट की घाटी और खुरिया की पहाड़ियों के सबब गाड़ियों के लायक रास्ते नहीं हैं। झारछोकड़ा, लोहारडग्गा, रायगढ़ और राँची से आये हुए बनियों के हाथ में रियासत के व्यापार

की कुंजी है। ये लोग चावल, घी, कपास, लाख, तिल, सरसों वगैरह बाहर ले जाते हैं और कपड़ा, नमक, गुड़, तम्बाकू, बर्तन इत्यादि राज्य में लाते हैं। चमड़ा और साल की लकड़ी भी बाहर जाती है।

व्यवसाय—राज्य का मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना है जो चिक जाति के लोगों के हाथ में है। प्राय: लोग सूत कात कर चिकों के पास ले जाते हैं और वे कपड़ा बुन देते हैं। उराँव और कोल तो जब तक उनके सूत का कपड़ा न बुन जाय तब तक चिक के घर ही में डेरा डाल देते हैं। अधिकतर गमछा, धोती ही बुनी जाती हैं। चिक लोग बाहर का भी सूत ख़रीद कर कपड़ा बुनते और बेचते हैं।

रास्ते, सड़कें—राज्य में अभी तक अच्छी पक्की सड़कें नहीं हैं पर खुले दिनों में जशपुरनगर से राँची ज़िले, गाँगपुर, उदयपुर और सिरगुजा-रियासतों को कच्ची सड़कों से आ जा सकते हैं। जशपुरनगर से राँची को खुले दिनों में मोटर-गाड़ियाँ भी चलती हैं। जशपुरनगर से झारछोकड़ा रेलवे स्टेशन को पक्की सड़क बन रही है जो १० मील तक तैयार भी हो गई है।

आबकारी—राज्य में शराब का प्रचार मूलनिवासियों में अधिक है। महुवा की शराब भट्टियों में बनाने का हर साल ठेका दिया जाता है जिससे रियासत को सत्तर पचहत्तर हज़ार रुपये सालाना आमदनी हो जाती है।

पुलिस—रिज़र्व पुलिस-समेत कुल पुलिस-मुलाज़िमों की संख्या ९६ है। पहड़िया कोरवे अक्सर डाके डाला करते हैं। थोड़े दिनों से इनको ज़मीन और तक़ावी देकर खेती से निर्वाह करने को उत्साहित किया गया है और इन लोगों के डाकों की संख्या भी अब कम होती जाती है। सन् १९२६ में १३१ और सन् १९२७ में १०१ जुर्मों की रिपोर्टें पुलिसथानों में दायर हुई थीं। पुलिस-कर्मचारियों के सिवाय गाँवों की देख-रेख के लिए कोटवार भी तैनात हैं। कोटवारों का वेतन फ़िल हाल तक राज्य से दिया जाता था पर अब ज़मीन के नये बन्दोबस्त के मुताबिक़ गाँव की रियाया देती है।

जेल—जेल एक अच्छी पक्की इमारत है, जिसमें १५० क़ैदी तक रखे जा सकते हैं। सन् १९२७ ई० के अन्त में जेल में १०७ क़ैदी थे। क़ैदियों से कपड़ा और दरी बुनने, तेल पेरने, रस्सी बनाने, मिट्टी के बर्तन और टोकनी आदि बनाने का काम लिया जाता है।

अस्पताल—राज्य में एक अस्पताल जशपुरनगर में है जिसमें सालाना १०-१५ हज़ार रोगियों की चिकित्सा होती है। माता का टीका लगाने को वेक्सिनेटर मुक़र्रर हैं जो सालाना पाँच सात हज़ार टीके लगाते हैं।

शिक्षा—राज्य में २८ पाठशालायें हैं। जशपुरनगर में एक अँगरेज़ी मिडिल स्कूल है। बाक़ी २६ बालकों की और एक

बालिकाओं की प्रायमरी पाठशालायें हैं। इन सबमें लगभग १,६०० बालक और ५० बालिकायें विद्याध्ययन करती हैं। राज्य में इन पाठशालाओं के सिवाय कैथलिक मिशन की ८३ पाठशालाएँ हैं जिनमें लगभग २,००० बालक और १५० बालिकायें शिक्षा पाती हैं।

डाक, तारघर—जशपुरनगर में एक डाक और तार-घर है व एक डाकघर टपकरा में भी है।

आय-व्यय—सन् १९२७ ई० में राज्य की कुल आमदनी मुबलिग़ ३,३८,९७७) और ख़र्च २,८४,१८२) था। आमदनी की मुख्य मदें ये थीं:-

मालगुज़ारी	१,२७,४९३)
जङ्गल	७७,२८६)
आबकारी	७१,०१९)
जेल	६,१६७)
काँजीहाउस	२,२४६) इत्यादि।

ख़र्च की मुख्य मदें ये थीं:—

टकोली	२,०००)
ख़र्च राज्यघर	३३,९४८)
राज्य और तहसीलख़र्च	३६,५६१)
मुहकमा जंगल	९,९५२)
जेल	१३,९५७)

पुलिस	२०,६२१)
दवाख़ाना	१०,३६८)
बनवाई या मरम्मत मकानात	६२, ५१२) इत्यादि

प्रमुख स्थान

जशपुरनगर—राजधानी—इसे जगदीशपुर भी कहते हैं पर प्रख्यात नाम जशपुरनगर ही है। यहाँ श्रीमान् राजा साहब का महल, कचहरी, अस्पताल, जेल, डाक व तार-घर, पुलिस-थाना, स्कूल, क्लब इत्यादि इमारतें पक्की बनी हुई हैं। एक अच्छा बाज़ार है जहाँ सब तरह का ज़रूरी सामान मिल सकता है। शहर में कई पक्की सड़कें हैं जिनके दोनों तरफ़ व्यापारियों के मकानात बने हुए हैं। जशपुरनगर राँची से ९० मील के फ़ासले पर है। खुले दिनों में राँची से यहाँ मोटर-गाड़ियाँ आ सकती हैं। झाड़छोकरा से भी यहाँ तक जल्द मोटरगाड़ियाँ आने लायक़ रास्ता तैयार हो जावेगा।

अर्रा—जशपुरनगर के पूर्व दस मील पर अर्रा के इलाक़ेदार का निवासस्थान है। यह इलाक़ा २८ गाँवों का है। इलाक़ेदार रौतिया जाति के हैं और नायक कहलाते हैं। यहाँ एक प्रायमरी स्कूल है।

बग़ीचा—पहले यहाँ ककिया के इलाक़ेदार निवास करते थे पर यह इलाक़ा इलाक़ेदार की अराजकता के सबब पचीस तीस साल हुए ज़ब्त कर खालसा कर लिया गया।

इलाक़ेदार पहड़िया कोरवा थे। इस गाँव में एक पुलिस नाका और प्रायमरी स्कूल है।

बाँदरछुवा—बाँदरछुवा इलाक़े का एक क़सबा है। यहाँ एक पुलिसनाका और प्रायमरी स्कूल है। इलाक़ेदार के आठ गाँव हैं। वे कौर जाति के हैं। उनकी उपाधि सैदई है।

बटईकेला—आबादी के हिसाब से एक बड़ा गाँव है। यहाँ अच्छा बाज़ार भरता है। ईबनदी से सोना निकाल कर लोग यहाँ बेचते हैं।

बेने—डोम राजाओं के ज़माने में राज्य की यहाँ राजधानी थी। इस गाँव के समीप बेनेघाघ नामी ईबनदी का एक सुन्दर जल-प्रपात है।

डोकरा एक बड़ा क़सबा ईबनदी के किनारे पर है जहाँ नदी के रेत से लोग सोना निकाला करते हैं।

खेरताडीह—खेरताडीह के इलाक़ेदार का निवास-स्थान है। ये जाति के रौतिया हैं और 'बराइक' कहलाते हैं। इलाक़े में २२ गाँव हैं।

खुरिया—राज्य में यह सबसे बड़ी ज़मींदारी है। इलाक़े-दार कोरवा जाति के हैं और 'दीवान' कहलाते हैं। इलाक़े में ७९ गाँव हैं। अधिकतर पहड़िये कोरवे इस इलाक़े के निवासी हैं। पर चराई का सुभीता होने के सबब अहीर लोग भी बसे हुए हैं। मिर्ज़ापुर की तरफ़ से इस इलाक़े में जानवर चराई के लिए लाये जाते हैं। इलाक़ेदार अपने को बघेल राजपूत बतलाते हैं

श्रौर कहते हैं कि उनके पूर्वज रतनपुर के हैहय-वंशी राजाश्रों के संबन्धी थे श्रौर रतनपुर से श्राकर यहाँ बसे थे। इलाक़ेदार का निवासस्थान सन्ना में है जहाँ एक पुलिस-थाना श्रौर प्रायमरी स्कूल है।

लोड़म—इसे लोग गढ़ लोड़म भी कहते हैं। यह एक मुख्य क़सबा जशपुरनगर से १६ मील पूर्व की श्रोर राँची की सरहद से तीन मील पश्चिम को है। राँची से जशपुरनगर की सड़क इस गाँव पर से गई है। यहाँ एक पुरानी गढ़ी के निशान हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि गढ़ी किसने बनाई थी। सप्ताह में एक श्रच्छा बाज़ार भरता है जहाँ राँची से श्राये हुए व्यापारी ग़ल्ले श्रौर ढोरों का लेन-देन करते हैं।

नारायनपुर—जशपुरनगर के नैऋ्त्य में १६ मील पर एक बड़ा क़सबा है। यहाँ एक पुलिस-नाका श्रौर स्कूल है श्रौर साप्ताहिक बाज़ार भरता है। हर साल माघ के महीने में यहाँ एक मेला भी भरता है। इस गाँव के पास ही पहाड़ी पर राज्य के पूर्व-पुरुष सुजानराय रहते थे। राजगद्दी होने पर श्रभी तक इस राज्य के नरेश इस स्थान पर जाकर उनकी पूजा करते हैं।

फरसाबाहर—फरसाबाहर के इलाक़ेदार का निवासस्थान है। इस इलाक़े में श्राठ गाँव हैं। इलाक़ेदार गोंड़ हैं।

रानी झूला—यह सबसे ऊँचा पर्वत-शिखर ३,५२७ फुट ऊँचा है। इसी पहाड़ी के पास से ईब-नदी निकली है।

पंडरापाट—जशपुर नगर के पश्चिम में २९ मील पर यह उच्च समभूमि है। राज्य में यह सबसे ऊँची उपत्यका है। जाड़े की ऋतु में यहाँ अधिक ठंड पड़ती है और गर्मी में भी यहाँ अधिक गर्मी नहीं होती।

मडुवा पहाड़ी—जशपुरनगर से वायव्य की ओर १६ मील पर यह अच्छा शिकारगाह है। यहाँ शेर अथवा और जंगली जानवर रहते हैं।

ईब-नदी—राज्य की सबसे बड़ी नदी है। खुरिया इलाक़े के रानीझूला से निकलकर दक्षिण की ओर बही है। इसके बहाव में अनेक सुन्दर जल-प्रपात हैं। बेनीघाघ का प्रपात जहाँ नदी की धारा ऊपरघाट से हेटघाट में गिरी है सबसे रमणीय है। पहाड़ी इलाक़े में से बहाव होने के कारण नदी में नाव नहीं चल सकती। गाँगपुर की सीमा के पास नदी की तह और किनारे में थोड़े मिक़दार में सोना निकलता है। लोवाघेरा के पास नदी का दृश्य बहुत रमणीक है।

लावा-नदी—खुरिया इलाक़े के कोटवार पर्वत से निकल कर पूर्व की ओर बहती हुई राँची के बरवे नामक स्थान के पास शंखनदी में जा मिली है।

॥ इति ॥

चतुर्थ ध्वनि

कोरिया

कोरियाधीश राजा रामानुजप्रतापसिंह देव, बी० ए०

कोरिया-नरेशों की फ़ेहरिस्त

१ राजा शिवमंगलसिंह देव

२ राजा रामानुजप्रतापसिंह देव, बी० ए०

नेाट—सन् १८९७ में राजा प्राणसिंह की पुत्रहीन मृत्यु होने पर राजा धारामलशाह का वंश समाप्त होगया और राजा शिवमंगलसिंह को जो उनके निकट सम्बन्धियों में से थे सरकार ने कोरिया का नरेश स्वीकार किया।

कोरिया-राज्य के दीवान साहबों की फ़ेहरिस्त

मि० मुर्तिज़ाहुसैन—१६०१-१६०७

पंडित गोरेलाल पाठक——१६०७-१६१६

पंडित गंगादीन शुक्ल—१६१६-१६१८

मि० रघुवीरप्रसाद—१६१८-१६२५

पंडित रामसहाय मिश्र——१६२५-१६२६

मि० हरप्रसाद वर्मा, बी० ए०, बी० एल०—वर्तमान

सीमा-क्षेत्रफल—इस रियासत का विस्तार १६३१ वर्गमील है, इसके उत्तर में रीवाँ, पूर्व में सिरगुजा-राज्य, दक्षिण में बिलासपुर ज़िला और पश्चिम में चाँगभखार तथा रीवाँ-रियासतों की सरहद है। इस रियासत का नाम कोरिया है पर रियासत की राजधानी का नाम वैकुण्ठपुर है।

स्वाभाविक विभाग—इस रियासत का अधिकांश पहाड़ी और जंगली है। इन पहाड़ों और जंगलों के बीच बीच जहाँ तहाँ छोटे बड़े गाँव बसे हुए हैं। इन्हीं गाँवों के आस-पास की भूमि खेती के काम में लाई जाती है। यों तो राज्य भर में जंगलों और पहाड़ों की विशेषता है परन्तु ढाल के ख़्याल से इस राज्य की भूमि तीन समतल भागों में विभक्त की जा सकती है। पहला दक्षिणी भाग, जो समुद्र-जल-सतह से प्राय: १८०० फ़ुट तक की ऊँचाई पर है पूर्व की ओर सिरगुजा-राज्य के श्रीनगर इलाक़े से कोरिया-राज्य की खड़गवाँ और पटना-ज़मींदारी तक फैला है। दूसरा मध्य भाग, जो २४७७ फ़ुट तक ऊँचा है खड़गवाँ और पटना-ज़मींदारियों के उत्तर में सुनहट तक है। तीसरा उत्तरीय भाग, जो ३३७० फ़ुट तक ऊँचा है सुनहट के उत्तर और पश्चिम रीवाँ और चाँगभखार की रियासतों तक फैला हुआ है।

नदियाँ—रियासत पहाड़ी होने के कारण यहाँ नदी-नाले भी बहुत हैं, जिनका उद्गमस्थान प्रायः मध्य और उत्तरीय भागों में है। इनमें मुख्य नदियाँ दो ही हैं, हसदो और गोपथ। इन दोनों में हसदो बड़ी है। यह सुनहट के पास से निकली है। थोड़ी ही दूर पर जहाँ यह रियासत की दक्षिणीय समभूमि में किरवाही गाँव के पास नीचे गिरी है वहाँ एक मनोहर जल-प्रपात है। इसके बाद राज्य के दक्षिणी भाग में बहती हुई बिलासपुर ज़िले में प्रवेश कर वह महानदी में जा मिली है। गोपथ नदी उत्तरीय भाग के सबसे ऊँचे पहाड़, देवगढ़, से निकल कर उत्तर की ओर चाँगभखार और कोरिया राज्यों की हदबंदी करती हुई बही है।

जल-वायु—इस राज्य की जल-वायु साधारणतः स्वास्थ्य-कर है। जाड़े में ख़ूब ओस और कुहरा पड़ता है, पर ग्रीष्म-ऋतु यहाँ विशेष सुखप्रद है। सन् १९०८ ई० तक राज्य में सरकारी तौर से जल-वृष्टि की कोई सूची नहीं रक्खी जाती थी पर लोगों का अनुमान है कि वर्षा पहले से अब कम होती है। पिछले दस वर्षों में वर्षा की औसत प्रायः ५८-५९ इंच है।

खनिज पदार्थ—रियासत के भूगर्भ की जाँच से मालूम हुआ है कि खनिज पदार्थों में पत्थर का कोयला यहाँ यथेष्ट मात्रा में है। धाऊ भी थोड़ा बहुत प्रायः सर्वत्र मिलती है। यहाँ के गोड़ों का एक समूह जिसे अगरिया कहते हैं और जो लोहारी का काम करता है धाऊ को गला कर लोहे

का कृषि-सम्बन्धी ज़रूरी सामान बनाता और बेचता है। किसी किसी नाले में चूने के पत्थर भी पाये जाते हैं। लाल मुरुम राज्य के किसी भी भाग में नहीं निकलती। पत्थर का कोयला राजधानी वैकुंठपुर के आस-पास पटना और खड़गवाँ ज़मींदारियों और सुनहट के नालों में मिलता है। रियासत में चार बड़े बड़े स्थान ऐसे हैं जहाँ से यह कोयला लगातार निकाला जा सकता है। पहला स्थान रियासत के मध्य में लगभग ३३० वर्गमील का है जिसकी सरहद पूर्व और पश्चिम में पटना ज़मींदारी से किलहारी तक और उत्तर-दक्षिण में सुनहट से हर्रा किरवाही तक है। यहाँ किलहारी, हसवाही, केराबहरा, घुटरा, सलबा, किरवाही, हर्रा, लबजी, बंसकटा, इत्यादि गाँवों के आस-पास कोयले पाये जाते हैं। दूसरा स्थान इसके दक्षिण में खरसिया के आस-पास लगभग ४८ वर्गमील का है जहाँ खरसिया, चिड़मिड़ी गाँवों और आंजन और बरलुंगा पहाड़ों के पास तथा करार-खोह में कोयले प्राप्य हैं। तीसरा स्थान दूसरे के पश्चिम में हसदो नदी के पार रियासत की सीमा पर प्राय: २२ वर्गमील का है। यहाँ बोरीडाँड़, खोंगापानी, झगड़ाखाँड़, गदरापापर और भौतागाँव के आस-पास कोयले पाये जाते हैं। चौथा स्थान जो सिर्फ़ ६ वर्ग मील का है दूसरे के आग्नेय में ठगगाँव और पेटया के बीच में है। इस भाग में कोरियागढ़ पहाड़ के पास पत्थर का कोयला मिलता है।

जंगल—राज्य के जंगलों में साल, पलास, चार, हर्रा, महुआ, तेंदू और बाँस के पेड़ खूब पाये जाते हैं। बीजा और कुसुम के झाड़ भी कहीं कहीं देखने में आते हैं। किसी किसी भाग में बहुत से खैर के वृक्ष भी लगे हुए हैं। सागोन और बबूल के झाड़ कहीं नहीं मिलते।

जंगली जानवर—कुछ दिनों पहले यहाँ के जंगलों और पहाड़ों में हाथी बहुत थे जिनके उपद्रव से लोग गाँव छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे पर अब ये बिलकुल नहीं रह गये। शेर और चीतों की संख्या अब भी बहुत है जो हर साल बहुत से मनुष्यों और मवेशियों का सत्यानाश करते हैं। रियासत के उत्तरीय भाग में गौर पाये जाते हैं। साम्हर, नीलगाय, चीतल, कोटरी, रीछ और सुअर प्रायः सभी जंगलों में हैं।

इतिहास—राज्य का प्राचीन इतिहास लेखबद्ध नहीं है पर दंतकथाओं से ज्ञात होता है कि पहले यहाँ एक कोल राजा था। उस वक्त राजधानी चिरमीगाँव के पश्चिम कोरियागढ़ पहाड़ पर थी। इस पहाड़ पर अब भी एक तालाब और कुवाँ बने हुए हैं। बहुत से गढ़े हुए इमारती पत्थर भी इधर-उधर पड़े हुए हैं। इसलिए अनुमान होता है कि किसी समय यहाँ पर राजा का निवासस्थान या क़िला रहा होगा। १८०० वर्ष हुए कि एक चौहान क्षत्री धारामल-शाह श्रीजगन्नाथपुरी की यात्रा कर लौटते समय कुछ साथियों-समेत इस राज्य में आये और कोलराजा को राज्यच्युत कर

यहाँ पर अपना अधिकार जमाया और अपनी राजधानी 'नगर' गाँव में स्थापित की। पश्चात् राजधानी नगर से रजोली और रजोली से सुनहट को हटा दी गई। वर्तमान नरेश के पिता ने उसे सुनहट से भी हटा कर वैकुंठपुर में स्थापित की। सन् १८९७ ईसवी में राजा प्राणसिंह की मृत्यु होने पर राजा धारामलशाह का वंश समाप्त होगया। राजा प्राणसिंह के बाद वर्तमान नरेश राजा रामानुजप्रतापसिंह देव के पिता राजा शिवमंगलसिंह देव राज्य के अधीश्वर हुए। ये राजा प्राणसिंह के निकट संबंधियों में से थे। वर्तमान नरेश राजा रामानुजप्रताप-सिंह देव की उम्र २७ वर्ष की है। आपने राजकुमार-कालेज रायपुर और म्यूर सेंट्रल कालेज अलाहाबाद में विद्याध्ययन कर बी० ए० की डिगरी प्राप्त की है और जनवरी सन् १९२५ में सिंहासना-रूढ़ हो राज्य का कारबार अपने हाथ में लिया है। आप दिल्ली के नरेन्द्र-मंडल के सदस्य हैं। आपके दो लघु भ्राता हैं। पहले,लाल रामशरणसिंह देव, एम० ए० की परीक्षा पास कर विलायत में आई० सी० एस० की परीक्षा के लिए विद्याध्ययन कर रहे हैं और दूसरे,लाल हरीशरणसिंह देव, अला-हाबादा में बी० ए० क्लास में पढ़ रहे हैं। राजा रामानुज प्रताप-सिंह देव के दो पुत्र हैं जिनमें युवराजकुमार भूपेन्द्र नारायणसिंह देव की उम्र पाँच साल की है।

यह रियासत आसपास की चार रियासतों-सहित सन् १८१८ ईसवी तक नागपुर के भोंसला राजाओं के आधिपत्य

में थी। उक्त सन् में यह ब्रिटिश-सरकार के कब्ज़े में आई और बंगाल-प्रान्त में शामिल की गई। उस समय इस राज्य के अधीश्वर राजा ग़रीबसिंह थे। सन् १८६६ ईसवी तक यहाँ के राजा ज़मींदारों में गिने जाते थे। इसके बाद वे फ़्यूडेटरी चीफ़ माने गये। सन् १६०५ ईसवी तक यह रियासत बंगाल-प्रान्त में शामिल रही पर इसके बाद अन्य चार रियासतों के साथ यह भी मध्यप्रदेश में सम्मिलित कर दी गई।

प्राचीन चिह्न—राज्य में प्राचीन चिह्नों का अभाव है पर जो दो एक चिह्न मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि यहाँ के पूर्व निवासी आजकल के निवासियों से शिल्प-विद्या में अधिक कुशल थे। कोरियागढ़ के तालाब के अतिरिक्त पोंडी तथा दो एक और स्थानों में प्राचीन तालाबों के चिह्न मिलते हैं। बघरोड़ो गाँव के पास ज़मीन के नीचे चट्टान काटकर बनाई हुई एक बीस हाथ लम्बी और दस हाथ चौड़ी गुफा है जिसकी दीवालों पर बहुत से देवताओं की मूर्तियाँ गढ़ी हुई हैं। इस गुफा को लोग गांगीरानी की मढ़िया कहते हैं। खड़गवाँ-ज़मींदारी में चिड़मिड़ी गाँव के पास एक शिलालेख है जो सन् १३५१ ईसवी में लिखा गया था वह साफ़ साफ़ तो नहीं पढ़ा जा सकता पर जितना पढ़ा जा सकता है उससे मालूम होता है कि उसमें स्वयम्भू ब्रह्मा के मंदिर बनाने का हाल और किसी गोविंदचूड़देव की प्रशंसा लिखी गई थी।

मनुष्य-संख्या, लोग—सन् १८७२ ईसवी में राज्य की जन-संख्या सिर्फ़ २१,१२७ थी। सन् १८९१ में यह ३६,२४० हुई पर सन् १९०१ में ३५,११३ रह गई। सन् १९११ की जन-संख्या ६२,११९ थी और सन् १९२१ में ७९,१९९ निकली। इस प्रकार प्रत्येक वर्गमील पीछे आजकल राज्य में ४८ मनुष्य बसते हैं। गाँवों की संख्या ३११ है। चाँगभखार-रियासत की तरफ़ सबसे ऊँची उपत्यका में जिसका क्षेत्रफल लगभग ४० वर्गमील है गाँव थोड़े और दूर दूर बसे हुए हैं। इन गाँवों में अधिकतर चेरवा, भुंइहार और धनुहार जाति के लोग रहते हैं। ये जंगली कंद-मूल खाकर या तीर से मारकर अथवा फंदों से फँसा कर साम्हर इत्यादि जंगली जानवरों के मांस से अपना निर्वाह करते हैं। रियासत में हिन्दुओं ही की आबादी अधिक है। मुसलमान बहुत थोड़े हैं। अन्य जाति के लोगों में गोंड़, रजवार, कलवार, ग्वाला और कौर जाति के लोगों की संख्या अधिक है। बोल चाल की भाषा छत्तीसगढ़ी और बघेल-खंडी हिन्दी है। लोगों की चाल ढाल पुरानी और रहन-सहन सरल है। लोग हृष्ट-पुष्ट और मज़बूत हैं। उनके रहने के घर छोटे छोटे और फूस के बने होते हैं और वे बहुधा मिट्टी के बर्तनों में खाते पकाते और यहीं के बने मोटे खद्दर के कपड़े और कम क़ीमती धातुओं के गहने पहनते हैं। पटना-ज़मींदारी के निवासियों की दशा रियासत के पश्चिमीय हिस्से के निवा-सियों से अच्छी है पर इनकी दशा भी संतोषजनक नहीं कही

जा सकती। तथापि ये लोग अपनी वर्तमान अवस्था से संतुष्ट हैं।

रस्म-विवाह—इनके विवाह की रीति बहुत सीधी-सादी है। एक ही दिन में विवाह-सम्बन्धी सभी रस्में पूरी हो जाती हैं और खिला पिलाकर मेहमानों को बिदा कर दिया जाता है।

त्यौहार—लोगों के मुख्य त्यौहार दो हैं करमा और नवाखाई। करमा भादों के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। स्त्री-पुरुष परस्पर सम्मुख श्रेणीबद्ध खड़े हो ढोल बजाते और उसरी से नाचते गाते हैं। खरीफ़ की नई फ़सल घर आने पर नवाखाई का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में बकरा काटा जाता है और नये अन्न के साथ उसका मांस खाकर उत्सव मनाया जाता है।

मूल-निवासी—यहाँ के मूल-निवासी भुँइहार और धनुहार हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि राजा धारामलशाह के पहले, यह इलाक़ा कोल राजाओं के अधीन था। भुँइहार लोग कोल-वंशीय हैं। इस इलाक़े में इनकी संख्या अधिक नहीं है पर छोटा नागपुर के दक्षिण गाँगपुर, बुनई, केंबझर, बामरा इत्यादि रियासतों में इनकी आबादी अच्छी है और वहाँ इनकी मान प्रतिष्ठा भी यथेष्ट है। वहाँ ये, लोग नीच जाति के नहीं समझे जाते। कहीं कहीं तो राजतिलक भी भुँइया या भुँइहार के हाथ से होता है। वहाँ अधिकांश मालगुज़ार

धनुहार भुइँहारों का समूह

और इलाक़ेदार भी इन्हीं जातियों के हैं। इस रियासत के भुँइहार खेती नहीं करते। कंद-मूल और जंगली जानवरों के मांस से इनका निर्वाह होता है। ये लोग अपने को यवन-वंशी या पांडव-वंशी बतलाते हैं। पांडव-वंशी फाल्गुन मास की प्रतिपदा को पांडवों की पूजा करते हैं। पाँचों पांडवों के नाम लेकर पहले ये होम देते हैं फिर एक मुर्ग़ी की बलि देकर उसके मांस को पकाते और घर के सब मर्द, औरत, बच्चे उसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं। भुँइहार लोग अपनी बोली बिलकुल भूल गये हैं और अब सभी छत्तीसगढ़ी हिन्दी बोलते हैं। इसी प्रकार विवाह-शादी में भी ये हिन्दुओं की प्रथा ग्रहण करते जाते हैं। लड़के-लड़की के बालिग़ हो जाने पर शादी होती है। ममेरे या फुफेरे भाई बहिनों में वैवाहिक सम्बन्ध हो सकता है। वर का पिता दो बोतल शराब और सात रुपये नक़द लेकर शादी की बातचीत करने लड़की के पिता के यहाँ जाता है। बातचीत पक्की होने पर शराब और रुपये लड़की के पिता को देकर लड़की को अपने घर ले आता है। दस पन्द्रह दिन लड़की अपने भावी पति के यहाँ रहती है। इतने समय में यदि लड़के लड़की में परस्पर प्रेम न हुआ तो लड़की अपने घर वापस पहुँचा दी जाती है पर यदि उन दोनों में प्रेम-सम्बन्ध होगया तो लड़के का पिता भावी दम्पति को साथ लेकर लड़की के घर जाता और दो बोतल शराब और पाँच रुपये नक़द लड़की के पिता की नज़र करता है और उसी समय

लड़का लड़की को चूड़ी पहना देता है । दो एक रोज़ या जब तक लड़की का पिता चाहे लड़के और उसके बाप की खातिर कर लड़के के बाप से कहता है कि बहू को ले जा; पाँच छः दिनों में वापस कर देना । इस पर लड़के का पिता यह कहकर कि अच्छा लड़की को ले जाता हूँ जब सुविधा होगी शादी करूँगा, लड़की और लड़के को साथ ले अपने घर वापस आ जाता है । यदि लड़की की कोई बहिन वग़ैरह हुईं तो वे भी उसके साथ जाती हैं । घर पहुँचते ही लड़के-लड़की को एक काठ के पटे पर खड़ा कर लड़के की माँ और बहिन उनके पैर धोती हैं । वे उन्हें फिर अंदर ले जाकर घर के देवताओं को प्रणाम कराती हैं । उसी रोज़ वे लोग अपने जाति-भाइयों को खिलाते-पिलाते भी हैं । छठवें दिन लड़का लड़की को साथ ले उसे उसके घर पहुँचाने जाता है और साथ में कुछ ग़ल्ला, शराब और धोती ले जाता है । दो चार रोज़ वहाँ रहकर वह अपने घर वापस आ जाता है । लड़के के वापस आते वक़्त लड़की का बाप उसे कुछ कपड़ा वग़ैरह देता है । अब शादी के ख़र्च के इंतज़ाम की फ़िक्र होती है । इंतज़ाम हो जाने पर जाति का कोई सयाना आदमी अपने साथ एक बोतल शराब और कुछ तिल या सरसों और हलदी लेकर लड़की के यहाँ जाता है और वहाँ मंडप, विवाह आदि की तिथि निश्चय कर वापस लौट आता है । फिर बरात जाती है । बरात के साथ एक रुपया नक़द कुछ शराब लड़की और उसकी बहिनों के लिए धोतियाँ, लड़की

की माँ के लिए दो रुपये नक़द और लड़की के मामा के लिए एक धोती जाती है। गाँव के पास बरात पहुँचने पर लड़की के गाँव घरवाले अगुवानी करते हैं और बरातियों को लड़की के घर पर लाते हैं। दरवाज़े पर दोनों समधी एक दूसरे से गले मिलकर एक ही कम्बल पर बैठते हैं और एक दूसरे को एक एक रुपया नज़र देते हैं। लड़की का पिता फिर लड़के को ले जाकर मंडप के नीचे बिठलाता है और लड़की की बहिनें लड़की को लाकर वहीं बैठा देती हैं। लड़की पीले कपड़े पहिने हुए खुले सिर लाई जाती है और लड़का भी पीले कपड़े पहिने रहता है। फिर लड़की की भावज गाँठ बाँधती है। गाँठ में कुछ रक्खा नहीं जाता पर गाँठ बाँधने का नेग एक रुपया गाँठ बाँधनेवाली को दिया जाता है। इसके बाद आगे आगे लड़की की भावज बीच में लड़की और सबसे पीछे लड़का मंडप की सात बार परिक्रमा कर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तब भावज लड़की को सिंदूर लगाती है और लड़के का बड़ा भाई या लड़की का मामा लड़की का सिर उसकी ओढ़नी से ढाँक देता है। फिर लड़की की भावज पकी हुई खिचड़ी लाकर लड़के-लड़की दोनों को खिलाकर विवाह की क्रिया पूरी कर देती है। तब बरात के साथ आया हुआ सामान शराब, धोतियाँ वग़ैरह लड़की की माँ या आजी (बाप की माँ) को दे दिया जाता है। फिर बरातियों को खिला पिलाकर दूसरे दिन लड़की की बिदा कर दी जाती है। बरात वापस आने

पर लड़के के घर पर कोई नेग-दस्तूर नहीं होता, बरातियों की सिर्फ़ दावत होती है।

भुँइहारों का घर कितना भी छोटा हो पर प्रत्येक घर में दो दरवाज़े ज़रूर रहते हैं। एक दरवाज़ा हमेशा आने-जाने के लिए और दूसरा उन स्त्रियों के लिए जो मासिक धर्म से हों। इस अवस्था में स्त्री पाँच दिन तक अशुद्ध समझी जाती है, ज़मीन पर सोती है और सिर्फ़ पत्तल या मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर सकती है। मर्द यदि उसे छू ले तो वह इक्कीस दिन तक अशुद्ध समझा जाता है और पूजा-पाठ में शामिल नहीं हो सकता। गर्भवती स्त्री को मिरच और खटाई खाने की मनाई रहती है और बच्चा पैदा होने पर साल भर स्त्री को हरी तरकारी नहीं खिलाई जाती, जिसमें बच्चा कमज़ोर न होने पावे, क्योंकि उन लोगों का ख़याल है कि हरी तरकारी स्त्री के दूध को कमज़ोर कर देती है। बच्चे के पैदा होते ही चावल के चुन (कोढ़ा, भूसा) से उबटन करते हैं फिर छुरी से उसका नाल काटकर कनारी वग़ैरह एक मिट्टी के घड़े में भर छींद के झाड़ के नीचे गाड़ देते हैं। यह जानने के लिए कि किस पूर्वज ने घर में जन्म लिया है बैगा बुलाया जाता है। बैगा एक दिया जलाकर रखता है और एक एक पुरखे का नाम लेकर थोड़े थोड़े चावल अलग रखता जाता है। जिस पुरखे के नाम पर रक्खे हुए चावल पूरे पूरे तीन हिस्सों में बँट जायँ वह बच्चा उसी का अवतार समझा जाता है।

भुइँहारों के नाच का एक दृश्य

ये लोग कहीं से भी काला या सफ़ेद पत्थर उठाकर झाड़ के नीचे रख लेते हैं और उसे बढ़ावन देवता मानकर उसी की पूजा करते हैं। ये उसे बकरे का बलिदान देते हैं और उस बकरे का चमड़ा तक खा जाते हैं। ये लोग पीपल या बड़ के झाड़ों को भूत प्रेत का निवासस्थान समझते हैं और सिंदूर, टिकुली, चूड़ी वग़ैरह चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। बीमारों को ये लोग जंगली जड़ी बूटी देते हैं। इनसे फ़ायदा न हुआ तो ये बैगा की शरण लेते हैं। वह एक जलता हुआ दिया सूपे में रख सूपा हिला हिलाकर मंत्र पढ़ता है। इस अनुष्ठान से रोगी विश्वास के कारण प्राय: अच्छा भी हो जाता है, पर यदि इससे भी अच्छा न हुआ तो लोग निश्चय कर लेते हैं कि रोगी का अंतिम काल निकट आगया और फिर उसको कोई दवा नहीं दी जाती।

करमा और होली ये दो त्यौहार माने जाते हैं। ये लोग करमा का त्यौहार भादों में नहीं मानते, कुँवार की एकादशी को मानते हैं। यह उपवास का दिन होता है। शाम को कुम्हड़ा और रोटी खाकर रात भर शराब पी जाती है और नाच-गान किया जाता है। मर्द बड़े बड़े मादर (ढोल) लेकर एक तरफ़ खड़े होते हैं और औरतें उनके सामने एक क़तार से खड़ी हो एक दूसरे का हाथ पकड़ झुक झुककर गाती हैं और मर्दों की तरफ़ बढ़ती हैं। जब औरतें गाती हुई बढ़ती हैं तब मर्द मादर बजाते हुए चार छ: क़दम पीछे हटते जाते हैं फिर मर्द मादर

बजाते और झुक झुककर गाते हुए औरतों की तरफ़ बढ़ते हैं और औरतें पीछे हटती जाती हैं। काँरी लड़कियाँ नाचते वक्त सिर खोले हुए रहती हैं पर ब्याही ढाँके रहती हैं।

होली को भी उपवास रहते हैं पर उस रोज़ शाम को फलाहार का नियम नहीं है। ये लोग मुर्ग़ी बकरा आदि सभी कुछ उस दिन खाते हैं। उस दिन रात में ये लोग दूसरे ही ढंग से नाच गाकर उत्सव मनाते हैं।

भुँइहार लोग अपना निर्वाह कंद-मूल और मांस ही से करते हैं। ये लोग हल बखर चलाकर खेती नहीं करते पर अपने ख़र्च के लिए बेवर और डाही तरीक़े से कुछ ग़ल्ला पैदा कर लेते हैं। फागुन में पहाड़ों की ढाल पर के झाड़ों को काट गिराते हैं और उनके कुछ सूख जाने पर उनको वहीं जला डालते हैं। फिर पहली बारिश के होते ही उस राख पर बितरी, मिझरी, चीना, अरहर, धान वग़ैरह के बीज छिड़क देते हैं और फ़सल तैयार होने पर काट लेते हैं। इसे बेवर कहते हैं। डाही तरीक़ा भी ऐसा ही है। भेद सिर्फ़ यह है कि उसमें झाड़ों को साफ़ न काट उनकी डगालियाँ काटते हैं और उन्हें किसी खेत या मैदान में फैलाकर आग लगाते हैं।

जंगली जानवरों के शिकार के लिए हाँका करते हैं। जानवर के जंगल से निकल कर भागने के रास्ते पर दो चार भुँइहार तीर-कमान या फ़रसा लेकर वृक्षों की आड़ में खड़े हो जाते हैं और दस पाँच लोग बाँस की पुंगी बजाते दूसरी

ओर से इन रास्तों पर खड़े हुए लोगों की तरफ़ बढ़ते हैं। जानवर यह शोर गुल सुनकर रास्ते पर खड़े हुए लोगों की तरफ़ से भागते हैं तब तीर या फ़रसे से ये लोग उन्हें मार डालते हैं। मछली मारने के लिए नदी या तालाब के पानी में थूहे का दूध छोड़ देते हैं जिससे उस जगह की मछलियाँ मर जाती हैं तब उन्हें निकाल लेते हैं। मछली मारने का दूसरा तरीक़ा यह भी है कि रात को पानी में घुस कर सूखी लकड़ियाँ एक हाथ में लेकर जलाते हैं और जब उजेला देखकर मछलियाँ ऊपर को आती हैं तो दूसरे हाथ में के बरछी, फ़रसी या डंडे से उन्हें मार डालते हैं। शिकार करने को जाने के पहले प्राय: मसवासी देव की मानता करते हैं। शिकार मिलने पर उस जानवर के सब अङ्गों का थोड़ा थोड़ा सा मांस पत्तों में दबा कर आग में भूँजते हैं। इस भूँजे हुए मांस को पूर्बा कहते हैं और यही पूर्बा मसवासी देव को अर्पण की जाती है। इस चढ़ाये हुए मांस को कोई नहीं खाते।

भुँइहार लोग मुर्दे को जलाते नहीं, गाड़ देते हैं। जो लोग मुर्दे को उठा कर गाड़ने को ले जाते हैं वे दस दिन तक अशुद्ध समझे जाते हैं और दसवें दिन नहाने धोने पर जब एक मुर्ग़ी काट कर उसका ख़ून उनके कन्धों पर लगा दिया जाता है तब वे शुद्ध होते हैं।

धनुहारों की संख्या अब इस राज्य में बहुत थोड़ी है। ये लोग इस रियासत से लगी हुई बिलासपुर ज़िले की मातिन,

कोरवा ज़मींदारियों और छोटा नागपुर इलाके की दूसरी रियासतों और ज़मींदारियों में भी रहते हैं। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है इनका मुख्य उद्यम धनुष और तीर से शिकार खेलना और जंगली जानवरों के मांस पर निर्वाह करना है पर अब ये लोग भी भुँइहारों के समान थोड़ी बहुत खेती करने लगे हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते हैं। किसी समय एक बाघिन अपनी माँद में ज़मीन खोद रही थी कि मिट्टी हटाने पर उसे वहाँ एक बालक और एक बालिका मिली, जिन्हें उसने अपने बच्चों के साथ पाला और जिनका नाम नागलोधा और नागीलोधी रक्खा। जब ये दोनों बड़े हुए तब इन्होंने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया परन्तु इनकी कोई सन्तान न हुई। इसलिए नागलोधा ने भगवान् की तपस्या की तो उसे आज्ञा हुई कि अपनी स्त्री को ग्यारह वृक्षों के ग्यारह फल खिला तो तेरे सन्तान होगी। उसने ऐसा ही किया और नागीलोधी के एक-दम ग्यारह बालक पैदा हुए। नागीलोधी प्रत्येक बच्चे के लिए पंद्रह पंद्रह दिन के हिसाब से ५$\frac{1}{2}$ माह सोवर में रही इसलिए अब भी धनुहारों की औरतें बच्चा पैदा होने पर ५$\frac{1}{2}$ माह अशुद्ध समझी जाती हैं और देवताओं की पूजा आदि में सम्मिलित नहीं हो सकतीं। कुछ दिनों के बाद नागीलोधा और नागीलोधी को एक और लड़का पैदा हुआ जिसके हाथ में पैदा होते समय ही धनुष और तीर था। इसी लड़के को जिसका नाम करनकोट

था धनुहार अपना आदि-पुरुष मानते हैं। एक वक्त करनकोट को छोड़ बाकी ग्यारह भाई जंगल में शिकार खेलने निकले। उन्होंने एक जगह बहुत से चीतल और हरिन देखे जिन्हें बारह ग्वाल और उनकी बारह बहिनें चरा रही थीं। लोधों ने उन जानवरों पर धावा किया पर ग्वालों ने उन्हें रोका और उनसे लड़कर उन्हें पराजित कर दिया और बंदी कर लिया। कुछ दिवस के पश्चात् करनकोट अपने भाइयों को ढूँढ़ता हुआ उस स्थान पर आया और ग्वालों को पराजित कर अपने भाइयों को छुड़ाया और साथ में ग्वालों की सब बहिनों को भी ले आया और अपने ग्यारह भाइयों की शादी ग्यारह ग्वालिनियों के साथ कर दी। सबसे छोटी और सुन्दर ग्वालिन से जिसका नाम मसवासी था उसने अपना विवाह किया। धनुहार अपने को इसी दम्पति के वंशज कहते हैं। करनकोट बड़ा शिकारी था उसने इतने जानवर मारे थे कि गाँवों की खदान उनके हड्डियों से भर गई थीं। धनुहारों का विश्वास है कि वही अब छुई मिट्टी के रूप में निकलती हैं।

धनुहारों की विवाह-विधि प्रायः गोंड़, कौंर लोगों से मिलती-जुलती है। ये लोग भी भुँइहारों के समान मुर्दों को गाड़ते हैं, जलाते नहीं। इनके मुख्य देव ठाकुर और दूल्हादेव हैं जिनकी साल में दो दफ़े बकरा और नारियल चढ़ा कर पूजा की जाती है।

ज़मींदारियाँ—इस रियासत में छोटी बड़ी प्राय: बीस ज़मींदारियाँ हैं जिनकी जन-संख्या रियासत खालसा (अर्थात् वह हिस्सा जो ज़मींदारी इलाक़ों से पृथक् है) की जन-संख्या से अधिक है। इन ज़मींदारियों में मुख्य और सबसे बड़ी दो हैं:—एक खड़गवाँ और दूसरी पटना। इन दोनों के ज़मींदार गोंड़ जाति के हैं। खड़गवाँ-ज़मींदार का कहना है कि उनके पूर्वज राजा साहब के पूर्वजों से भी पहले इस रियासत में बसे थे। नगर और रनई के ज़मींदार ब्राह्मण हैं और रीवाँ-राज्य से आकर बहुत समय से रियासत में बसे हुए हैं। बारहों खोल के कलार गौंटिये भी रियासत के पुराने बाशिन्दे हैं और बनारस की तरफ़ से आकर यहाँ बसे हैं। उत्तर में पाल परगना के चेरो जाति के गौंटिया और किलहारी के ज़मींदार भी बहुत समय से राज्य में रहते हैं।

भूमि, कृषि, आबपाशी—काश्त की ज़मीन तीन क़िस्म की है (१) मैड़, (२) दुधिया, (३) बल्का। मैड़ का रङ्ग कुछ काला होता है। इसमें गेहूँ, जौ और धान की उपज अच्छी होती है। दुधिया ज़मीन भूरे रङ्ग की होती है और इसमें भी ये फ़सलें पैदा की जाती हैं पर पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती। बल्का रेतीली और लाल रङ्ग की भूमि है। इसमें अरहर कोदों आदि पैदा किये जाते हैं। भूमि की स्थिति के अनुसार भी उसके विभाग किये गये हैं। यथा (१) बहरा,

(२) चौंड़, (३) डाँड़। भूमि का माप बीज की लागत के अनुसार किया जाता है। एक खंडी बिजवार की बहरा ज़मीन पर दो रुपया, उतनी ही चौंड़ पर एक रुपया और डाँड़ पर आठ आना सालाना लगान लगाया जाता है। पटना और खड़गवाँ-ज़मींदारियों की ज़मीन रियासत के और हिस्सों से ज्यादा अच्छी और उपजाऊ है पर लगान का निर्ख़ वहाँ भी यही है। रियासत की ज़मीन का नाप अभी तक नहीं हुआ इसलिए ठीक तौर से यह मालूम नहीं है कि कुल कितनी ज़मीन काश्त के लायक़ है। अधिकतर धान की खेती होती है पर कोदों, कुटकी, साँवा, मिझरी, मड़िया, अरहर, गेहूँ, चना, जौ, तिल, सरसों और कपास भी पैदा होते हैं। खेती की उन्नति क्रमशः होती जाती है। किसान अब खेतों की पार बनाने, अच्छी तरह जोतने और धान का रोपा लगाने लगे हैं। आबपाशी के लिए रियासत में नहरें नहीं हैं पर प्रायः हर एक गाँव में गौंटियों और किसानों ने रियासत से तक़ावी लेकर बाँध बना लिये हैं जिनसे धान के फ़सल की आबपाशी करते हैं। पक्के कुएँ गाँवों में बहुत कम हैं पर कच्चे कुओं की संख्या अच्छी है। इनसे आबपाशी भी की जाती है और गन्ना, आलू और साग, भाजी वग़ैरह पैदा किये जाते हैं। कृषि-सुधार के लिए रियासत से बिना सूद क़र्ज़ देने की व्यवस्था है। हर एक परगने में एक भंडार भी स्थापित किया गया है जहाँ राज्य की तरफ़ से फ़सल पैदा कर अच्छा ग़ल्ला जमा किया

जाता है। किसानों को इन भंडारों से अच्छा बीज यथेष्ट मात्रा में मिल सकता है। मवेशी कद में छोटे पर मज़बूत होते हैं। गायों की संख्या बहुत है। चराई का सुभीता होने के कारण मिर्ज़ापुर और रीवाँ-इलाक़ों से बहुत से मवेशी यहाँ चराने को लाये जाते हैं जिन पर प्रत्येक भैंसा-भैंस और बैल-गाय पर पाँच और तीन आने के हिसाब से चराई वसूल की जाती है। इससे रियासत को ख़ासी आमदनी हो जाती है।

जंगल—राज्य का बहुत सा हिस्सा जंगल से ढका हुआ है पर जंगल में साल के ऐसे वृक्ष बहुत कम हैं जिन्हें काट कर स्लीपर बनाये जा सकें। साल के पेड़ों को गोद कर उनसे धूप निकालने की प्रथा होने के कारण वे प्राय: पोले और कमज़ोर होगये हैं और उनकी बाढ़ भी मारी गई है। यह प्रथा अब बंद कर दी गई है पर नये झाड़ अभी इतने नहीं बढ़े हैं कि उनसे स्लीपर निकाले जा सकें। भूमि पथरीली होने के सबब इन झाड़ों की भी बाढ़ अच्छी होने में अभी संदेह है। बाँस का जंगल रियासत में बहुत है। पर रेल या सड़कें न होने के कारण बाँस की निकासी अभी तक नहीं होती थी। गाँवों के आस-पास कुसुम और पलास के झाड़ ख़ूब हैं जिन पर लाख लगाई जाती है। लाख से रियाया और रियासत दोनों को अच्छी आमदनी होती है।

व्यापार—दिन दिन व्यापार की तरक्क़ी होती जाती है पर माल ढोने का सुभीता न होने के कारण चावल और

दूसरे गल्लों की निकासी नहीं की जा सकती। सामान बैलों पर लाद कर पेंड्रा से रियासत में लाया जाता है और बैलों ही पर पेंड्रा या जैथारी को भेजा जाता है। बाहर से प्राय: शक्कर, तम्बाकू, नमक, किराना, सूत, मिट्टी का तेल और कपड़ा रियासत में आता है, और यहाँ से सरसों, तिल, लाख, धूप, खैर, घी, हर्रा, चिरोंजी वग़ैरह बाहर भेजा जाता है।

बाज़ार—राज्य में आठ दस स्थानों पर प्रति सप्ताह बाज़ार भरता है, जिनमें बैकुंठपुर, पटना, खड़गवाँ और किल्हारी के बाज़ार मुख्य हैं।

भाव—पन्द्रह बीस साल पहले यहाँ अनाज बहुत सस्ता था। चावल एक मन, गेहूँ बीस सेर, दाल सोलह सेर और घी दो सेर फ़ी रुपया के भाव से मिलता था पर अब गेहूँ, चावल दस सेर का होगया है।

नाप-तौल—बड़े बड़े बाज़ारों के सिवाय अन्य स्थानों में अब भी तौल कर गल्ला वग़ैरह बेचने की चाल नहीं है नाप कर ही बेचा जाता है। यहाँ का कुड़ो क़रीब २$\frac{१}{३}$ सेर का होता है और बीस कुड़ों की एक खंडी मानी जाती है।

मज़दूर—मज़दूर-पेशा की संख्या रियासत में बहुत कम है। प्राय: सभी लोग किसानी करते हैं। गौंटियों को हरवाहे मुश्किल से मिलते हैं। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वे शिकार या जंगल की उपज से अपना उदर-पोषण कर लेते हैं। मज़दूरी करने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती, पर अब

रेल की लाइन और कोयले की खदानों में काम खुलने से लोग मज़दूरी करने लगे हैं।

रास्ते—रियासत में अब तक एक भी पक्की सड़क नहीं है पर अब बैकुंठपुर से पेंडरा और कारीमाटी की तरफ़ सड़कें बनाई जा रही हैं। आने जाने के मुख्य रास्ते (१) बैकुंठपुर से पेंडरा, (२) बैकुंठपुर से पटना होते हुए सिरगुजा-रियासत का झिलमिली इलाक़ा, (३) श्रीनगर टप्पा होते हुए डांड़बुल्ला और (४) बैकुंठपुर से सुनहट होते हुए चाँगभखार-रियासत को और कारीमाटी पर से अनूपपुर स्टेशन से आई हुई नई रेलवे लाइन की बिजरी स्टेशन को हैं। ये रास्ते अब इस हालत पर हैं कि इन पर जगह जगह गाड़ियाँ भी चल सकती हैं। जैत-हारी स्टेशन से भी कारीमाटी और किलहारी आने को रास्ते बने हुए हैं।

राज्य-प्रबंध—सन् १९२४ तक श्रीमान् राजा साहब की नाबालग़ी के सबब इस रियासत का प्रबंध ब्रिटिश-सरकार से मुक़र्रर किये दीवान द्वारा पोलिटिकल एजंट साहब रायपुर की मातहती में था। सन् १९२५ में राज्य का प्रबंध श्रीमान् राजा साहब को सौंप दिया गया। श्रीमान् को फ़ौजदारी में सेशन जज के अधिकार हैं पर सात वर्ष या उससे अधिक जेल की सज़ा के लिए पोलिटिकल एजंट साहब की और फाँसी की सज़ा के लिए श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर की संमति की ज़रूरत होती है। श्रीमान् राजा साहब के दीवानी और माल

के फैसलों की कोई अपील नहीं है पर अगर पोलिटिकल एजंट साहब की दृष्टि में किसी फैसले में कोई त्रुटि जँचे तो वे श्रीमान् राजा साहब को उस मामले पर फिर विचार करने की सलाह दे सकते हैं। श्रीमान् राजा साहब की अदालत के सिवा राज्य में तीन फ़ौजदारी और दीवानी अदालतें और हैं। क़ायदे-क़ानून वही अमल में लाये जाते हैं जो ब्रिटिश-इंडिया में हैं।

पुलिस—रियासत में तीन पुलिस-थाने, बैकुंठपुर, किलहारी और खड़गवाँ में हैं, पुलिस में एक चीफ़-इन्स्पेक्टर, तीन सब-इन्स्पेक्टर और ४५ हेड कानेस्टबल और कानेस्टबल हैं। राज्य में संगीन जुर्मों की संख्या बहुत थोड़ी है। अधिकतर मामूली चोरी और नक़बज़नी के जुर्म होते हैं। सन् १९२७ में राज्य भर में १२० जुर्मों की रिपोर्टें दायर हुई थीं जिनमें तहक़ीक़ात के लायक़ सिर्फ़ ८३ जुर्म थे।

लोग अदालतों के झंझटों से दूर रहना ही अच्छा समझते हैं। मामूली झगड़ों को गाँवों में ही आपस में निपटा लेते हैं। दीवानी मुक़दमे मामूली दर्जे के होते हैं और अकसर लोग अपने अपने गवाह लेकर अदालत में हाज़िर हो अपना अपना बयान दे देते हैं और जो फ़ैसला किया जाता है उसे मान लेते हैं।

आबकारी—प्रजा ग़रीब है। उनमें शराब का प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं था पर अब रेल और कोयले की खदानों

का काम खुलने से बढ़ता जाता है। राज्य भर में ५६ याने २९ वर्गमील पीछे एक भट्टी है। साल बसाल इन भट्टियों में महुआ की शराब बनाने और उसे बेचने का ठेका दिया जाता है जिससे रियासत को लगभग ३०-३५ हज़ार रुपये सालाना आमदनी हो जाती है।

जेल—राजधानी में एक जेल है। क़ैदियों की संख्या १५-२० से अधिक नहीं रहती और उनसे कपड़ा बुनने, तेल पेरने, खेती करने और बाग़ीचा लगाने और सींचने का काम लिया जाता है।

शिक्षा—रियासत में एक अँगरेज़ी-मिडिल स्कूल और १९ प्रायमरी पाठशालायें हैं जिनमें क़रीब एक हज़ार विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। रिआया को अपने बालकों को शिक्षा देना पसन्द नहीं है। ज्योंही बालक पाँच छः साल का हुआ वे उससे जानवर चराने या और खेती का काम लेने लगते हैं पर क्रमशः लोगों का चित्त शिक्षा देने की तरफ़ आकर्षित होता जाता है।

अस्पताल—रियासत में सिर्फ़ एक ही अस्पताल योग्य डाक्टर की देख-रेख में राजधानी में है। अस्पताल में प्रायः बीस इक्कीस हज़ार रोगियों की चिकित्सा होती है। स्कूल-मास्टरों, पटवारियों और पुलिस-कर्मचारियों के द्वारा गाँव गाँव में बुख़ार के मौसम में कुनैन बाँटा जाता है। टीका लगाने के लिए वेक्सिनेटर मुक़र्रर हैं जो गाँवों में जा जाकर

हर साल क़रीब दो हज़ार टीके लगाया करते हैं। हाल ही में एक नया अस्पताल खड़गवाँ में खोला गया है।

डाक, तार-घर—बैकुंठपुर में एक डाक और तार-घर है और पटना और खड़गवाँ में एक एक डाकघर स्कूलमास्टरों की देख-रेख में हैं।

मकानात, सड़कें—कुछ दिन पहले तक राजधानी में एक भी पक्का मकान नहीं था। पर पिछले पाँच सात साल में कचहरी, जेल, अस्पताल, स्कूल आदि बनाये गये हैं। श्रीमान् राजा साहब के लिए एक नया महल बनाने का काम भी जारी है। राजधानी में एक दो पक्की सड़कें भी बनाई गई हैं और वहाँ से पेंडरा की तरफ़ सरहद तक और कारीमाटी तक मुरुम की सड़क बनाने का काम जारी है। कटनी-बिलासपुर-लाइन की अनूपपुर स्टेशन से एक रेलवे लाइन रियासत में लाने का काम जारी है जो रियासत की सरहद के पास रीवाँ-राज्य के बिजरी गाँव तक तैयार होगई है और जल्द ही कोरिया-रियासत के सरहदी गाँव कारीमाटी तक लाई जावेगी जिसके पास एक अच्छी कोयले की खदान में काम जारी है। रेलवे लाइन का काम गवर्नमेंट सरकार की तरफ़ से हो रहा है।

टकोली—सन् १८१९ ईसवी से जब कि राजा ग़रीबसिंह ने पहले-पहल गवर्नमेंट से सनद हासिल कर कबूलियत लिखी थी सन् १८९९ ईसवी तक रियासत से गवर्नमेंट को मुबलिग़ ४००) सालाना टकोली दी जाती थी। सन् १९०० ईसवी में

बीस साल के लिए टकोली की तादाद ५००) मुक़र्रर की गई थी और सन् १९२० ईसवी में वह ७५०) की गई। अब सन् १९३७ ईसवी में टकोली फिर तरमीम की जावेगी।

आय-व्यय—सन् १९२७ में रियासत की कुल आमदनी मुबलिग़ २,७४,८७०) और ख़र्च २,९१,७२९) था। आमदनी के मुख्य ज़रिये ये थे।

मालगुज़ारी ५०,२६२)
जंगल १,४९,००६)
आबकारी ३६,७१०)
जेल १,३७६) इत्यादि।

ख़र्च की मुख्य मदें ये थीं:—

टकोली ७५०)
ख़र्च राजघराना १,०६,१३७)
राज्य और तहसील-ख़र्च १७,७२१)
मुहकमा जंगल ७,४०९)
आबकारी ५,९३५)
जेल ४,०४८)
पुलिस ८,०३७)
दवाख़ाना ६,२६९)
शिक्षा-विभाग ७,५०३)
बनवाई वा मरम्मत मकानात वा सड़क ८७,२८१) इत्यादि।

प्रेमा बाग़

प्रमुख स्थान

बैकुंठपुर—राजधानी गेज़-नदी के किनारे एक छोटी बस्ती है जिसकी जन-संख्या १,२१७ है। यहाँ कचहरी, थाना, जेल, हिन्दी और अँगरेज़ी स्कूल, अस्पताल, डाक और तारघर वग़ैरह हैं। गेज़-नदी के तीर पर 'प्रेमाबाग़' और 'प्रेमाकुंड' दर्शनीय स्थान हैं। इस बाग़ में हर साल मकर-संक्राति के दिन मेला भरता है।

खड़गवाँ—खड़गवाँ इलाक़े के ज़मींदार साहब का निवासस्थान है। चारों ओर से जंगल और पहाड़ियों से घिरी हुई यह एक छोटी सी बस्ती है जो पेंडरा से बैकुंठपुर आने के रास्ते पर बसी हुई है। यहाँ डाकख़ाना, पुलिस-थाना और हिन्दी-स्कूल हैं। खड़गवाँ-ज़मींदारी में ८६ गाँव हैं। ज़मींदार गोंड़ हैं। ज़मींदारी की माल जंगल वग़ैरह की कुल आमदनी ज़मींदार साहब को मिलती है। वे रियासत को सिर्फ़ १,०००) टकोली और ७,०००) अब्वाब सालाना देते हैं।

पटना—पटना के ज़मींदार साहब का निवासस्थान है। यहाँ एक हिन्दी-स्कूल और डाकख़ाना है। इस ज़मींदारी में ६३ गाँव हैं। यहाँ की ज़मीन समतल और दूसरे इलाक़ों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। ज़मींदार गोंड़ हैं। ज़मींदारी की माल वा जंगल वग़ैरह की कुल आमदनी ज़मींदार साहब ही

को मिलती है। वे रियासत को सिर्फ़ ६५०) टकोली और ५,०००) अब्वाब सालाना देते हैं।

किलहारी—रियासत के पश्चिम में रीवाँ-राज्य से मिलती हुई सरहद पर एक छोटा सा क़सबा है। यह ज़मींदार साहब किलहारी का, जो जाति के पाव हैं, निवासस्थान है। यहाँ एक पुलिस-थाना है। गाँव में एक अच्छा तालाब बना हुआ है जिसके किनारे पर एक मंदिर भी है।

कोरियागढ़—राज्य में सबसे ऊँचा पहाड़ है जिसकी चोटी पर पुराने कोल राजा का गढ़, तालाब, कुएँ वग़ैरह थे जिनके चिह्न अब भी वहाँ विद्यमान हैं।

नगर—पहले इस राज्य की राजधानी यहाँ थी, उस वक़्त के महल, तालाब वग़ैरह के चिह्न अब भी वहाँ मौजूद हैं।

सुनहट—बैकुंठपुर राजधानी स्थापित की जाने के पहले सन् १९०० तक राज्य की राजधानी सुनहट में थी जो एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ कोई भी पक्के मकानात नहीं हैं।

कारीमाटी—रियासत के उत्तर-पश्चिम में फ़िल हाल एक छोटा सा क़सबा है पर अनूपपुर से आनेवाली रेलवे लाइन का स्टेशन होने के सबब रोज़ बरोज़ तरक्क़ी कर रहा है। इसके पास ही एक अच्छी कोयले की खदान में काम जारी है।

इस कारीमाटी स्टेशन से एक रेलवे लाइन उस खदान तक ले जाने का भी काम जारी है।

खरसिया—बैकुंठपुर से पश्चिम १२-१५ मील पर पहाड़ पर बसा हुआ एक छोटा क़सबा है जिसके पास ही पहाड़ में बहुत सा पत्थर का कोयला पाया गया है और जहाँ अनूपपुर से आई हुई रेलवे लाइन जल्द लाई जानेवाली है।

चिड़मिड़ी—खड़गवाँ ज़मींदारी का एक छोटा सा क़सबा बैकुंठपुर से पश्चिम बीस पचीस मील के फ़ासले पर है जिसके पास करारखोह में बहुत सा पत्थर का कोयला पाया गया है। यहाँ भी कारीमाटी से रेलवे लाइन की एक शाखा शीघ्र लाई जानेवाली है।

इति

पंचम ध्वनि

चाँगभरवार

चांग-भखार-नरेश भैया महावीरसिंह देव

चाँगभखार-नरेशों की फ़ेहरिस्त

१ भैया मानसिंह

२ भैया जंजीतसिंह

३ भैया बलभद्रसिंह

४ भैया महावीरसिंह देव

———

चाँगभखार-राज्य के पेशकार साहबों की फ़ेहरिस्त

मि० देवकीनंदन—१९०५–१९०७

मि० शिवराम पंथ—१९०७–१९२६

मि० प्रभुदयाल—वर्तमान

सीमा-क्षेत्रफल—चाँगभखार छत्तीसगढ़ डिवीज़न के बिलकुल उत्तर में है। इसका विस्तार ९०६ वर्गमील है। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की सीमा पर रीवाँ-राज्य और पूर्व की ओर कोरिया-राज्य है। इस राज्य की राजधानी भरतपुर है।

स्वाभाविक विभाग—रियासत का अधिक अंश जंगली और पहाड़ी है। साल वृक्षों से ढके हुए छोटे बड़े टीले प्राय: सर्वत्र देखने में आते हैं। इन्हीं पहाड़ियों और खाइयों के बीच बीच जहाँ तहाँ लगातार सम-भूमि है जिस पर छोटे बड़े गाँव बसे हुए हैं।

पर्वत—मुख्य पर्वत-श्रेणी राज्य के ईशान कोने से शुरू हो नैर्ऋत्य की ओर चली गई है। इसकी उँचाई कहीं कहीं समुद्र-जल-सतह से तीन हज़ार फ़ुट से भी अधिक है। उत्तर और दक्षिण की सीमा पर यह श्रेणी रीवाँ-राज्य की समभूमि से इतनी ऊँची है कि इसे लांघकर रियासत पर शत्रुदल का आक्रमण करना एक प्रकार से असंभव प्रतीत होता है पर प्राचीन काल में मरहठे और पिंडारों ने इसी ओर से रियासत पर कई आक्रमण कर मनमानी लूटमार की थी। इन आक्रमणकारियों से रक्षा का कोई उपाय न देख अंत में तत्कालीन

राजा ने उन सीमाओं पर के आठ गाँव रीवाँ-राज्य के राजपूतों को अपनी मदद के लिए दे डाले थे।

नदियाँ—रियासत में बड़ी नदियों का विशेष अभाव है। कुछ पहाड़ी नाले अवश्य हैं पर वे आबपाशी के काम के भी नहीं हैं। मुख्य नाले तीन हैं (१) बनास, (२) वाप्ती और (३) नूर। इन तीनों का उद्यम पूर्वीय सरहद्दी पहाड़ों से है। बनास नदी बरेला गाँव के पास से निकल कर पश्चिम की ओर बहती हुई रीवाँ-राज्य में चली गई है। नूर का प्रवाह आग्नेय की ओर है और यह भी रीवाँ-राज्य में प्रवेश कर गई है।

जंगल—प्राय: सारी रियासत जंगलों से ढकी हुई है। साल, बीजा, बाँस, तेंदू और चार के पेड़ सर्वत्र हैं। हर्रा, आँवला, कुसुम और पलास के वृक्ष भी बहुतायत से पाये जाते हैं। कई प्रकार की जड़ें और कंद भी जहाँ तहाँ होते हैं जिनसे यहाँ के मूल-निवासी अपना उदर-पोषण करते हैं। साल का जंगल इतना अच्छा नहीं है कि उससे अधिक संख्या में स्लीपर निकाले जा सकें।

जंगली जानवर—पचीस तीस वर्ष पहले तक राज्य के जंगलों में जंगली हाथी इतने अधिक थे कि गाँवों में लोगों का बसना मुश्किल था। इनमें से बहुत से पकड़ लिये गये और शेष मार डाले गये। अब रियासत में जंगली हाथी बिलकुल नहीं हैं। पहले कमरोजी मौज़ा के पास के जंगलों में जंगली

भैंसे भी रहते थे पर अब ये भी देखने में नहीं आते। रियासत के पश्चिमीय जंगलों में गौर अब भी पाये जाते हैं। शेर और चीते प्राय: सर्वत्र हैं और हर साल बहुत से मनुष्यों और मवेशियों का सत्यानाश करते हैं। रीछ, जंगली सुअर और कई प्रकार के हिरन, चीतल वग़ैरह सभी जंगलों में पाये जाते हैं।

जल-वायु—वर्षा और ठण्ढ-काल में यहाँ फ़सली बुख़ार का प्रकोप होता है पर ग्रीष्म-ऋतु विशेष सुखप्रद है। सन् १९०६ तक राज्य में जलवृष्टि की कोई सूची नहीं रक्खी जाती थी पर लोगों का अनुमान है कि अब पहले से वृष्टि कम होती है। पिछले दस वर्षों की औसतवर्षा ५३-५४ इंच है।

इतिहास—यह रियासत कैसे बनी, पहले कौन राजा हुआ, प्राचीन काल में राज्य-शासन कैसे होता था, प्रजा की दशा कैसी थी आदि बातों का कोई पता नहीं है। उस काल का कोई विवरण लिपि-बद्ध नहीं है और हो भी तो वह अप्राप्य है। इसलिए इस राज्य का इतिहास तभी से मालूम है जब से यह ब्रिटिश-सरकार की अधीनता में आया। यहाँ के राजा का कौटुम्बिक संबंध कोरिया के राजघराने से है। पहले तो यह इलाक़ा कोरिया-राज्य के अधीनस्थ एक ज़मींदारी था। सन् १८१९ ईसवी में चाँगभखार के राजा के साथ की हुई शर्तों का हवाला ब्रिटिश-सरकार ने कोरियाधीश को दी हुई सनद में ही किया था, परन्तु सन् १८४८ ईसवी में सरकार

ने इन्हें अलग सनद प्रदान कर इस इलाके को एक भिन्न रियासत मान लिया और परम्परा के लिए यहाँ के अधीशों को "भैया" के ख़िताब से विभूषित किया। तब से इस राज्य के चार राजा हुए (१) भैया मानसिंह, (२) भैया जंजीतसिंह, (३) भैया बलभद्रसिंह और (४) वर्तमान चीफ़ भैया महावीरसिंह देव। भैया साहब महावीरसिंह देव का जन्म सन् १८७९ का है। सन् १८९६ में इनके चाचा भैया साहब बलभद्रसिंह के देवलोक होने पर सत्रह वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठे। इनकी अल्पवयस्कता में इनके दूसरे चाचा लाल बजरंगसिंह राज्य का कारबार देखते थे। उनका शासन संतोषजनक न था इसलिए सन् १९०० में प्राप्तवयस्क होते ही इन्होंने रियासत का कारबार अपने हाथ में ले लिया। इनके कोई पुत्र नहीं है।

सन् १८९९ ईसवी में इस राज्य के मालिक को वह सनद ब्रिटिश-सरकार से दी गई जिससे इन्हें 'फ़्यूडेटरी चीफ़' के अधिकार प्राप्त हुए जिसका विस्तार-पूर्वक वर्णन उपोद्घात में किया गया है।

प्राचीन चिह्न—रियासत में प्राचीन चिह्नों का अभाव है। दोना-नदी के किनारे गोगरा गाँव के पास एक प्राचीन गुफा है जिसे लोग सीतामढ़ी कहते हैं। गुफा के अंदर महादेव की एक मूर्ति है। कंजिया और छितदौना के जंगलों में भी ऐसी ही मढ़ियाँ हैं। राजधानी से ग्यारह मील उत्तर

को हरचौका गाँव के पास मवई नाले के किनारे चट्टान काट कर बनाई हुई गुफायें हैं जिनमें बहुत से देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इन गुफाओं के प्रायः सभी खंभों पर लेख हैं जिनमें से दो कलचुरिया और एक चौहान राजपूत के लिखे हुए मालूम पड़ते हैं। ये लगभग बारहवीं सदी में या उससे पूर्व खोद कर लिखे गये थे।

जन-संख्या, लोग—सन् १८९१ में राज्य की जन-संख्या १८,५२६ सन् १९०१ में १९,५४८, सन् १९११ में २४,४२८ और सन् १९२१ में २१,८२६ थी। इस प्रकार प्रत्येक वर्गमील पीछे आजकल राज्य में २४ मनुष्य बसते हैं। गाँवों की संख्या कुल १२९ है। बीस पचीस गाँवों को छोड़ शेष गाँव दूर दूर पर बसे हुए हैं जहाँ आठ आठ दस दस घर की बस्ती हैं। राज्य के प्रायः सभी निवासी अपने को हिन्दू कहते हैं। सबसे अधिक संख्या गोड़ों और कोलों की है। इन कोलों को यहाँ "हो" कहते हैं। कहीं कहीं ये लोग मुंडा भी कहे जाते हैं। इस राज्य में विचित्र जाति मुवासियों की है। ये लोग सिरगुजा-राज्य के निवासी कोरवा लोगों के एक विभाग हैं और कुड़ाखू भी कहे जाते हैं पर चांगभखार और रीवाँ-राज्य में इन्हें मुवासी कहते हैं। मध्यप्रदेश के उत्तरीय हिस्से के कुड़ाखू लोग शायद इन्हीं लोगों की एक श्रेणी हैं। मुवासी शब्द का अर्थ डाकू, लुटेरा है और ये और कोरवे अब भी डाके डाला करते हैं। पर घर में सेंध लगाना या चोरी करना नीच

कार्य समझते हैं। मुवासिबे अपने को नागा भुइँया और नागी भुइँयानी का वंशज बतलाते हैं। इनके सोलह कुनबे हैं यथा (१) मंगर मवार, (२) सेकुट मवार, (३) मनवार, (४) नागवंशी, (५) पटैल, (६) घटिवार, (७) धोकिया, (८) भैनापुर, (९) सिंगरठिया, (१०) अरहा, (११) भुरिहा, (१२) पराशा, (१३) तिलोलिहा, (१४) गुरहा, (१५) कनारी, और (१६) कपंडिहा। मुवासियों ने अब अपने गाँव में ब्राह्मण बसा लिये हैं और बहुत-सी हिन्दू-प्रथाओं का पालन और हिन्दू देवताओं का पूजन करने लगे हैं। तो भी अपनी बहुत सी पुरानी रस्म-रिवाजों का पालन दृढ़ता से करते जाते हैं। इन लोगों के नौ देवता हैं जिनमें चितावर देव मुख्य समझा जाता है। यह देव मुवासियों के कथनानुसार पहले एक शक्ति-सम्पन्न दानव था। बाद में यह अपना चोला बदल वृक्ष-रूप में परिवर्तित होगया और इसका नाम चितावर पड़ा। लात्राहोरी गाँव के पास चितावर नाम की एक पहाड़ी है जिस पर एक चट्टान कड़ाही रूप की बनी हुई है। इस चट्टान के चारों ओर चितावर के पौधे बाँस-सरीखे उगते हैं। चितावर के दो भेद हैं। पहला बालक चितावर, जो लाल रंग का होता है और दूसरा बूढ़ा चितावर, जो काले रंग का होता है। मुवासी बैगा इस चितावर के पौधे को एक चीतल के सींग में भर सींग का मुँह कुसुम की लाख से बन्द करता है। फिर रात्रि में चितावर देव को बलिदान दे उस सींग की पूजा करता है और मंत्र पढ़ता है। इसके बाद

जब सींग पहले थोड़ा थोड़ा हिलता और फिर नाचने कूदने लगता है तब यह देख भक्त-समाज समझ जाती है कि चितावर देव की आत्मा सींग में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात् चितावर के पौधे को सींग में से निकाल उसे सरसों या राई में मिला सुरमा बनाते हैं और कहते हैं कि आँख में इस सुरमें का अंजन करने से चितावर देव और अन्य भूत-प्रेतों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इनके दूसरे देव, घनश्याम हैं जिनका वर्णन इस प्रकार करते हैं कि ये सिरगुजा-राज्य में गोंड़ जाति के एक राजा थे। वृद्धावस्था में इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम लाहाठाकुर था। इस पुत्र का विवाह करने घनश्याम सिरगुजा राज्य के बाहर गये पर जाते वक़्त अपने कुलदेवता, बड़का देव, को बलिदान देना भूल गये। जब इनके पुत्र की भाँवर पड़ रही थी बड़का देव व्याघ्र-रूप धारण कर वहाँ आ उपस्थित हुए और घनश्याम और लाहाठाकुर को खा गये। फिर पंडित घसुजियाजी की, जो विवाह क्रिया कराते थे, पारी आई तो भी बड़का देव का क्रोध शान्त न हुआ और उन्होंने घनश्याम की कलिया और अगिया नामी दो उपस्थित स्त्रियों को भी मार डाला। इस प्रकार इन सबका नाश तो होगया पर वे पूजे भी जाने लगे और पूजा के वक़्त बैगा पहले घनश्याम फिर लाहाठाकुर, घसुजिया पंडित, कलिया और अगिया का नाम ले लेकर पूजा कराता है। इन सबकी पूजा दशहरा और होली के दिन होती है। बैगा ख़ूब सिर हिला

हिला कर गीत गाता है। गीत में कोई विशेषता तो नहीं है पर वह ढोल बजा बजाकर इस तौर से गाता है कि भक्त-समाज पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है।

भूमि-कृषि—रियासत की प्राय: सभी भूमि पथरीली है जिसे जोतने में कठिनता पड़ती है। हल का नास मुश्किल से सात आठ इंच गहरा घुसता है। हल बहुत ही हलका बनाया जाता है यहाँ तक कि जुवे को छोड़ बाक़ी हिस्सा सिरगुजा, कोरिया-राज्यों में प्रचलित हलों से भी हलका होता है। नास राज्य में मिले हुए लोहे का ही बना होता है और उसकी लम्बाई आठ दस अंगुल की होती है। सरई की लकड़ी यथेष्ट मिलने के कारण जुवे को छोड़ बाक़ी पूरा हल उसी लकड़ी का बनाया जाता है। जुआ तला ऊपर दो लकड़ियों का बनाया जाता है। ऊपर की लकड़ी जुआ कहलाती है और कमार की लकड़ी की बनाई जाती है। नीचे की लकड़ी तारमुची कहलाती है और बाँस की बनाई जाती है। ये दोनों आड़ी लकड़ियाँ एक बैलों की गर्दन के ऊपर और दूसरी नीचे रहती हैं। बैलों की गर्दनों के दोनों ओर दो दो खूँटी लगाई जाती हैं। भीतर तरफ़वाली खूँटी गटारी और बाहरी सैला कहलाती है। गटारी जुवे में लगी ही रहती है पर सैला बैलों को फाँदते और ढीलते वक्त लगाये निकाले जा सकते हैं। जुवे में तीन महादेव और तीन हरेलियाँ होते हैं। गटारी और सैला के बीच की जुवे की लकड़ी

और जुवे के मध्य भाग की लकड़ी जहाँ हरसा जुवे के साथ बाँधा जाता है उठी हुई और खमदार होती है और इन्हीं तीनों जगहों को महादेव कहते हैं। जुवे के ऊपरी हिस्से में तीन छेदों में तीन खूँटियाँ होती हैं। इन खूँटियों को हरेलिया कहते हैं। यदि गहरा न जोतना हो तो एक चमड़े की रस्सी को जिसे नंदा कहते हैं बीच महादेव में फँसा कर हरसे में लपेट पहली हरेलिया के साथ बाँध देते हैं। यदि कुछ ज़्यादा गहरा जोतना हो तो दूसरे और यदि और अधिक गहरा जोतना हो तो तीसरे हरेलिये के साथ हरसा बांधा जाता है। हरेलियों को लगाकर उनके साथ हरसे को दो रस्सियों से बाँध कम या ज़्यादा गहरा जोतने का यह एक नया और विचित्र तरीक़ा इसी रियासत में है। इसी प्रकार यहाँ के हलों का मुठिया भी पीछे को निकला हुआ अजोब तरह का होता है। भूमि पथरीली और कड़ो होने के सबब यहाँ के हलों में यह भिन्नता होना ज़रूरी है। भूमि के चार विभाग हैं। (१) बहरा अर्थात् वह भूमि जो झिलाव में हो और जिसमें धान की सर्वोत्तम पैदावार हो सके, (२) सिताई अर्थात् वह भूमि जिस पर पार डालकर खेत बनाये गये हों, (३) डाँड़ अर्थात् मैदान और (४) बलस्थल अर्थात् माफ़ी ज़मीन। भूमि का माप बीज की लागत के अनुसार किया जाता है। एक खंडी बिजावर की बहरा ज़मीन पर २) और सिताई पर १) सालाना लगान लगाया जाता है। डाँड़ ज़मीन पर कोई लगान नहीं लिया जाता। खेती अधिकतर

धान की होती है पर कोदों, कुटकी, तिल, चना और गेहूँ भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत पैदा कर लिया जाता है। खेती के तरीक़े में दिन दिन तरक्क़ी होती जाती है। किसान खेतों में पार डालने और उनमें खाद देकर अच्छी तरह से जोतने लगे हैं। पर लोग अधिकतर खेत या ऊसर ज़मीन में डहिया के तरीक़े पर लकड़ी जलाकर राख में फ़सल पैदा करना पसंद करते हैं। नहर से आबपाशी करने का तरीक़ा बिलकुल नहीं है पर जगह जगह बाँध बनाये जाने लगे हैं। प्राय: पाँच साल के लिए गाँवों का ठेका मुस्तकिल जमा पर दिया जाता है पर राज्य के कुल १२९ गाँवों में से सिर्फ़ ८५ गाँवों का इस क़िस्म से ठेका है। बाक़ी गाँवों में से ३ ज़मींदारी, ७ खोरपोशदारी, ५ जागीर, और १८ मुआफ़ी में हैं वा ८ खास और ३ उजार हैं। प्राय: एक साल की जमा, ठेका पाने के लिए, भैया साहब को नज़र करनी पड़ती है। यह कोई ज़रूरी बात नहीं है कि एक साल की जमा नज़र करने से ठेका मिल ही जाय। भैया साहब की इच्छा से गाँव और ठेकेदार की हैसियत के अनुसार नज़राने की रक़म में कमी बेशी हो सकती है। ज़मीन पर किसानों का कोई मुस्तक़िल हक़ नहीं है पर जब तक वे जमा बराबर देते जायँ बेदख़ल नहीं किये जाते। उन्हें भैया साहब का बहुत सा काम बेगार में भी करना पड़ता है। ज़मींदार और खोरपोशदार अपने अपने गाँवों में खेती करते हैं और टकोली के बतौर मुस्तक़िल जमा और अब्वाब ख़ज़ाने में पटाते हैं।

राज्य-प्रबंध—श्रीमान् भैया साहब को राज्य-प्रबंध के कुल अधिकार हैं। उनके दीवानी और माल के फ़ैसलों की कोई अपील नहीं है पर यदि पोलिटिकल एजंट साहब की दृष्टि में किसी फ़ैसले में कोई त्रुटि जँचे तो वे उन्हें उस मामले पर फिर विचार करने की सलाह दे सकते हैं। फ़ौजदारी में उन्हें सेशन जज के अधिकार हैं पर सात साल या इससे अधिक जेल की सज़ा के लिए पोलिटिकल एजंट साहब की और फाँसी की सज़ा के लिए श्रीमान् गवर्नर साहब बहादुर की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। श्रीमान् भैया साहब की ही सिर्फ़ एक अदालत राज्य में है। राज्य में वही क़ायदे-क़ानून प्रचलित हैं जो ब्रिटिश-इंडिया में हैं।

पुलिस—राज्य में एक थाना और तीन पुलिस-नाके हैं। निवासी सीधे-सादे और ईमानदार हैं। संगीन जुर्म प्रायः बहुत ही थोड़े होते हैं। इसलिए बड़ी पुलिस रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल पुलिस में एक सब-इन्स्पेक्टर और पंद्रह हेड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल हैं। सन् १९२७ में राज्य भर में सिर्फ़ ५६ जुर्मों की रिपोर्ट दायर हुई थीं।

न्यायालय—दीवानी मुक़दमे लोग समझते ही नहीं। यदि कोई झगड़ा हुआ तो गाँव ही में आपस में समझ लेते हैं। सन् १९२७ में सिर्फ़ एक दीवानी मुक़दमा दायर हुआ था। फ़ौजदारी मुक़दमों की संख्या सिर्फ़ २१ थी।

सड़क-रास्ते—रियासत में पक्की सड़क एक भी नहीं है। दो पहाड़ी रास्ते ऊपर की तरफ़ से हरचोका और कमरजी गाँवों पर से आये हैं जो रियासत के मध्य में वेरासी गाँव के पास मिल गये हैं। वहाँ से वे अलग अलग होकर एक, पश्चिम की ओर तिवोली घाट पारकर रीवाँ-राज्य के रसमोहनी गाँव पर से कटनी-बिलासपुर रेलवे लाइन पर के बुड़हार स्टेशन को गया है और दूसरा, दक्षिण की ओर बड़गाँव पर से कोरिया-राज्य में चला गया है। राजधानी भरतपुर से बुड़हार रेलवे स्टेशन क़रीब ४५ मील है। भरतपुर से एक रास्ता उसी रेल्वे लाइन पर सहडोल स्टेशन को भी गया है जिसकी दूरी भी प्राय: ४५ मील है।

व्यापार—व्यापार की तरक्क़ी दिन दिन होती जाती है। माल बैलों पर लाद कर बुड़हार या सहडोल से रियासत में लाया जाता है और वैसे ही वहाँ भेजा जाता है। बाहर से प्राय: नमक, शक्कर, गुड़, कपड़ा, पीतल के बर्तन, मिट्टी का तेल, सूत और किराना वग़ैरह आता है और लाख, हर्रा, कत्था, घी, तिल, सरसों वग़ैरह बाहर भेजा जाता है।

आबकारी—प्रजा ग़रीब है। उनमें शराब का प्रचार अधिक नहीं है। राज्य भर में २७ भट्टियाँ हैं। साल साल इन भट्टियों में महुआ की शराब बनाने और उसे बेचने का ठेका दिया जाता है, जिससे रियासत को प्राय: १,५००) सालाना आमदनी हो जाती है।

शिक्षा—रियासत में सिर्फ़ एक ही प्रायमरी पाठशाला है जिसमें ३०-३५ बालक शिक्षा पाते हैं। रिआया को अपने बालकों को शिक्षा देना पसंद नहीं है। जो बालक शिक्षा पाते हैं वे प्रायः बाहर से आये हुए रोज़गारियों और अहलकारों के लड़के हैं।

जेल—जेल मिट्टी का कच्चा मकान है जिसमें १२ क़ैदियों के रखने का स्थान है। पर उनकी संख्या आठ दस से अधिक नहीं रहती। दो साल से अधिक सज़ावाले क़ैदी रायपुर के जेल में रक्खे जाते हैं। क़ैदियों से बग़ीचे की सिँचाई और थोड़ी बहुत खेती का काम लिया जाता है।

अस्पताल—राज्य में अस्पताल नहीं है पर एक वैद्य भरतपुर में रक्खा गया है जो देशी और अँगरेज़ी दवा लोगों को बाँटता है। रिआया छोटे-मोटे रोग अपनी जड़ी-बूटियों ही से आराम कर लेती है।

डाकघर—भरतपुर में एक डाकघर है जहाँ हर दूसरे रोज़ डाक आया जाया करती है। तारघर एक भी नहीं है।

आय-व्यय—सन् १९२७ में रियासत की कुल आमदनी २५,२२०) और ख़र्च २२,८५१) था। आमदनी की मुख्य मदें ये थीं :—

मालगुज़ारी	८,०६३)
जंगल	१५,४८३)
आबकारी	१,६३५)
जेल	२८) इत्यादि

ख़र्च का ब्योरा इस प्रकार है :—

टकोली	१५०)
राजघराने का ख़र्च	१०,२०५)
राज्य और तहसील का ख़र्च	१,१७९)
जंगल मुहकमे का ख़र्च	५१८)
जेल	३७१)
पुलिस	१,४६४)
शिक्षा-विभाग	३९०)
मकानों और सड़क की बनवाई	१,४६१)

और मरम्मत इत्यादि ।

मुख्य स्थान

कमरजी—आग्नेय सरहद पर राजपुरोहित का माफ़ी गाँव है ।

गुर—तिलोली से कमरजी के रास्ते पर एक ज़मींदारी मौज़ा है ।

बानस नदी—रियासत में यह सबसे बड़ी नदी है । यह मौज़ा बरेला के जङ्गल से निकल कर पश्चिम की ओर बहती हुई रीवाँ-राज्य में चली गई है ।

भरतपुर-राजधानी—यह बनास नदी के तीर पर एक छोटी सी बस्ती है । पहले राजधानी जनकपुर में थी पर अब

यहाँ उठ आई है। गाँव में राजमहल के अतिरिक्त अदालत, दफ़्तर, स्कूल, जेल और पुलिस-थाना के मकानात हैं। ये मकान कच्ची ईंटों के बने हैं।

भगवानपुर—भरतपुर से सात मील नैऋर्त्य की ओर है। यह और अन्य चार आसपास के गाँव भैया साहब के एक खोरपोशदार के अधीन हैं।

मुरेरगढ़—यह सबसे ऊँचा पर्वत-शिखर है जिसकी ऊँचाई समुद्र-जल-सतह से ३,०२७ फ़ुट है।

हरचौका—रियासत की उत्तरीय सरहद पर मवाईनदी के किनारे एक प्राचीन स्थान है। यहाँ नदी के किनारे की चट्टानों को काट कर बनाये गये कुछ मन्दिरों के भग्नावशेष हैं जो बारहवीं शताब्दी के जान पड़ते हैं।

इति

ग्रन्थ-लेखक